खण्ड-224, अंक-9
शुक्रवार, 29 वैशाख, शक संवत् 1883
(19 मई, 1961 ई0)

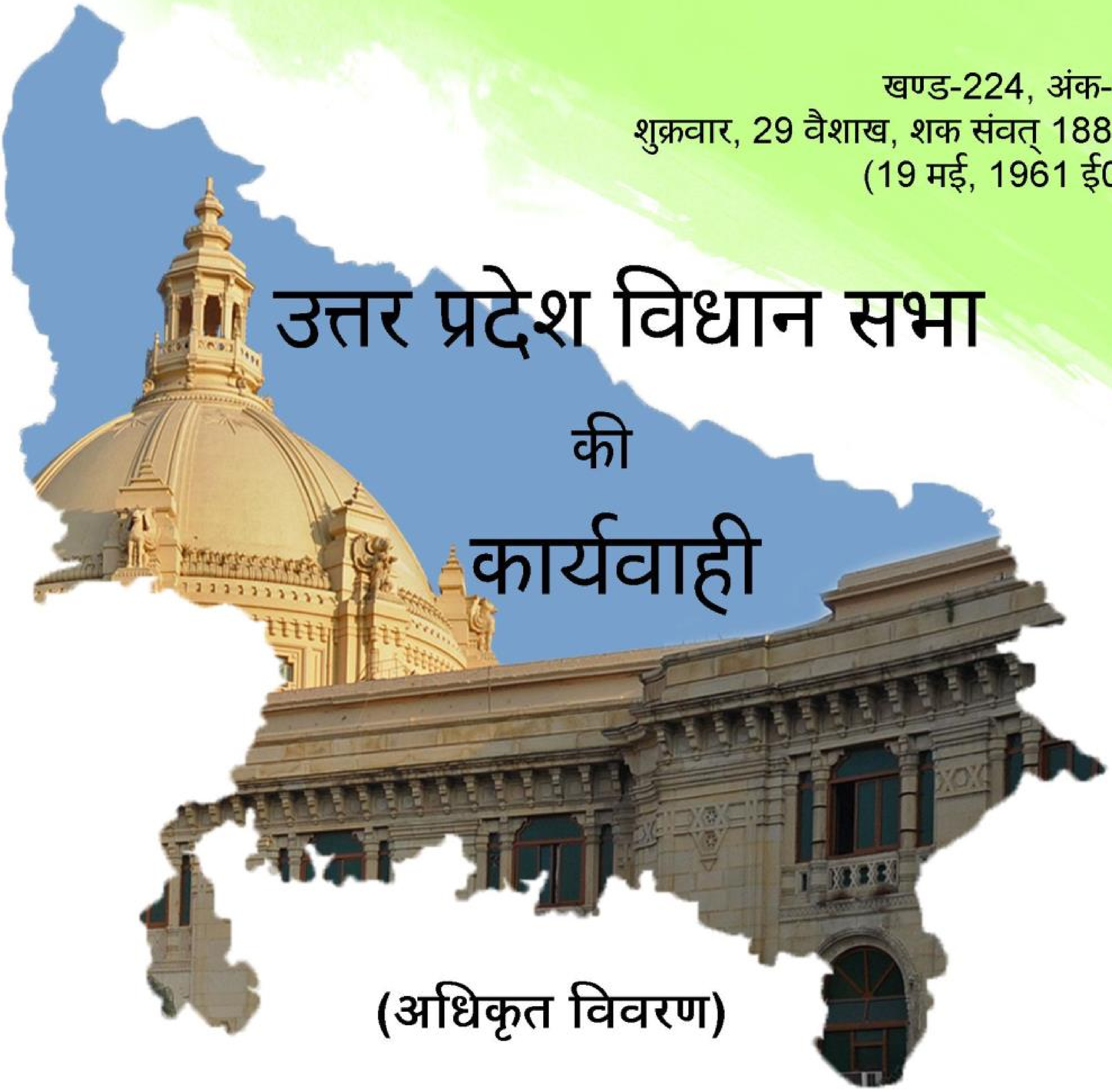

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 224 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १९ मई, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य---३४६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एम० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकरराय ,श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरगलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराज, श्री
द्वारकप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारकप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारकप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भण्डारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पानी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री

बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदीन, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भू दयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री

सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री और श्रम मन्त्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १९ मई, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

टाऊन एरिया तथा नोटिफाइड एरिया के चुनाव का स्थगन

**१—श्री रघुराजसिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित) तथा श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नगरपालिकाओं के अतिरिक्त टाउन एरिया व नोटीफाइड एरिया के चुनाव होंगे? यदि हां, तो कब तक?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जी हां। १९६२ में चुनाव होंगे।

**२—श्री रघुराज सिंह चौधरी (अनुपस्थित) तथा श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के भी चुनाव मुल्तवी कर दिये गये हैं। यदि हां, तो क्यों और कब तक के लिये?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, सामान्य चुनाव एक साल के लिये इस कारण स्थगित कर दिये गये हैं कि विधान सभा तथा विधान परिषद् के आगामी सामान्य चुनाव सन् १९६२ के प्रारम्भ में होने वाले हैं और यह उचित नहीं समझा गया कि विधान सभा तथा विधान परिषद् के सामान्य चुनावों के ठीक पहले टाउन तथा नोटीफाइड एरियाओं के सामान्य चुनाव कराये जायं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात पर ध्यान देंगे कि उन्होंने २९ अगस्त, १९६० को यह कहा था—"मैं विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी सारी कोशिश चुनावों को फरवरी तक कराने की है"। तो जब माननीय स्वायत शासन मन्त्री जी को यह पहले से ही मालूम था कि १९६२ में चुनाव होंगे तो उन्होंने यह आश्वासन क्यों दिया था और आज फिर उस आश्वासन के विपरीत सरकार को वक्तव्य देने के क्या कारण हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन, यह संदर्भ तो इस वक्त मेरे पास नहीं है और यह भी मैं नहीं समझ सका कि टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया के चुनावों का सम्बन्ध फरवरी, १९६० में किस प्रकार से आता है, क्योंकि उनकी अवधि अक्तूबर, नवम्बर, १९६० में समाप्त होने वाली है। इसलिये उसके पूर्व चुनाव कराने का कोई सवाल ही नहीं है। अब रही यह बात कि बजाय अक्तूबर, १९६१ के ६२ में चुनाव क्यों कराये जा रहे हैं, वह इसलिये कि १९६२ के प्रारम्भ में आम चुनाव होने वाले हैं, इसलिये उनको स्थगित किया गया है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी सदन की जानकारी के लिये स्पष्ट करेंगे कि १९६२ के प्रारम्भ में आम चुनावों के होने से इन चुनावों को कराने पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, यह तो कुछ अपने-अपने असेसमेन्ट की बात है। सरकार यह समझती है, जैसा कि जिला अन्तरिम परिषद् के चुनावों के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जा चुका है, कि जब पार्लियामेंट और विधान सभा के आम चुनाव होने वाले हों, और जबकि देश के सामने बड़े-बड़े मसले होते हैं.....

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, देखिये सेक्रेटेरियट के कोई साहब भीतर आ गये हैं जब कि आपने ऐसा करने से मना कर रखा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसा बार-बार होता है जबकि आपने यह आदेश दे रखे हैं कि कोई बाहरी आदमी यहां न आये। किसी दिन इससे यहां बड़ी अघटित घटना हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---वे आने से पहले इजाजत ले लिया करें।

श्री कैलाशप्रकाश---मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार आम चुनावों से पूर्व स्थानीय चुनाव कराना मुनासिब नहीं समझती है क्योंकि स्थानीय चुनावों में छोटे-छोटे मसले उठते हैं जिससे वातावरण ठीक रहता है और आम चुनाव बड़े-बड़े मसलों को लेकर होता है। इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि ये चुनाव उस समय न कराये जायं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह सिद्धान्त माना जा रहा है तो क्या ऐसा नियम बनाया जायगा कि यह चुनाव हमेशा आम चुनाव के बाद ही हुआ करें ताकि हर बार इस तरह का प्रश्न न पैदा हो ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह तो असल में टर्म पर मुनहसिर है क्योंकि कुछ स्थानीय निकायों की टर्म ४ साल की, कुछ की ५ साल की होती है। तो इस चीज के लिये यह देखने की आवश्यकता होगी कि वह चुनाव आम चुनावों से बिलकुल पहले या बाद में न पड़ें।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि सरकार की नीति इस सम्बन्ध में क्या है जब आम चुनाव करें और उनके पहले जो टाउन एरिया आदि के चुनाव हों उन को टालने के लिये या रोकने के लिये सरकार ने आगे के लिये कोई नीति बनाई है या कोई नीति वह अपनाने जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---नीति का प्रश्न इसमें नहीं है, आम चुनाव से पहले जो टाउन एरिया, म्युनिसिपिल बोर्ड और नोटिफाइड एरियाज का मसला हमारे सामने आया तो हमने इस चीज को तय किया।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि इंगलैंड में, जहां की पार्लियामेंटरी पद्धति पर हम चलते हैं, आम तौर से सामान्य चुनावों से पहिले खास तौर से चुनाव इसलिये कराये जाते हैं कि उनसे जनता का रुख मालूम हो जाय और लोगों के रुझान का एक अन्दाजा लगता है ? यह देखते हुये क्या सरकार सितम्बर--अक्तूबर में इन चुनावों को कराने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---बुनियादी तौर पर तो यहां इंगलैंड की प्रणाली मान ली गई है लेकिन वहां में और यहां में और यहां के हालात व रहने वालों में बहुत फर्क है। उस वक्त वह चुनाव करा सकते हैं लेकिन हम उस वक्त चुनावों से ठीक पहिले चुनाव कराना मुनासिब नहीं समझते।

खीरी जिले में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा गायों तथा गोवंश पर अत्याचार की शिकायत

**३—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—क्या वन मन्त्री को, लखीमपुर जिल के प्रसिद्ध देश भक्त श्री रूपनारायण द्वारा भेजी हुई यह शिकायत प्राप्त हुई है कि जिला लखीमपुर-खीरी में अंवरा और भोखमपुर के जंगलों की गाय, बछड़े और बैल, गांव वालों की सहायता और चन्दे से वन अधिकारियों द्वारा पकड़ कर एक घेरे में बन्द करवा दिये गये। बछड़े एवं बैल बेच दिये गये, गायें भूख से मरने के लिये वहीं छोड़ दी गई और उनके मर जाने के बाद उनका चमड़ा और हड्डी बेच कर वन अधिकारियों ने अपनी जेबें भरीं। यदि हां, तो इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मन्त्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—जी नहीं।

श्री बंशीधर शुक्ल—मन्त्री जी ने जो "जी नहीं" उत्तर दिया है इस से हम क्या समझें ? दरख्वास्त ही नहीं मिली या शिकायत नहीं मिली, या गायें घेरी नहीं गई, मारी नहीं गईं, बछड़े बैल नहीं बेचे गये ?

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन्, प्रश्न का मुख्य भाग यह है कि क्या अमुक व्यक्ति ने शिकायती-पत्र भेजा है जिसमें यह बातें दर्ज हैं, जिस का डिटेल उन्होंने बताया, उसी का मुख्य उत्तर है "जी नहीं" और हड्डी, चमड़ा बेचा गया और बछड़े, बैल बेचे गये इस सब का उत्तर भी दिया है "जी नहीं"। इसलिये पूरे प्रश्न का "जी नहीं" के सिवा और दूसरा उत्तर हो नहीं सकता।

श्री बंशीधर शुक्ल—मैं चाहता हूं कि श्री रूपनारायण जी ने जो दरख्वास्त भेजी है और जो ६ मई के "स्वतन्त्र भारत" में छपी है जिसको मैं पढ़कर सुना दूं....

श्री अध्यक्ष—इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा आप प्रश्न करें।

श्री बंशीधर शुक्ल—मेरी जानकारी है कि वहां जंगल विभाग के अधिकारियों ने ४,००० गाय, बैलों और बछड़ों को घेरे में बन्द किया और उसमें से बछड़े व बैल बेच लिये और गायों को भूखा मरने के लिये छोड़ दिया गया। क्या मन्त्री जी इस का उत्तर बतायेंगे कि कितने बछड़े, बैल बेचे गये और कितनी गायें मरीं जिनका चमड़ा बेचा गया और हड्डियां बेची गईं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इतनी डिटेल के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता होगी। माननीय सदस्य को इतनी जानकारी है तो अगर वह मुझसे इस सम्बन्ध में जानकारी चाहेंगे तो मैं मालूम करके बता दूंगा।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, जब मूल प्रश्न किया गया तो उसका उत्तर आया "जी नहीं"। उसके बाद उसी प्रश्न को माननीय सदस्य ने रिपीट किया तो कहा कि सूचना चाहिये। इस बात को देखते हुये कि इस आदरणीय सदन के एक सदस्य जिम्मेदाराना तरीके से यह कह रहे हैं और क्योंकि माननीय मन्त्री जी को "जी नहीं" का उत्तर वन विभाग से मिला है, किसी दूसरे विभाग से इस सम्बन्ध में जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—किसी दूसरे विभाग से उसकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न बिलकुल वही रिपीट नहीं किया गया है। जो मूल प्रश्न है उसमें यह बताया है कि कुछ पशुओं को वन विभाग वालों ने इकट्ठा किया, वहां से निकाला और बेच दिये, चमड़ा और हड्डी बेच दी और जेबें भरीं और उसके बारे में कुछ शिकायती-पत्र भेजे गये। तो उसका जवाब तो केवल "जी नहीं" में ही दिया जा सकता है, दूसरा नहीं। अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में है तो जो डिटेल्स हैं वह लिखकर दे देंगे और पूछेंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री झारखंडेराय--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अगर रूपनारायण जी द्वारा कोई शिकायत नहीं मिली है तो किसी और तरीके से, अखबारों के जरिये से या अन्य किसी प्रकार से सरकार को यह शिकायतें अथवा इसके किसी अंश के बारे में कोई शिकायत मिली है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--इस तरह की कोई शिकायत न रूपनारायण जी से मिली और न किसी और जरिये से मिली।

श्री बंशीधर शुक्ल--मैंने मंत्री महोदय को गोला में लिखकर दिया और बताया भी। वह वहां बहुत व्यस्त थे, पूरी बात डिटेल में नहीं कह सका, लेकिन लिखकर दिया और अगर वह कहें कि हमें नहीं दिया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मंत्री जी सही-सही बतावें कि आज भी वहां जांच करने के लिये तैयार हैं या नहीं ? चार हजार गायें मरी हैं और यह सब हुआ है.....

श्री अध्यक्ष--उनका कहना है कि आप फिर से लिख कर दे दें कि यह मेरी जानकारी है, इसकी जांच कराई जाय, तो वह जांच करा देंगे।

श्री बंशीधर शुक्ल--हमने लिखकर खुद दिया है गोला में.....

श्री अध्यक्ष--तो आप सवाल पूंछ लीजिये।

श्री बंशीधर शुक्ल--मैंने जो गोला में लिखकर दिया था और सब बातें बताई थीं उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अलगूराय शास्त्री--माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उसका मुझे स्पेसिफिक स्मरण नहीं है। बहुत से किसान गोला में जब मैं गया था तो इकट्ठे हुये थे। उनकी कुछ जमीनों की शिकायत थीं, कुछ और शिकायतें थीं। बहुत-सी शिकायतें मिलीं। वह सब वहां के जो जिलाधिकारी हैं उनको और बंशीधर मिश्र को मैं सिपुर्द कर आया था कि जांच करावें और कार्यवाही करें। पता नहीं कि क्या कार्यवाही हुई। मुमकिन है कि उसमें यह पत्र भी रहा हो, लेकिन स्पेसिफिक ढंग से यह शिकायत की हो या लिखकर दी हो उसका मुझे स्मरण नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि कुछ किसानों ने गोला में दरख्वास्तें दीं। मैं यह पूंछना चाहता हूं कि माननीय बंशीधर शुक्ल, जो इस विधान सभा के एक माननीय सदस्य हैं, उन्होंने मंत्री जी को कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? मंत्री जी ने उत्तर में यह भी कहा कि बंशीधर मिश्र को उसकी जांच दे दी, तो मैं जानना चाहता हूं कि बंशीधर मिश्र कौन व्यक्ति हैं, इनका सरकार से क्या संबंध है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--मैंने अभी निवेदन किया था कि बहुत से किसान थे, आप भी थे, आपने भी दरख्वास्त दी, किसानों ने भी दीं, वह सब शिकायतें वहां के जिलाधिकारी, जिलाधीश को मैंने इस दृष्टि से दीं कि वह उन चीजों को देखें और मुझे सूचना दें कि उन पर क्या कार्यवाही होनी आवश्यक है। वह शिकायतें मुतफर्रिक तौर पर थीं। घास नहीं मिलती, लकड़ी नहीं मिलती, कुछ उनकी जमीन है और वन विभाग कब्जा करना चाहता है, इस तरह की शिकायतें थीं। उन्हीं शिकायतों के बीच सम्भव है, माननीय सदस्य ने यह शिकायत भी दी हो, लेकिन वह स्पेसिफिक ढंग से मेरी नोटिस में नहीं आई, मुझे उसके बारे में कुछ स्मरण नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या माननीय वन मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने अपने पहले उत्तर में यह कहा कि उन दरख्वास्तों को जांच करने के लिये जिला अधिकारियों और बंशीधर मिश्र को दे दिया तो ये बंशीधर मिश्र चीफ कंजर्वेटर हैं या जिला के अधिकारी हैं या क्या हैसियत है उनकी सरकार में जो उन्हें जांच करने के लिये दिया ?

श्री अलगूराय शास्त्री---श्रीमन्, जैसा मैंने आपसे कहा उस दिन जो बहुत से किसान आये थे उनमें से कुछ किसानों को लेकर बंशीधर शुक्ल जी आये थे और कुछ को लेकर बंशीधर मिश्र जी आये थे । तो जो शिकायती-पत्र हमको मिले वे मैंने जिलाधीश को दे दिये कि जांच करके और उन लोगों से बातचीत करके देखें कि उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा सकती है और उसकी सूचना मुझे बाद में दें । वह सूचना मुझे अभी तक नहीं मिली है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---मंत्री जी ने कहा कि आप थे वहां और आपको दे दिया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप भी मंत्री जी के साथ उस वक्त गोला गये थे ?

श्री अध्यक्ष---शायद कुछ गलतफहमी हो गई है । मुझसे संबंध नहीं है । आपने किसके लिये कहा ?

श्री अलगूराय शास्त्री---आपको ।

श्री अध्यक्ष---आपका मुझसे मतलब है ?

श्री अलगूराय शास्त्री---जी नहीं । (हंसी)

श्री गौरीशंकर राय---मैं वही साफ करना चाहता हूं कि यह बंशीधर मिश्र कौन हैं ? एक बंशीधर मिश्र को मैं भी जानता हूं शकुन्तला कांड वाले । क्या यह वही हैं, जरा मंत्री जी बता दें ?

श्री अध्यक्ष---मैं इस तरह के प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री अलगूराय शास्त्री---बंशीधर मिश्र को जांच के लिये नहीं दिया । बंशीधर मिश्र, जिला लखीमपुर के एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्ता हैं और यहां के मेम्बर भी रह चुके हैं । वे कुछ किसानों को लेकर आये थे और कुछ किसानों को लेकर बंशीधर शुक्ल जी, जो यहां के सदस्य हैं, वे आये थे । तो जो कागजात हमको शिकायतों के मिले थे वे हमने जिलाधीश को दे दिये थे कि वे उनको देख लें । बड़ा भारी बंडल था । इन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या किया जा सकता है और इन लोगों से पूंछ कर उसकी जांच करके हमको सूचना दें । अभी कोई सूचना मेरे पास आई नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय बंशीधर शुक्ल ने एक शिकायत की दरख्वास्त माननीय मंत्री जी को दी और माननीय मंत्री जी ने एक विधायक की शिकायत की दरख्वास्त एक ऐसे व्यक्ति को दी जो अब विधान सभा का सदस्य भी नहीं है और न कोई सरकारी अफसर या सरकारी कर्मचारी है । तो माननीय मंत्री जी का ऐसा करना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष---अगर उनकी स्लिप आफ टंग हो तो उनको न पकड़िये । उन्होंने दो-तीन दफा साफ किया कि कलेक्टर को दी और बशीधर मिश्र को नहीं दी । पहले निकल गया था उनके मुंह से ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय मंत्री जी जब इस बात को मानते हैं कि श्री बंशीधर मिश्र जो स्वयं एक सार्वजनिक प्रमख कार्यकर्त्ता हैं, उन्होंने और एक सदस्य विधान सभा ने जब काफी शिकायतें माननीय मंत्री जी को दीं तो माननीय मंत्री जी ने यह ध्यान रखते हुये कि दो प्रमुख व्यक्तियों ने विशेष शिकायतें की हैं, क्या कलेक्टर महोदय से यह पूछेंगे कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री अलगूराय शास्त्री--यह हिदायत मैं उनको जबानी उस वक्त भी दे आया था और अब फिर लिखूंगा कि उस सम्बन्ध में उन्होंने क्या कार्यवाही की, उसकी सूचना मुझे तुरन्त दें ।

श्री बंशीधर शुक्ल--श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारे नामराशी का नाम लिया है तो वन विभाग ने जब यह करतूत किया और उसका बवंडर मचा तो वह उनको वहां ले गये थे और एक सभा की गई जिसमें उनको ५०० रुपये की थैली दी गई थी ? क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री अलगूराय शास्त्री--मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

अलीगढ़ में स्थापित होने वाले मेडिकल कालेज का अनुदान

****४--श्री इस्तफा हुसैन** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने तीसरे पंचवर्षीय योजना काल में अलीगढ़ में स्थापित होने वाले मेडिकल कालेज के लिये कितना धन लगाने का निश्चय किया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--सरकार ने प्रस्तावित अलीगढ़ मेडिकल कालेज के लिये धन लगाने का कोई निश्चय नहीं किया है । प्रस्तावित मेडिकल कालेज के चिकित्सालय के रखरखाव तथा साज-सज्जा के खराब होने पर उनके बदलने हेतु सरकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में १२ लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया है ।

पुलिस के विरुद्ध श्री रामसुन्दर पांडेय के पत्र

****५--श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़), **श्री गौरीशंकर राय, श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद) तथा **श्री मदन पांडेय**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास विधायक श्री रामसुन्दर पांडेय के २७ मार्च, १९६१ के भेजे हुये तीन पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें एक सब इन्स्पेक्टर पुलिस को बुरी तरह मारने, सही रिपोर्ट न लिखने, चोरी, डकैती की जांच में मुस्तैदी से काम न करने तथा पुलिस द्वारा उनकी (प्रश्नकर्त्ता सदस्य की) हत्या की साजिश करने आदि की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा उप मन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)--जी हां ।

संबन्धित तीन पत्रों में से दो को प्रधान पुलिस निरीक्षक तथा एक को जिलाधीश आजमगढ़ के पास आवश्यक जांच तथा कार्यवाही कर सरकार के पास रिपोर्ट भेजने के लिये भेज दिया गया है। अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन पत्र प्रधान पुलिस निरीक्षक के पास भेजे गये और किस को जिलाधीश आजमगढ़ के पास भेजा गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, एक पत्र था जिसमें मऊ थाने के सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध बुरी तरह से पीटे जाने की शिकायत थी, वह प्रधान पुलिस निरीक्षक के पास भेजा गया है । दूसरा पत्र रामसुन्दर जी पांडेय की हत्या के बारे में, मधुवन के पुलिस द्वारा साजिश करने का आरोप था, वह भी प्रधान पुलिस निरीक्षक के पास भेजा गया है । तीसरा पत्र मधुवन थाने की पुलिस का चोरी के मामले में कोई कार्यवाही न करने का था, यह पत्र जिलाधीश आजमगढ़ के पास भेजा गया है ।

श्री मदन पांडेय---दूसरे पत्र में जो माननीय सदस्य की हत्या की बात कही गई है उसको पुलिस अधीक्षक के पास भेज दिया गया तो उनकी जान-माल की हिफाजत के लिये क्या कोई कदम उठाये गये ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, पांडेय जी सुरक्षित हैं। मैंने यह उत्तर दिया कि प्रधान पुलिस निरीक्षक के पास भेजा गया है और पुलिस का यह कर्त्तव्य है कि अगर ऐसी सूचना मिले तो ऐसी कार्यवाही करे जिससे उनके ऊपर कोई प्रहार न हो सके ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ये पत्र सरकारी अधिकारियों के पास जांच के लिये कब भेजे गये और उनसे रिपोर्ट कब तक मांगी गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---दो पत्र १५ अप्रैल को और एक १८ अप्रैल को भेजा गया था ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि जो डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट हैं वह वहीं थानेदार, सर्किल इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट रहते चले आये हैं और उन्हीं के खिलाफ रामसुन्दर जी की शिकायत है कि उनकी हत्या में उनका भी प्रयास है ? यदि हां, तो एसी सूरत म सरकार यह करेगी कि इस मामले की जांच पुलिस कप्तान से न कराकर किसी अन्य अधिकारी से करायेगी जिससे मामला रोशनी में आ सकें ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है । यह सरकार अवश्य देखेगी कि वह सुरक्षित रहें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या मंत्री जी को अफसोस है कि रामसुन्दर पांडय जी अभी तक सुरक्षित हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब एक माननीय सदस्य ने इस तरह की दरख्वास्त दी कि उनकी जान अरक्षित है और उनकी हत्या की साजिश की जा रही है तो सरकार ने केवल अपना यही कर्त्तव्य समझा कि उस दरख्वास्त को सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास भेज दिया और यह जानने तक की कोशिश नहीं की गई कि क्या व्यवस्था की गई और इस मामले में क्या तथ्य हैं, तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि प्रत्येक नागरिक की जान की सुरक्षा हो, इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है इसकी सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह पत्र सुपरिन्डेन्टेन्ट के पास नहीं भेजा गया है बल्कि प्रधान पुलिस निरीक्षक, जिसको आई० जी० पुलिस कहते हैं, के पास भेजा गया है और जहां तक सुरक्षा का सवाल है यदि माननीय रामसुन्दर जी पांडेय ज्यादा परेशान हों तो शैडो का भी इंतजाम किया जा सकता है, ऐसी बात मुश्किल नहीं है । लेकिन मेरा खयाल यह है कि ऐसी कोई चीज होने वाली नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सत्य है कि वहां जो पुलिस के अधिकारी हैं उनमें से कुछ की उस इलाके में रिश्तेदारियां हैं और वे वहां की पार्टीबाजी में पूरी तरह से भाग लेते हैं ? इसके निराकरण के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस वक्त तो कागजात जांच के लिये भेजे गये हैं । रिपोर्ट देखने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब आदरणीय सदन के एक सदस्य के कत्ल के खतरे की रिपोर्ट थी तो क्या उस के लिये कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन्स भेजी गई हैं या केवल अर्जी पास कर दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—इंस्ट्रक्शन्स इम्पलाइड हुआ करती हैं । जब किसी नागरिक की सुरक्षा पर हत्या का खतरा होता है तो जिला अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि वह देखें कि ऐसी कोई घटना न हो ।

पुवायां तहसील में गोमती का रिजर्वायर बनाने की योजना का स्थगन

****६—श्री देवनारायण भारतीय**—क्या सरकार शाहजहांपुर जिला की पुवायां तहसील में जो गोमती Reservoir बनाने की योजना है उस योजना की रूपरेखा तथा उसका अनुमानित व्यय बताने की कृपा करेगी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—पहले गोमती रिजर्वायर बनाने की एक योजना थी किन्तु उसके निर्माण का विचार अब त्याग दिया गया है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर की तहसील पुवायां में यह गोमती रिजर्वायर इसलिये बनाया जा रहा था कि वहां सिंचाई की सुविधा हो जाय या लखनऊ नगर को गोमती की बाढ़ से बचाने के लिये बनाया जा रहा था ?

श्री राममूर्ति—इस रिजर्वायर के बनाने में फ्लड को रोकने के लिये कोई स्कीम नहीं थी । महज आबपाशी बढ़ाने के लिये यह रिजर्वायर बनाया जा रहा था ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना को त्याग करने का क्या विशेष कारण था ?

श्री राममूर्ति—इस रिजर्वायर में १५ हजार एकड़ से ज्यादा भूमि आने वाली थी जिसमें करीब १२ हजार एकड़ भूमि ऐसी थी जिस पर खेती हो रही थी । सरकार के सामने एक बहुत अहम सवाल आ गया है कि जब कोई ऐसी योजना ली जाती है, जो लोग वहां से उखड़ते हैं उनके पुनर्वास के लिये दिक्कत हो रही है । कहा जाता है कि किसान को जमीन के बदले जमीन दी जाय । जमीन का इंतजाम हो नहीं पाता है । इसलिये इस बात की कोशिश करते हैं कि जब तक हम पुनर्वास का इंतजाम न कर लें तब तक जमीन न ली जाय ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस गोमती के रिजर्वायर से, जो बनने वाला था, कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की सम्भावना थी और इस पर कितना खर्चा होने की सम्भावना थी ?

श्री राममूर्ति—८५ हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई होने की सम्भावना थी और ३ करोड़ रुपया व्यय होता ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस ८५ हजार एकड़ भूमि की सिंचाई की योजना इस रिजर्वायर के द्वारा थी उसकी सिंचाई के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री राममूर्ति—अब यह तो आगे सोचा जायगा कि जहां पर कोई चीज हम नहीं बनाते हैं वहां क्या आल्टरनेटिव हो ।

वाराणसी नगर महापालिका के इन्जीनियरिंग विभाग सम्बन्धी जांच समिति

**७—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी नगर महापालिका के स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग के कार्यों की जांच करने के लिये सरकार ने किसी कमेटी का निर्माण किया है ? यदि हां, तो उस कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां ।

शासन ने एक समिति निम्नलिखित अधिकारियों की बनाई है, जो इस बात की जांच करेगी कि वाराणसी में विजयानगरम् भवन के समीप बिछे हुये पाइप लाइन में पिछले वर्ष बार-बार पानी के चू जाने का क्या कारण था, इस त्रुटि की जिम्मेदारी किस पर है व उसे सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जाय :—

(१)	कमिश्नर, वाराणसी डिवीजन, वाराणसी	चेयरमैन
(२)	मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, वाराणसी ..	सदस्य
(३)	अधीक्षक अभियन्ता, पंचम शाखा, सार्वजनिक निर्माण विभाग ..	सदस्य
(४)	अधीक्षक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, वाराणसी	सदस्य
(५)	अधीक्षक अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, तृतीय शाखा, लखनऊ	सदस्य

**८—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग विभाग के खिलाफ क्या-क्या आरोप हैं और क्या उपरोक्त जांच इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनने के वक्त से की जायेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस जोड़ से पानी निकलने की सूचना बार-बार प्राप्त हुई और महापालिका ने इस विषय में अनुरोध किया कि इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके उचित कार्यवाही की जाय । अतएव सरकार ने जांच के लिये उक्त कमेटी का निर्माण किया ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीवर लाइनों से जो पानी चू जाता है उसके सम्बन्ध में जो माननीय मंत्री जी ने कमेटी बना दी है उसके बारे में मैंने सरकार और भूतपूर्व स्वायत्त शासन मंत्री को सन् ५८ में एक पत्र लिखा था कि इस सीवर लाइन से जो पानी चू जाता है उसका मुख्य कारण यह है कि वहां के इंजीनियरिंग विभाग में जो सहायक इंजीनियर के पद पर हैं वह लोग ओवरसीयर की योग्यता के हैं, इंजीनियर की योग्यता के नहीं हैं, तो जब मैंने सन् ५८ में लिखा तो उसके ऊपर सरकार ने क्यों कार्यवाही नहीं की, इतनी देर में कार्यवाही करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, यह सारे कागजात मैंने देखे नहीं हैं । अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है और इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री माननीय ऊदल जी के इस पत्र को जानने के बाद और जो सूचना उन्होंने दी है उसको देखते हुये इस बात का आदेश देंगे कि अगर वहां के इंजीनियर ओवरसियर की योग्यता के हैं और लोग समझते हैं कि उसकी वजह से काम में दिक्कत हो रही है तो उनको हटाकर उनकी जगह योग्य इंजीनियर रखे जायं ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह बात कोई कमेटी को देने की नहीं है । यह बात तो साधारणतया वैसे ही देखी जा सकती है, किन्तु एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो पानी का काम और ड्रेनेज का काम होता है उसके लिये टेक्निकल स्टाफ की कमी है और कभी-कभी निर्धारित योग्यता का टेक्निकल स्टाफ नहीं मिल पाता है । ऐसी परिस्थिति में जो निर्धारित योग्यता के नहीं होते, अनुभव इत्यादि के आधार पर ऐसे कुछ लोगों को भी रख लिया जाता है ।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कैसे उन्होंने कहा कि विजयानगरम् भवन के समीप की जो पाइप लाइन है उसी की जांच करने के लिये कमेटी उन्होंने बठायी है ? सीवर लाइन के सम्बन्ध में वाराणसी नगर महापालिका के क्षेत्र के अन्दर कई जगह शिकायतें हैं, जैसे चौखम्भा के बारे में भी शिकायत सन् ५८ में मैंने लिखकर दी थी कि वहां पर काफी गड़बड़ी है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस कमेटी के अन्तर्गत जहां जहां पाइप लाइन की शिकायतें हैं उस सबकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, यह कार्य असल में तो नगर महापालिका का है। उन्हीं के लिये यह काम किया जाता है और यह आशा की जाती है कि उन्हें वहां की सब जानकारी है। नगरमहापालिका ने यहां की बार-बार शिकायत की कि यहां काम अच्छा नहीं हुआ इसलिये वहां के लिये कमेटी एक नियुक्त कर दी गई। मेरी जानकारी में नगरमहापालिका की ओर से किसी और जगह के लिये शिकायत नहीं आयी। माननीय सदस्य कहते हैं और महापालिका को अगर ऐसी कोई शिकायत है तो देख लिया जायगा।

कानपुर रिक्शा यूनियन का पत्र

९—श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर कारपोरेशन ने वित्तीय वर्ष १९६०—६१ के बजट में रिक्शा टैक्स २४ रु० प्रतिवर्ष से बढ़ा कर ४० रु० प्रतिवर्ष करने का निश्चय कर के प्रदेशीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या राय कानपुर नगर महापालिका को दी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, नगर महापालिका कानपुर से इस संबंध में कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री उमाशंकर शुक्ल—क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कानपुर रिक्शा यूनियन ने एक प्रार्थना-पत्र देते हुए मंत्री जी से यह कहा है कि नगरमहापालिका ने २४ रुपये से ४० रुपये तक बजट में टैक्स बढ़ा दिया है, उससे उनकी रक्षा की जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उनकी रक्षा की क्या व्यवस्था की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, माननीय सदस्य कहते हैं तो प्रार्थना-पत्र अवश्य दिया होगा, मुझे निश्चित रूप से इस समय याद नहीं है कि इस तरीके का प्रार्थना-पत्र दिया गया है कि जिसमें उनकी फीस बढ़ाने वाली बात है। हां, उनकी और शिकायतों के तो प्रार्थना-पत्र आये। माननीय सदस्य कहते हैं तो उसको देख लिया जायगा।

इन्डियन क्लोदिंग फैक्टरी, लखनऊ से उपनिदेशक, आयुर्वेद द्वारा सामान का क्रय

१०—श्री जगन्नाथ लहरी** (जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च के अन्तिम सप्ताह में उपसंचालक आयुर्वेद के कार्यालय द्वारा Indian Clothing Factory, Lucknow से लगभग ४० हजार रुपया का सामान खरीदा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—कथित फैक्ट्री से ६४ गद्दे उप निदेशक, (आयुर्वेद) उत्तर प्रदेश के कार्यालय द्वारा १,६९५ रुपए २४ नए पैसे में क्रय किए गए।

११—श्री जगन्नाथ लहरी**—क्या यह सत्य है कि उक्त सामान के बिल का पूरा-पूरा भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया है जब कि अभी तक माल supply ही नहीं किया गया है और न इस माल की खरीद के लिये किसी भी प्रकार के टेंडर या कोटेशन ही लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं। बिल का भुगतान गद्दे प्राप्त होने पर ही किया गया है। गद्दों का भाव निदेशक उद्योग विभाग द्वारा स्वीकृत है। अतः किसी प्रकार के टेन्डर या कोटेशन मांगने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि उपनिदेशक आयुर्वेद द्वारा १८ मार्च को इस फर्म को एक आर्डर दिया गया था और इस फर्म ने २५ मार्च को २०० से अधिक गद्दे, ४०० से अधिक चादरें, ४०० से अधिक तकिये और ६०० से अधिक कम्बल उनके आर्डर के मुताबिक विविध स्थानों को सप्लाई किये थे जिसका मूल्य ३० हजार रुपये से अधिक है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थिति यह है कि प्रश्न पूछा था कि उपनिदेशक ने क्या किया है। उपनिदेशक ने ६४ गद्दे ही प्राप्त किये और उसकी अदायगी की। इसके अतिरिक्त बार्डर एरिया के जिलों में, जो आयुर्वेदिक अस्पताल खोले गये हैं, उस सिलसिले में रुपया हर एक जिले के जिलाधीश को दे दिया गया था। जो कीमत उपनिदेशक उद्योग द्वारा मुकर्रर है उस सिलसिले में यह आदेश दिया गया था कि वह उनके अनुसार मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ, बार्डर एरिया को सामान दे दें। उस सिलसिले में बहुत-सा सामान था जिसका रुपया जिलाधीश उनको देंगे। चूंकि यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था लिहाजा मेरे पास यह सूचना नहीं है कि सामान पहुंच गया है या नहीं और जिलाधीश ने पेमेन्ट किया है या नहीं।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि बार्डर जिलों के सामान के बारे में जो उत्तर दिया है उसका आर्डर जिलाधीश ने नहीं बल्कि लखनऊ में उप-निदेशक आयुर्वेद विभाग द्वारा १८ मार्च को इंडियन क्लोदिंग फैक्टरी, लखनऊ को दिया गया था और उन्हीं के आदेश से यह सामान सप्लाई किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो यह कहा कि यह जो कीमत है वह उपनिदेशक उद्योग द्वारा मुकर्रर है। उस कीमत के अनुसार ही यह आदेश दिया गया है कि मेडिकल आफिसर को यह सामान भेज दिया जाय और उसका पेमेन्ट जिलाधीश करेंगे। यह नियम है। जिलाधीश उसका पेमेन्ट करेंगे जब सामान की पहुंच का सरटिफिकेट आ जायगा।

पी० एम० एस० प्रथम तथा द्वितीय के सेवा काल में युद्धकालीन कार्यकाल शामिल करने की प्रार्थना

****१२---श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ) तथा श्री मदन पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राज्य के चिकित्सा विभाग में P.M.S. I तथा P.M.S. II के ऐसे सदस्य, जिन्होंने गत महायुद्ध में सेवा की थी, उनके कार्यकाल में युद्धकालीन कार्य काल को शामिल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---गत महायुद्ध से लौटे हुए पी० एम० एस० (प्रथम) तथा पी० एम० एस० (द्वितीय) अधिकारियों को उनके युद्धकालीन कार्यकाल का फायदा वेतन, अवकाश तथा पदोन्नति के निमित्त राजाज्ञा संख्या ३५४ वी/६२-४६, दिनांक ३ जून, १९४७ तथा ५७५ वी/९९६-४६, दिनांक २६ मई, १९४९ के अन्तर्गत बहुत पहले ही दिया जा चुका है।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह ३ जून, १९४७ और २६ मई, १९४९ को जो दूसरी राजाज्ञा प्रसारित की गई उसके बावजूद भी भ्रम पैदा हो गया और फिर ३० जनवरी, १९५८ में तीसरी राजाज्ञा में उसका स्पष्टीकरण किया गया, लेकिन अभी तक यह राजाज्ञा पूरी लागू नहीं की गई है और न लागू हो पा रही है ? इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है कि लागू नहीं की गई है। अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उसकी जानकारी कर ली जायगी और उचित व्यवस्था कर दी जायगी।

चीनी वेतन मण्डल की सिफारिशों को लागू करना

****१३—श्री मदन पांडेय**—क्या यह सत्य है कि चीनी वेतन मन्डल की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में गत २७ अप्रैल को जो राजाज्ञा सं० [Labour (A) Deptt. no. 2309 (ST)/XXXVI-A—273 (ST)-1960] जारी की गई थी उसके पृष्ठ संख्या ५ पर धारा ७ के अन्तिम पैरा में (१० मई, १९६१ के पहले पहली किस्त की अदायगी) की जो व्यवस्था की गई थी उसमें कोई परिवर्तन कर उक्त तिथि बढ़ाई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी की उक्त तब्दीली कब और किन कारणों से की गई है ?

श्रम मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

****१४—श्री मदन पांडेय**—क्या उपर्युक्त राजाज्ञा की धारा (१२) (पृष्ठ सं० ७) के प्रथम पैरा में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके कोई कमेटी बनाई गई है? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं और किस योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अभी विचाराधीन है। प्रश्न नहीं उठता।

****१५—श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार इस प्रकार के भी आदेश मिल मालिकों को देने पर विचार कर रही है कि वर्तमान सीजन की समाप्ति के पूर्व ही मिलों की बढ़ी हुई रकम मिल जाय ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीया श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगी कि यह जो चीनी वेतन मंडल की सिफारिशों को लागू करने की राजाज्ञा २७ अप्रैल, को प्रसारित की कई थी उसके बाद अभी तक कितनी मिलों ने इसको लागू कर दिया है और जिन मिलों ने लागू नहीं किया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—यह आज्ञा २७ तारीख को जारी की गई थी और उनको समय दिया गया था कि इतने समय के अन्दर उसको करें। अभी उसकी रिपोर्ट लेने का समय नहीं हुआ है। इतनी जल्दी हम सब रिपोर्ट इकट्ठा नहीं कर सकते।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीया मंत्राणी जी यह आश्वासन देंगी कि इस सीजन के समाप्त होने के पूर्व ही यह कीमत की जो बढ़ोत्तरी है वह मजदूरों को मिल जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस संबंध में हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी।

मेंहदावल अस्पताल में डाक्टर का न पहुंचना

****१६—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)**—दिनांक ६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६–६७ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बावजूद सरकार के आदेश के मेंहदावल एलोपैथिक अस्पताल के डाक्टर अब तक अस्पताल पर नहीं गये हैं ? यदि हां, तो इस देरी और हुक्म की तामील न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, बावजूद सरकार के आदेश के मेंहदावल अस्पताल के डाक्टर अभी तक अस्पताल पर नहीं गये हैं। उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए ३०–५–६१ तक की छुट्टी के लिये पुनः आवेदन किया और अन्त में उन्होंने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया, जो विचाराधीन है।

श्री राजाराम शर्मा--जब डाक्टर ने वहां इस्तीफा दे दिया है तो सरकार वहां के लिये क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब दूसरा डाक्टर भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री राजाराम शर्मा--कब तक दूसरा डाक्टर भेजा जा रहा है और जब तक वह न पहुंचे क्या सरकार उस समय तक कोई अच्छा कम्पाउन्डर भेजेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--डाक्टर ही भेज दिया जायगा ।

बर्तन-गृह उद्योग सहकारी समिति, गोकुलपुरा, आगरा की बाबत शिकायतों की जांच

**१७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार के पास मई, १९६१ में बर्तन-गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, गोकुलपुरा, आगरा, की बाबत स्वयं प्रश्न कर्त्ता द्वारा भेजी हुई कोई शिकायत आई है? अगर हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

सूचना उप मन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)--जी हां । सरकार शिकायत में लिखी हुई बातों की जांच करवा रही है ।

**१८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार उस शिकायत की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९०८-९०९ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है ?

श्री रऊफ जाफरी--इसकी जांच डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज द्वारा करायी जा रही है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या जांच इस बात की भी करायी जायगी कि जो दो सौ मन तांबा-पीतल और जस्ते वगैरह का ट्रक २२-८-६० को पकड़ा गया था उसके बारे में अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री रऊफ जाफरी--जी हां, तमाम बातों की जांच करायी जायगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने यह आदेश दे दिये हैं कि डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज स्वयं मौके पर जाकर जांच करें या जो प्रोसीजर है उसके अनुसार इसकी जांच डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज अफसर के हाथ में ही चली जायगी ?

श्री रऊफ जाफरी--यह तो नहीं कहा गया है कि डाइरेक्टर खुद ही जांच करें लेकिन यह ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज अफसर द्वारा इसकी जांच नहीं होगी ।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या मंत्री जी, जो शिकायत सरकार से की गयी है, उसकी मुख्य-मुख्य बातें बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--खास-खास बातें बतला दीजिये ।

श्री रऊफ जाफरी---उस सोसाइटी के जो प्रधान और मंत्री थे उनकी कुछ अनियमितताओं के मुताल्लिक यह शिकायत थी और यह भी था कि कुछ लोगों ने मिलकर एक ट्रक पकड़वाया जिसमें पीतल, तांबा और ऐसी ही चीजें थी और कहा जाता था कि वह ब्लैक में बेचा जा रहा था। यह भी शिकायत थी कि कुछ लोगों के नाम उसमें से खारिज कर दिये गये हैं, और इसी किस्म की कई शिकायतें थीं। इन सब की जांच करायी जा रही है। अभी थोड़े ही दिन हुए यह शिकायत पहुंची थी। आज मैं इंडस्ट्रीज विभाग में परसों शाम यह सवाल पहुंचा और इस बीच में इतना काफी मौका नहीं था कि पूरी तरह से इसका जवाब दिया जा सकता।

रनवा ग्राम का रामस्वरूप खंगार हिस्ट्रीशीटर

****१९---**श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या गृह मंत्री ने अध्यक्ष महोदय को लिखे अपने पत्र में यह बतलाया है कि राम स्वरूप खंगार, हिस्ट्रीशीटर, मौजा रनवा, थाना जालौन, जिला जालौन कई बार का सजायाफता है? यदि हां, तो क्या गृह मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त राम स्वरूप पर कितने मुकदमें चले और कब-कब और उसको किस-किस दफा में कब-कब और कितनी-कितनी सजा हुई?

****२०---**क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रामस्वरूप की हिस्ट्रीशीट खोलने के क्या कारण हैं?

****२१---**क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रामस्वरूप पर सन् १९६० में दफा ११० जाब्ता फौजदारी का जो मुकदमा चला, उस मुकदमें का क्या नतीजा हुआ और क्या उस मुकदमें में मुल्जिम की तरफ से कोई सफाई दी गई थी?

श्री रामस्वरूप यादव---१---गृह मंत्री जी ने अध्यक्ष महोदय को अपने पत्र दिनांक १०-५-६१ में पुलिस अधीक्षक, जालौन के पत्र दिनांक २-२-६१ का जो प्रधान पुलिस निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को लिखी गयी थी, एक अंश उद्धृत किया था जिसमें यह कहा गया था कि राम स्वरूप पुत्र ज्ञानी खंगार, मौजा रनवा, थाना जालौन कई बार के सजायाफता हैं। रामस्वरूप को सन् १९६० में दफा ११० जाब्ता फौजदारी के अधीन सजा होने के पूर्व ६ बार सजा हो चुकी थी।

(१) २४-७-५१ को धारा ४५४ के अन्तर्गत ६ माह की सजा हुई परन्तु वे (Probation) पर छोड़ दिये गये।

(२) १०-९-५२ को धारा ४५४ के अन्तर्गत १२ बेतों की सजा हुई।

(३) २०-१२-५२ को धारा ३८० में १ महीने की सजा हुई।

(४) २७-४-५४ को धारा ३८०/७५ के अन्तर्गत १८ महीने की सजा हुई।

(५) १४-५-५४ को धारा १०९ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत इनसे १ साल के मुचलके मांगे गये और न देने पर १ साल की सजा का आदेश हुआ।

(६) १-७-५४ को धारा ४५७/७५ के अन्तर्गत १८ महीने की सजा और २५ रु० जुर्माना और धारा ३८०/७५ के अंतर्गत १५ महीने की सजा और २० ० जुर्माने की सजा हुई।

२---रामस्वरूप की चोरी व नकबजनी के मुकदमों में कई बार सजा होने तथा चोरी और नकबजनी करने के आदी होने के कारण हिस्ट्रीशीट खोली गई।

३—धारा ११० जा० फौजदारी के मुकदमें में दिनांक २७-९-६० को रामस्वरूप के विरुद्ध मैजिस्ट्रेट ने निर्णय दिया कि वह २ वर्ष के लिये अच्छा आचरण रखने के हेतु १,५०० रुपये का परसनल बांड तथा इसी रकम की क्रमशः दो जमानतें दे। ऐसा न करने पर उन्हें २ वर्ष कठिन कारावास की सजा का आदेश हुआ। रामस्वरूप अभियुक्त ने मुकदमे में कोई सफाई पेश नहीं की।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह कि जब कभी हमारा कोई प्रश्न व्यक्तिगत होता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, पर यह प्रश्न आपके यहां से कैसे स्वीकार हो गया ?

श्री अध्यक्ष—यह मामला तो सदन में आ चुका है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—जब रामस्वरूप पर ११० का मुकदमा चल रहा था तो किसी ने उसकी जमानत की थी ? यदि हां, तो किसने ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। इस पर प्रकाश पड़ चुका है।

श्री नवलकिशोर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर ६ कन्विक्शन्स के केस चले और उसने उनमें से किसी के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसने कोई अपील नहीं की।

श्री डूंगरसिंह—क्या यह सही है कि जिस व्यक्ति पर ११० का मुकदमा चला था उसकी श्री तिवारी जी ने जमानत की थी और वही उसकी तरफ से वकील भी थे ?

श्री अध्यक्ष—मैं सकी इजाजत नहीं दूंगा, इस पर प्रकाश पड़ चुका है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, यह मामला यहां आ चुका है, आप सब सवालों की इजाजत और खुल कर यहां उस संबंध में बहस हो जाने दें। उस पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब यहां हो चुका है, सब जानते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, उत्तर से यह मालूम होता है कि सन् १९५४ के बाद से सन् ६० तक रामस्वरूप के खिलाफ कोई मुकदमा पुलिस द्वारा नहीं चलाया गया और न कोई सजा हुई, तो क्या यह सही है कि सन् १९६० में जब से रामस्वरूप की मां को एक चौकीदार ने अपने यहां रख लिया और उसकी जायदाद को हड़प लिया था तब से यह झगड़ा शुरू हुआ और फिर उसी के बाद ११० का यह मुकदमा चलाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—माननीय सदस्य ने अगर उत्तर को ध्यान से पढ़ा होता तो वे ऐसा प्रश्न न करते। सन् १९५४ में भी उसको ३ बार सजा हुई। वह सन् ५८ में छूटा था।

श्री अध्यक्ष—उनका जो प्रश्न है उसके बारे में आप उत्तर दें कि जब यह ११० का मुकदमा चला तो उसके पहले क्या उस चौकीदार ने रामस्वरूप की मां को रख लिया था और उसकी जायदाद को हड़प लिया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसके बारे में श्रीमन्, सूचना यह है कि वह बहुत नकबजनी आदि करता है और वह ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसकी इज्जत की जा सके। वह हिस्ट्रीशीटर है और उस पर ११० का मुकदमा चलाया गया।

श्री गौरीशंकर राय—प्रश्न संख्या १९ के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष को जो पत्र लिखा वह, और जो पत्र आई० जी० को एस० पी० ने लिख कर भेजा था उस पत्र की एक प्रतिलिपि क्या माननीय मंत्री जी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री गौरीशंकर राय—क्यों नहीं ? वह चतुर्भुज शर्मा के खिलाफ है इसलिये ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन, सरकार के अधिकारियों और सरकार के बीच में बहुत से पत्र-व्यवहार चला करते हैं जो गोपनीय होते हैं और जनहित में उनका रखना ठीक नहीं हुआ करता।

श्री गौरीशंकर राय—व्यवस्था का प्रश्न है। जब उस पत्र का एक अंश गोपनीय नहीं हो सकता है, तो वह पत्र हमारे लिए गोपनीय क्यों समझा जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह इस वक्त का प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप पहले उठा चुके हैं। उसके लिय मुझे आपको फैसला देना है। यह तो प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जवाब दिया—उसे सुन लीजिये।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६ बार की सजा होने पर रामस्वरूप की किसी विशेष व्यक्ति ने जमानत दी थी ? उसका नाम बता सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता, इस पर पहिले प्रकाश पड़ चुका है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि रामस्वरूप की मां को चौकीदार ने रख लिया था और क्या ११० का मुकदमा उस घटना के बाद चलाया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि १९५८ में जब रामस्वरूप छूटा तो दो साल तक उस पर ११० का मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया और १९६० की सितम्बर में ही क्या जरूरत पड़ी कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जेल से छूटे तो फौरन ही उसको ११० में भेज दिया जाय। उसका आचरण देखा जाता है। मुमकिन है कि वह जेल में सुधर गया हो। लेकिन पुरानी जो उसकी शोहरत थी कि वह चोरी करने का आदी है इसलिये उस वक्त वहां की स्थानीय पुलिस ने जरूरी समझा कि उस पर ११० का मुकदमा चलाया जाय।

श्री नवलकिशोर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५८ के बाद जब वह छूटा है तो उसके खिलाफ दो तीन छोटी-छोटी चोरियों का सन्देह था इसलिये पुलिस ने उस पर ११० की कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—जैसा कि मैंने निवेदन किया, उस दौरान में भी उसके खिलाफ ऐसी शिकायतें आयी थीं कि वह आदतन चोरी करता है और खराब आदत है इस वजह से ११० चलानी पड़ी।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी रामस्वरूप के जेल से छूटने के बाद और ११० का मुकदमा चलाने से पहले एक भी मामला ऐसा बता सकते हैं कि जिसमें उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई हो ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मेरे पास रिपोर्ट हैं कि उसके बारे में शिकायतें आयी हैं लेकिन नामजद रिपोर्ट के लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

उरई में श्री गोविन्दनारायण तिवारी के घर तलाशी

****२२—श्री गौरीशंकर राय तथा श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि २६ अप्रैल, १९६१ की रात को १० बजे उरई में एक विधायक के घर में दफा ३८० के अभियोग में तलाशी हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

****२३—श्री गौरीशंकर राय तथा श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त तलाशी किन तथ्यों के आधार पर की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—तलाशी लेने का कारण यह था कि उक्त अभियोग की तफतीश के दौरान में पुलिस को यह सूचना मिली कि चोरी गया एक पत्र विधायक के कब्जे में है।

****२४—श्री गौरीशंकर राय तथा श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या गृह मंत्री कृपया दफा ३८० की रिपोर्ट की नकल सदन की मेज पर रक्खेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९१०–९११ पर)

श्री गौरीशंकर राय—क्या यह सही है कि दफा ३८० की जो चोरी हुई है उसमें उस लेख के भी चोरी जाने की बात है जो उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री चतुर्भुज शर्मा द्वारा "एक प्रजा शोशलिस्ट नेता की हिस्ट्रीशीट" शीर्षक से लिखा गया था और जिसकी प्रतिलिपि, फोटोस्टेट कापी, पुलिस में चोरी की रिपोर्ट लिखाने के पहले श्री तिवारी ने जिलाधीश को दिखा दी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिलाधीश को तलाशी लेने के पहिले दिखायी गयी थी यह मेरे पास सूचना है। शर्मा जी ने अपने पुत्र को पत्र लिखा था वह भी चोरी गया था।

श्री गौरीशंकर राय—चोरी हुई २२ की दोपहर को, और तलाशी २३ की रात को हुई। दो फर्लांग थाने की दूरी है और २३ तारीख को शाम को साढ़े आठ बजे चोरी की रिपोर्ट लिखायी गयी। माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उस पत्र की प्रतिलिपि फोटोस्टेट कापी, जिलाधीश को तिवारी जी ने रिपोर्ट लिखाने के कई घंटे पहले दिखा दी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—उन्होंने २३ अप्रैल को यह पत्र जिलाधीश को और कई व्यक्तियों को दिखाया था।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो इंसीडेंट चोरी का बताया जाता है उसके पूर्व ही उसकी फोटो स्टेट कापी विधान सभा में आ गयी थी और कई सदस्यों को दिखायी गयी थी ?

श्री अध्यक्ष—यह वह कैसे बता सकते हैं। क्या आपको दिखायी गयी थी ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—जी हां, मैंने देखी थी।

श्री नवलकिशोर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो पत्र चोरी गया जिसके सम्बन्ध में जो संबंधित विधायक हैं उन्होंने स्वयं कई व्यक्तियों के सामने इस बात को कहा कि वह पत्र उनके पास है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बयान दिया था कि वह पत्र उन्होंने दो व्यक्तियों के जरिये से वहां से हासिल कर लिया था जहां के बारे में यह रिपोर्ट लिखायी गयी थी कि उनकी चोरी हो गयी है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह पत्र उन्होंने लखनऊ भेज दिया है। लखनऊ के जिन सज्जन का नाम उन्होंने लिया था जब उनसे दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने बतलाया कि वह पत्र इस वक्त उनके पास नहीं है। इसलिये पुलिस का यही खयाल था तलाशी से पहले कि वह पत्र गोविन्दनारायण जी के पास है। इस वजह से तलाशी ली गयी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस धारा के अनुसार तलाशी लेकर मामला खत्म कर दिया गया है या और भी अदालती कार्यवाही हो रही है या होने जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---३८० का मुकदमा दर्ज है और उसका इंवेस्टीगेशन हो रहा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरे सवाल के उत्तर में यह कहा गया है कि मुकदमा चल चुका और कार्यवाही हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब मुकदमा चलाये जाने की बात है तो प्रश्नोत्तर क्यों हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---३८० आई० पी० सी० में मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तक इंवेस्टीगेशन हो रहा है।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो तलाशी हुई है एक माननीय विधायक के घर पर, वह केवल उस पत्र के बारे में ही हुई जिसका वह जिक्र कर रहे हैं या उन पर और भी किसी प्रकार का सन्देह है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। उस सिलसिले में यह जांच हुई कि वह पत्र क्या हुआ। उसके बारे में माननीय तिवारी जी से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि दो व्यक्तियों के जरिये उन्होंने उसे मंगवा लिया है और वह बाहर भेज दिया गया है। बाहर से भी फौरन आदमी आये और उसने यह बताया कि वह उनके पास नहीं है। उसके बाद आवश्यक हो गया कि तलाशी ली जाय क्योंकि पुलिस ने समझा कि यह पत्र उन्हीं के पास है और शायद दो एक दिन में वह बाहर चले जायंगे।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---क्या आदरणीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जिलाधीश से जब सम्बन्धित विधायक महोदय मिले तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि नारायण नामी व्यक्ति से साढ़े तीन सौ रुपये में इस पत्र को खरीदा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उन्होंने पुलिस के सामने अपने बयान में यह कहा था कि नारायण तथा लाखनसिंह द्वारा पत्र हासिल किया है और रुपया देकर प्राप्त किया है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या यह सही है कि २६ तारीख को घर पर तलाशी हुई तो उस दिन साढ़े सात बजे शाम को कलेक्टर के बंगले पर एस० पी० के सामने जुडीशल मैजिस्ट्रेट को बुला कर उनसे तलाशी का वारंट लिया गया था क्योंकि प्रदेशीय सरकार के किसी उच्चाधिकारी या मंत्रिमंडल के सदस्य ने ऊपर से वह संकेत किया था ?

श्री रामस्वरूप यादव--पुलिस ने मैजिस्ट्रेट से सर्च वारन्ट लिया था लेकिन जिलाधीश के घर पर बुला कर लिया था ऐसी सूचना मुझे नहीं है।

श्री अध्यक्ष--दूसरी बात यह कि क्या किसी मंत्री के आदेश से दिया गया।

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं, किसी मंत्री ने कोई आदेश यहां से नहीं भेजा।

श्री चन्द्रजीत यादव---अभी थोड़ी देर पहले यह प्रश्न आया था कि एक विधायक ने अपनी हत्या के खतरे के सम्बन्ध में सरकार को पत्र लिखा और सरकार ने उस पत्र को केवल एक अधिकारी को सौंप कर ही सन्तोष कर लिया। लेकिन जब एक विधायक के खिलाफ एक पत्र और ४० रुपये की चोरी की रिपोर्ट की गई तो सरकार ने इतनी तत्परता कैसे दिखाई कि २४ घंटे के अन्दर ही एक पुलिस अफसर लखनऊ भेजा गया और वह पत्र किन सज्जन का था उनका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---आप स्थानीय अफसरों को कह सकते हैं कि तत्परता दिखाई, सरकार को क्यों कहते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह पत्र किन सज्जन का लिखा हुआ था जिसके सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों ने इतनी तत्परता दिखाई ?

श्री अध्यक्ष---नाम तो अभी बताया जा चुका है। गौरीशंकर राय जी ने उसका उल्लेख कर दिया है।

श्री गौरीशंकर राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४० सिपाही, चार थानेदार, एक कोतवाल और चार सर्किल इंस्पेक्टर की फोर्स लेकर तिवारी जी के घर पर जाने का क्या कारण था, क्या कम सिपाहियों से काम नहीं चल सकता था ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन तलाशी जरूर दस बजे हुई।

कुनिया बिहारीपुर ग्राम में व्यापारियों की लूट

**२५---श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)---क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि जिला शाहजहांपुर के अन्तर्गत ग्राम कुनिया, बिहारीपुर थाना मीरानपुर कटरा, में २४ अप्रैल, १९६१ को दोपहर में कुछ व्यापारियों को हथियारबन्द बदमाशों ने मारा-पीटा और लूट लिया और गांव वालों के पीछा करने पर पास के महमूदाबाद गांव में वे घुस कर भाग गये ? यदि यह सही है, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है और अब तक क्या परिणाम निकला है ?

गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह)--इस सम्बन्ध में दिनांक २४-४-६१ को थाने पर जो रिपोर्ट लिखाई गई उसके अनुसार कुछ व्यापारियों के लूटे जाने की घटना हुई थी जिसमें ग्रामवासियों के पीछा करने पर बदमाश भागने में सफल हुए।

इस रिपोर्ट पर धारा ३९२ भा० दं० वि० का अभियोग अंकित किया गया और जांच की जा रही है। अब तक जांच से चार अभियुक्तों का पता चला है।

नोट---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

२८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न २२ (अ) के उत्तर में शोधन

गृह मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक २८ फरवरी, १९६१ को श्री रामस्वरूप वर्मा ने तारांकित प्रश्न संख्या २२ (अ) में यह पूछा था कि क्या गृह मंत्री रासायनिक खादों के सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे :

"१ अप्रैल, १९६० को सरकार के पास कितनी तौल और कितनी कीमत की कौन-कौन सी रासायनिक खादें स्टाक में थीं ?"

उस समय उक्त प्रश्न के उत्तर में सदन में निम्नलिखित सूचना दी गई थी :

तालिका "क"

१ अप्रैल, सन् १९६० ई० को रासायनिक खादें जो स्टाक मे थीं उनकी मात्रा तथा मूल्य निम्नांकित तालिका में दी हुई है :

नाम रासायनिक उर्वरक	मात्रा जो (१-४-६०) को स्टाक में थी (टनों में)	मूल्य (रुपयों में)
(१) अमोनियम सल्फेट	९४,३००	३,३०,०५,०००
(२) यूरिया	१३,०६०	९०,७६,७००
(३) अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट ..	९,८०९	४०,७०,७३५
(४) कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ..	५,३६०	१७,६८,८००
(५) अमोनियम नाइट्रेट	१,१९२	७,२९,५०४
(६) चिलियन नाइट्रेट	७५१	२,३०,७५१
(७) अमोनियम क्लोराइड	१,३७५	५,३८,२५७*
(८) अमोनियम फास्फेट	१,४३१	१०,०१,७००
(९) नाइट्रोफास्फेट	५३७	३,०८,७७५
(१०) सुपर-फास्फेट	२६,६९६	५५,९२,८१२
योग ..	१,५४,५११	५,६३,२३,०३४

*नोट—यह आंकड़ा अन्तिम नहीं है ।

उपरोक्त उत्तर में क्रमांक ५ और ७ पर लिखे खादों के आंकड़े सही नहीं हैं, जिसका पता बाद में चला। वही आंकड़े इस प्रकार हैं :

	मात्रा जो (१-४-६०) को स्टाक में थी (टनों में)	मूल्य (रुपयों में)
(५) अमोनियम नाइट्रेट	१,१४८	७,०२,५७६
(७) अमोनियम क्लोराइड	५	१,९५७*

*नोट—यह आंकड़ा अन्तिम नहीं है ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा १७ मई, १९६१ के स्थगित प्रश्न]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में सुझाव

*१—श्री प्रतापसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ३ दिसम्बर, १९५५ को श्री आचार्य रमन की अध्यक्षता में निर्माण विभाग के कर्मचारियों के विषय में एक कमेटी सरकार ने नियुक्त की थी? यदि हां, तो उसने अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों के स्थायीकरण के विषय में क्या सिफारिश की है?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री गिरधारीलाल)—जी हां। दिसम्बर, १९५५ में सार्वजनिक निर्माण विभाग में भूतपूर्व निर्माण उप-मंत्री श्री लक्ष्मीरमण आचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त हुई थी। विभाग के कर्मचारियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में उक्त कमेटी के सुझाव सूची 'क' में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९१२–९१३ पर)

*२—श्री प्रतापसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त रिपोर्ट की कितनी सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं?

श्री गिरधारीलाल—उक्त कमेटी की जो सिफारिशें सरकार ने मान ली हैं वे सूची 'ख' में दी हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९१२–९१३ पर)

* * * *

स्टार एण्ड ग्रिड फार्मूला के अन्तर्गत निर्माण-कार्य

*५३—श्री गोविन्दसिंह विष्ट, आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ) तथा कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि Star and Grid Formula के हिसाब से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कितनी-कितनी पक्की व कच्ची सड़कें अलग-अलग बननी चाहिये थीं, उनमें से कितनी-कितनी बन गई हैं तथा इन जिलों का क्षेत्रफल कितना-कितना है?

श्री गिरधारीलाल—वांछित सूचना संलग्न †तालिका १ में दी गई है।

*५४—श्री गोविन्दसिंह विष्ट, आचार्य दीपंकर तथा कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिलेवार कौन-कौन व कितने मील सड़कें व कौन-कौन पुल स्वीकार किये गये हैं?

श्री गिरधारीलाल—वांछित सूचना संलग्न †तालिका २ व ३ में दी गई है।

---

† तालिका छापी नहीं गई।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

* * *

कानपुर में अवैध गांजा की बरामदगी

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या आबकारी मंत्री का ध्यान कानपुर सेन्ट्रल रेलवे के पार्सल क्लर्क की उस शिकायत की ओर आकर्षित हुआ है जो कि मार्च, १९६१ के तीसरे सप्ताह में तीन गांजे के पार्सलों की एक्साइज इंस्पेक्टर द्वारा जांच करने में उपेक्षा करने पर वहां के जिला मजिस्ट्रेट से की गयी थी और उसकी आज्ञा से उनके खोले जाने पर उनमें कई हजार रुपये का गांजा बरामद हुआ था ?

आबकारी मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—जी हां। एक्साइज इंस्पेक्टर को अमुक सूचना पार्सल क्लर्क से नहीं बल्कि एस० पी० सिटी द्वारा प्राप्त हुई थी और उन्होंने जांच करने में कोई उपेक्षा नहीं की। उपरोक्त अधिकारी की रिपोर्ट पर ही ए० डी० एम० सिटी द्वारा मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति का आदेश हुआ और जांच की गई, जिस में ९७ किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था, जिसकी कीमत लगभग ४००० रुपये की होगी।

*५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या आबकारी मंत्री के पास हाल में इस आशय की भी शिकायतें आई हैं कि कानपुर में मादक वस्तुओं का रेलों, ट्रकों, मोटरों, बसों आदि से रोजाना प्रचुर मात्रा में आयात होता है और उनका सेवन करने वाले शहर में खुले आम नशे की हालत में घूमते रहते हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं। मादक वस्तुओं के इस प्रकार के यातायात पर पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है, जांच की जाती है और बराबर अपराधी पकड़े जाते हैं। नशे में पाये गये मनुष्यों की धरपकड़ पुलिस द्वारा होती है क्योंकि आबकारी ऐक्ट में उनके पकड़ने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

[आबकारी मंत्री की प्रार्थना पर १२ मई, १९६१ के स्थगित प्रश्न]

* * *

*२-३—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[हटा दिये गये।]

नेशनल चैम्बर आफ कामर्स ऐन्ड इंडस्ट्रीज यू० पी०, आगरा का पेट्रोल टैक्स सम्बन्धी पत्र

*४—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या जनवरी, १९६१ में नेशनल चैम्बर आफ कामर्स ऐंड इंडस्ट्रीज, यू० पी०, आगरा का पेट्रोल डीलर्स को पेट्रोल टैक्स अदा करने में जो दिक्कतें होती हैं उनके बारे में कोई आवेदन-पत्र सरकार के पास आया था ? अगर हां, तो सरकार ने उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। नेशनल चैम्बर आफ कामर्स ऐंड इंडस्ट्रीज, यू० पी०, आगरा को इस सम्बन्ध में प्रथम ही सूचित किया जा चुका है कि उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन अधिनियम के अनुसार अमुक टैक्स कुलकर बिक्रताओं से ही वसूल किया जायगा।

*५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार उस आवेदन-पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—उपरोक्त आवेदन-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९१४-९१५ पर)

जेलों का निरीक्षण

*६—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब से वे जेल विभाग के मंत्री हुए हैं उन्होंने अब तक कितनी जेलों और कहां-कहां की जेलों का निरीक्षण किया ?

डाक्टर सीताराम—आबकारी मंत्री ने जिला जेल, मेरठ तथा जिला जेल, आगरा का निरीक्षण किया।

*७—श्री अमरनाथ—क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब से उनको जेल विभाग मिला है तब से जिन जेलों का उन्होंने निरीक्षण किया उनमें क्या-क्या अनियमिततायें उनको मिलीं और उन पर क्या कार्यवाही उन्होंने की ?

डाक्टर सीताराम—कोई अनियमितता उक्त जेलों में नहीं मिली।

* * *

बदायूं जेल से जमानती कैदी न छोड़ने की जानकारी

*९—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं जेल में मार्च, १९६० में किसी व्यक्ति की जमानत की मंजूरी का आर्डर आ गया और उस व्यक्ति को ६ दिन तक नहीं छोड़ा गया ?

डाक्टर सीताराम—जांच कराने पर ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला।

* * * *

आउट कैम्प वाली जेलें

*१८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितनी जेलें ऐसी हैं जिनके कैदी बाहर camp में रह कर काम करते हैं ?

डाक्टर सीताराम—दो।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

बन्दियों द्वारा कमाया धन तथा जेल विभाग का बकाया

*१—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि इस समय करीब दस लाख रुपया यू० पी० जेलों के उचन्त (suspense) खाते में ऐसा पड़ा है जो कैदियों द्वारा की गई मजदूरी आदि का है ? यदि हां, तो इस रुपये को कैदियों के छूटते समय न बांटे जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, केवल १,२२,५०२ रुपया ऐसा अवश्य है जिसे सम्पूर्णानन्द शिविर एवं आदर्श कारागार के बंदियों ने कमाया था और जो उनके खाते में जमा है।

कारण यह है :—

(१) सिंचाई विभाग से तथा चुर्क फैक्ट्री से रुपया देर से मिला।

(२) कुछ धनराशि छूटे हुए बंदियों को उनके बतलाये पते पर मनीआर्डर से दो बार भेजी गई परन्तु वापस आ गयी।

(३) कुछ धनराशि ऐसी है जिसमें प्रति व्यक्ति की उपार्जित मजदूरी १५ नये पैसे से भी कम है और वह मनीआर्डर से नहीं भेजी जा सकती।

*२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय यू० पी० जेल विभाग का बाहरी लोगों व अन्य विभागों पर कितना रुपया Outstanding Dues है? वह कब से है और उसके वसूल करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं?

डाक्टर सीताराम—बाहरी लोगों पर:—

९,७०६.३९ रुपये।

अन्य विभाग—

३,९८,८२४.०६ रुपये।

अधिकांश रुपया १९५४ से बाद का है। इसकी वसूली के लिये सम्बन्धित विभागों व बाहरी लोगों से निरन्तर पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

उर्दू-शिक्षा अनुदान

*३—श्री अमरनाथ—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस राज्य में अलग-अलग जिलों में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में उर्दू की शिक्षा देने वाली संस्थाओं को कुल कितना धन अनुदान के रूप में और दूसरे रूप में दिया गया?

शिक्षा मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी हां।

† सूचना तालिका "क", "ख", "ग" तथा "घ" में प्रस्तुत है।

आजमगढ़ जिले में हायर सेकेन्डरी स्कूलों के अनुदान की शर्तें

*४—श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में १९६०-६१ में कतिपय हायर सेकेन्डरी स्कूलों को किन-किन शर्तों पर अनुदान दिया गया है?

आचार्य जुगलकिशोर—आजमगढ़ जिले में १९६०-६१ में ३७ साहाय्यिक विद्यालयों को शिक्षा संहिता के अनुच्छेद २९३ में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत अनुपालन अनुदान दिया गया है।

*५—श्री तेजबहादुर—क्या अनुदान पाने के लिये आवश्यक है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट द्वारा निश्चित प्रशासन योजना (Scheme of Administration) को मान लें? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६०-६१ में आजमगढ़ में अनुदान पाने वाले उपर्युक्त प्रकार के स्कूलों में से किस-किस स्कूल ने उक्त योजना को स्वीकार कर लिया है?

आचार्य जुगलकिशोर—इंटरमीडिएट एजूकेशन संशोधित ऐक्ट, १९५८ की धारा १६-ए (१) तथा (६) के अनुसार प्रशासन योजना प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिये आवश्यक है।

ऐक्ट की धारा १६-बी (१) के अनुसार जिन विद्यालयों ने प्रशासन योजना उप-निदेशक (मण्डल) को प्रस्तुत कर दी है उनकी सूची (क) संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९१६ पर)

---

† तालिकायें छापी नहीं गईं।

[१९ मई, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

स्थानीय निकायों के अध्यापकों का महंगाई भत्ता

*१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसके ९ मार्च, १९६१ को भेजे गये जी० ओ० नम्बर डी-II-७३/१५-३१६-६० से १९४९ से पूर्व के नगरपालिकाओं आदि के अध्यापकों की महंगाई पहले से भी कम हो गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—(१) जी नहीं ।

प्रश्नगत जी० ओ० के अनुसार महंगाई पहले से कम नहीं हुई है। यह बात राजाज्ञा दिनांक ११-५-६१ द्वारा स्पष्ट कर दी गई है।

*२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार को यह मालूम है कि जब नगर-पालिकाओं के चपरासियों को पैंतीस रुपये मासिक तक महंगाई मिलती है तब इन अध्यापकों को उसकी आधी अर्थात् १७ रु० मासिक महंगाई ही मिलेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—(२) प्रश्न नहीं उठता।

*३-४—श्री गनेशचन्द्र काछी—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६—श्री रामस्वरूप वर्मा—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

खीरी जिले में राजनीतिक पेंशन

*७—श्री बंशीधर शुक्ल तथा श्री छेदीलाल (जिला खीरी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खीरी जिले से राजनीतिक पीड़ितों की पेंशन की जनवरी, १९५४ से मार्च, १९६१ तक कितनी दरख्वास्तें आयीं और उन पर कितनों को पेंशनें दी गई और कितनों की दरख्वास्तें रद्द की गयीं तथा कितनों की विचाराधीन हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—सन् १९५४ से मार्च, १९६१ तक कुल कितनी दरख्वास्तें आईं और उनमें से कितनी खारिज की गयीं यह सूचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि Weeding Rules के मुताबिक अधिकांश अस्वीकृत प्रार्थना-पत्र १ साल के बाद नष्ट कर दिये जाते हैं। स्वीकृत तथा विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

बस्ती जिले में रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्तों को मुआवजा

*८—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती) तथा श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर रीजन के बस्ती जिले में रोडवेज बस द्वारा हुई दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को कितना मुआवजा वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में सरकार द्वारा देना स्वीकार किया गया है और उनमें से कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है और कितने व्यक्तियों को कितना-कितना मुआवजा दिया जाना शेष है ?

श्री मुजफ्फर हसन—वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में केवल ६ व्यक्तियों को कुल १,२४० रुपया बतौर मुआवजा देना स्वीकार किया गया था। इन में से ५ व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा चुका है और केवल एक व्यक्ति को कुल ९५० रुपया देना बाकी है।

*९-११—श्रीमती शकुंतला देवी (जिला सहारनपुर)—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

प्राइवेट शिक्षार्थियों को बी० ए० तथा एम० ए० की परीक्षा देने की व्यवस्था न होना

*१३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे साइंस के अलावा अन्य विषयों में अध्यापकों के सिवाय अन्य प्राइवेट शिक्षार्थियों को भी बी० ए० तथा एम० ए० की परीक्षायें दे सकने की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था कब तक हो सकेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*१४—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५-१७—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर में डिग्री कालेज की आवश्यकता

*१८—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या फतेहपुर में डिग्री कालेज खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है या उनके द्वारा स्वीकार हो चुकी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

*१९—श्री वासुदेव दीक्षित—यदि हां, तो उक्त योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता ।

*२०-२२—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती)—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२३—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बाराबंकी जिले में वेश्यावृत्ति उन्मूलन योजना लागू करने की प्रार्थना

*२४—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत १२ वर्ष से २५ वर्ष तक की आयु वाली कुल कितनी वेश्यायें हैं? क्या सरकार का विचार उक्त जिले में भी वेश्यावृत्ति उन्मूलन करने की योजना लागू करने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर—अभी तक प्रदेश में कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया गया है कि जिससे यह ज्ञात हो सके कि जिला बाराबंकी या अन्य किसी जिले के अन्तर्गत १२ वर्ष से २५ वर्ष तक की आयुवाली कुल कितनी वेश्यायें हैं।

वेश्यावृत्ति उन्मूलन करने की योजना अन्य जिलों की भांति बाराबंकी में भी लागू है, परन्तु प्रगाढ़ रूप से लागू करने का अभी विचार नहीं है ।

*२५-२७—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२८–२९—श्री गौरीशंकर राय—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*३०–३१—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

एटा-मैनपुरी बस सर्विस

*३२—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा से मैनपुरी तक राजकीय रोडवेज की बस सर्विस कब से आरम्भ की जायेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही हो जाने के बाद ।

आगरा विश्वविद्यालय सम्बन्धित अनुदान न पाने वाले महाविद्यालय

*३३—श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कितने महाविद्यालय हैं जिन्हें मान्यता तो प्राप्त है लेकिन कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है ? इनमें से बालकों के कितने हैं और बालिकाओं के कितने हैं तथा वे कौन-कौन से हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—४५ विद्यालय हैं । इनमें से बालकों के ३९ तथा बालिकाओं के ६ हैं जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९१७–९१८ पर)

सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों की खरीद

*३४—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके द्वारा वित्तीय वर्ष १९५९–६० तथा १९६०–६१ में कितनी-कितनी मोटर कारें, जीपें और ट्रकें किन-किन शहरों के दूकानदारों से खरीदी गयीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९१९ पर)

*३५—श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—[चौदहवें मंगलवार के लिये प्रश्न ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गांधी आदर्श विद्यालय, बढ़नी के बहाल अध्यापकों का बकाया वेतन

*३६—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बस्ती के गांधी आदर्श विद्यालय, ग्राम बढ़नी, तहसील डुमरियागंज के जिन अध्यापकों को १९५९ में बरखास्त कर दिया गया था वे आरबीट्रेशन बोर्ड से १९६० में निर्दोष साबित हुये और मय पिछली तनख्वाह के बहाल हुये ? यदि हां, तो उनका बकाया वेतन अब तक न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्र की जा रही है ।

जेल उद्योग कर्मचारी

*३७—श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)—क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने जेल उद्योग कर्मचारी हैं ? क्या सरकार १९५५–५६ की जेल उद्योग जांच समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—इस समय ७० उद्योग कर्मचारियों के पद हैं जिनमें से १२ स्थान रिक्त हैं । इस ७० की संख्या में जेल डिपो के कर्मचारी जैसे मैनेजर, क्लर्क, चौकीदार इत्यादि भी सम्मिलित हैं । जिनकी संख्या ७ है ।

आजमगढ़ जिले में असरकारी माध्यमिक विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान

*३८—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में किन-किन असरकारी माध्यमिक विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान (preliminary grants) दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—आजमगढ़ जिले के निम्नांकित तीन असरकारी माध्यमिक विद्यालयों को १९६०-६१ में प्रारम्भिक अनुदान दिया गया है :—

१—कृषक उ० मा० वि० सर्वोदयनगर, मार्टिन गंज, आजमगढ़ ।

२—सुखनन्दन उ० मा० वि०, मठ मुहम्मदपुर, आजमगढ़ ।

३—सर्वोदय उ० मा० वि०, गजियापुर, आजमगढ़ ।

*३९—श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—उक्त प्रत्येक विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा कब-कब मान्यता प्रदान की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—उक्त विद्यालयों को क्रमशः वर्ष १९५४-१९५६ व १९६२ की हाई स्कूल परीक्षा से प्रत्येक को साहित्यिक वर्ग में मान्यता प्रदान की गई है ।

अतारांकित प्रश्न

५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)—[चौदहवें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

परिवहन विभाग को तीसरी पंचवर्षीय योजना में न शामिल करना

२—श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री राजेन्द्रसिंह—क्या मंत्री परिवहन राज्य परिवहन विभाग की तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक प्रति सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि परिवहन विभाग तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

प्रश्नों की ग्राह्यता के संबंध में जानकारी की मांग

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या बुन्देलों के तिकड़म से इस आदरणीय सदन को बचाने की कृपा करेंगे ?

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १९,२०, और २१ के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि प्रक्रिया नियमावली के अध्याय ७, जिसमें यह कहा गया है कि किस प्रकार के प्रश्न स्वीकार नहीं किये जायंगे उसमें यह स्पष्ट है कि "उसमें किसी व्यक्ति के सरकारी अथवा सार्वजनिक पद के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण का उल्लेख नहीं होगा. . . ." आप इस वाक्य पर ध्यान दें । आप यह देखें कि इस प्रश्न में स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति के चरित्र और आचरण के ऊपर क्षति पहुंचती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न कैसे स्वीकार कर लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—इस व्यक्ति के बारे में यहां सदन में जिक्र आ चुका था एक विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में, तो इससे उसके चरित्र के बारे में सफाई भी हो सकती थी इसलिये यह चीज पब्लिक इन्टेरेस्ट की समझी गई ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इस प्रश्न से, उरई के माननीय सदस्य के घर पर जो तलाशी हुई, उसकी सफाई नहीं हुई है इसलिये अच्छा होगा कि आप एक घंटे के विवाद का समय रख दें ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप बैठें ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपका आभारी हूं कि इन प्रश्नों को आपने स्वीकार किया । मैं माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह से सहमत नहीं हूं । मैं भविष्य के लिये जानना चाहता हूं कि जब हिस्टरी शीटर्स का सवाल उठाया गया तो कुछ जिलों में ऐसे मामले मेरे ज्ञान में हैं, बीसों मामले हैं, उनके बारे में मैं भी पूछ सकूं यह आप इजाजत दें ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—मेरे यहां एक व्यक्ति को १३ तारीख को कुछ लोग पकड़ ले गये थे जिसको अब गोली से मार दिया गया है ....

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

आपने अगर प्रश्न पूछा, तो शार्ट नोटिस क्वैश्चन्स जैसे होते हैं मैं मंत्री जी के पास भेज देता हूं । मैंने कह दिया था कि चूंकि सदन उठने वाला है तो जितने आवें उतने भेज दिये जावें । जितने माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किये कि हम जवाब दे सकते हैं उतने ही आ सके । आप के प्रश्नों की जानकारी वह प्राप्त नहीं कर सके इसलिये उत्तर नहीं दे सके ।

श्री लखमीसिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को यह दुखद समाचार देते हुए दुख होता है कि इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री लखमीसिंह जी का, जो अलीगढ़ जिले में विधान सभा के सदस्य थे, निधन हो गया है, वह एक उत्साही कार्यकर्त्ता थे और कांग्रेस से सम्बद्ध थे । वह वहां की जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री भी थे । उस नगरी में उनका बहुत सी सार्वजनिक संस्थाओं से संबंध था । किन्हीं कारणों से १९५९ में वहां एक उपचुनाव हुआ, उसमें वह कांग्रेस उम्मीदवार के विरुद्ध स्वतन्त्र रूप से चुन कर आये । बाद में वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गये । जैसा मने कहा, वह एक उत्साही कायकर्त्ता थे और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बहुत सी चीजों के निर्मित करने में हिस्सा लिया था । उन्होंने जेल की यातनायें भी सही थीं और अपने राजनीतिक विचारों के लिये वह कई मर्तबा जेल भी गये थे । हम सब को दुख है कि ऐसा होनहार, आगे सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाला व्यक्ति थोड़ी ही उम्र में हमारे बीच से उठ गया । हमें अपनी सहानुभूति उनके घर वालों के साथ और उनके मित्रों के साथ जो हैं, उनको भेजनी चाहिये । मैं अपनी ओर से और इस सदन के सदस्यों की ओर से उनके सन्तप्त परिवार के प्रति समवेदना प्रकट करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि इस सदन की समवेदना उनके सन्तप्त परिवार के पास भेजने की कृपा करें ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, हम सभी के लिये बड़े दुख का समय है कि इस आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य लखमी सिंह जी का देहान्त हो गया । हालांकि उनके सम्पर्क में आने का मुझे विशेष अवसर नहीं प्राप्त हुआ था लेकिन यह मुझे मालूम है कि वह अलीगढ़ जिले में एक प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे । राष्ट्रीय आन्दोलनों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया और उसके लिये जेल की यातनायें भी भुगतीं । अलीगढ़ जिला बोर्ड के सदस्य भी वह कुछ दिनों तक रहे और गोंडा में एक इन्टरमीडिएट कालेज के कायम कराने में और उसके चलाने में उनका विशेष हाथ रहा । उनके न रहने से हमारे बीच के एक माननीय सदस्य तो उठ ही गये परन्तु इस प्रदेश के एक पुराने समाजसेवी भी चले गये, उनके संबंध में माननीय नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मान्यवर, मैं अपने को और इस ओर बैठने वाले अन्य माननीय सदस्यों को सम्बद्ध करता हूं । आपसे यह प्रार्थना है कि उनके दुखी परिवार को हमारी समवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, हम सबको दुख है कि आज इस सदन के माननीय सदस्य लखमीसिंह जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। उनके संबंध में सब से बड़ी बात तो यह है कि वह बड़े कर्मठ व्यक्ति थे। जो उनमें कार्य करने की शक्ति और लगन थी उससे साफ है कि उनके चले जाने से जो क्षति हुई है, वह बहुत बड़ी है। उनके काम करने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह चुनाव में स्वतन्त्र सदस्य की हैसियत से सभी विरोधियों को पराजित करके आये थे। उनका न रहना खेद का विषय तो है ही, पर मैं समझता हूं कि एक योग्य कार्यकर्त्ता हम लोगों के बीच से उठ गया। इसलिये मैं अपनी और अपने दल की ओर से उनके दुखी और सन्तप्त परिवार के प्रति अपनी समवेदना प्रेषित करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप उसे उनके सन्तप्त परिवार के पास पहुंचा देंगे। साथ ही माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो उनके बारे में भावनायें व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने को और अपने दल को, माननीय नेता सदन ने और नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे सम्बद्ध करता हूं और श्रीमन्, से प्रार्थना करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की समवेदना उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुख की बात है कि आये रोज स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एक-एक करके चलते जा रहे हैं और हमें यह दुख रोज देखने को मिल रहा है। लखमीसिंह जी एक कर्मनिष्ठ, त्यागी और साइलेन्ट वर्कर थे। वह काम में, ऐक्टिव वर्क में, ज्यादा विश्वास करते थे, बातों में कम। मुझे उनके साथियों से पता लगा कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य यूं तो थे नहीं लेकिन वह किसान सभा के नेता थे और उन्होंने केवल इस आदरणीय सदन में अपना सम्बन्ध कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ रखा था। सन् ३०, ४१ और ४२ के तीनों आन्दोलनों में उन्होंने भाग लिया। उनके रिक्त स्थान की पूर्ति होना निकट भविष्य में संभव नहीं है। मैं अपने को और अपने दल को इस आदरणीय सदन के नेता, विरोधी दल के नेता और अन्य दलों के नेताओं के विचारों से सम्बद्ध करते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शान्ति दे और आप से प्रार्थना करता हूं कि उनके दुखी परिवार को—यद्यपि वह अविवाहित थे जहां तक मुझे खयाल है—तो जो भी उनके परिवार में हो उनको हमारी समवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, माननीय लखमीसिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। वह एक सरल और साधु स्वभाव के राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता जीवन भर रहे। युवावस्था से अन्तिम समय तक जो उनका विशेष स्वभाव था और जिस प्रकार से वह अपने साथी कार्यकर्त्ताओं से व्यवहार करते थे उसके कारण अलीगढ़ में, उनके समवयस्कों में और उनके बड़े-छोटों में उनका निकनेम "लीडर" हो गया था। सब लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। उन्होंने सन् ३०, ३२, ४१ तथा ४२ के अगस्त विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तीनों में जेल गये और सन् ४२ के अगस्त विद्रोह में तो वह काफी अरसे तक नजरबन्द रहे थे। जिला बोर्ड के मेम्बर भी वह रहे और अलीगढ़ में गोंडा नाम का एक टाउन है, वहां के इन्टरमीडिएट कालेज की स्थापना, संचालन और प्रबन्ध में उनका उसके जन्म से ही प्रमुख हाथ रहा। वे एक किसान कार्यकर्त्ता थे और इसलिये उनके गुणों से प्रभावित होकर वे आखिर में तीन वर्ष पूर्व सारे जिले की किसान सभा के अध्यक्ष भी चुने गये थे। अलीगढ़ के सभी प्रकार के आन्दोलनों में उनका सक्रिय भाग रहा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इधर कुछ अरसे से वह दमे के पुराने दायमी मरीज रहे थे और उससे उनको कष्ट भी बहुत था। सदन में वह पीछे बैठे रहते थे और जब तक उनके दमें की तकलीफ बढ़ती नहीं थी वह बैठे रहते थे। कई बार वे इस सदन में बोले भी और अपनी पश्चिमी भाषा में वह बड़ी सूझ-बूझ की बातें कहते रहे। मुझे भी उनके बारे में अनुभव हुआ। हमारे दल की मीटिंगों में उनकी निर्भीक दृष्टि, सूझ बूझ से हम लोग बड़े प्रभावित थे। एक बहुत पुराने जमाने से राष्ट्रीय आन्दोलन, क्रान्तिकारी आन्दोलन आदि की परम्परा यह रही है कि उसके कार्यकर्त्ता शादी नहीं करते थे और हमारे मुख्य मंत्री और विरोधी दल के नेता दोनों इसके उदाहरण मौजूद हैं। उन्होंने भी जन्म भर विवाह नहीं किया था। उनकी अवस्था ५५ वर्ष की थी। उनके चले जाने से अलीगढ़ और प्रदेश के सामाजिक सियासी जिन्दगी में जो जगह खाली हो गई है वह बहुत समय तक तो भरी नहीं जा सकती है।

मान्यवर, जो भावनायें यहां व्यक्त की गई हैं उनके साथ सहमति व्यक्त करता हुआ मैं अपनी और अपने दल की ओर से आप से यह प्रार्थना करूंगा कि आप हमारी समवेदनायें और सहानुभूति के यह थोड़े से शब्द उनके परिवार वालों के पास भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—श्री लखमीसिंह जी के असामयिक निधन के ऊपर जो भावनाएं सदन के नेता तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त की हैं उन भावनाओं से मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं। लखमीसिंह जी एक अच्छे राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता रहे हैं और अपने बचपन से ही राष्ट्रीय आन्दोलन में शामिल रहे हैं। बचपन से मेरा मतलब प्रारम्भिक भरी हुई जवानी से है। वे इसी समय से ही राष्ट्रीय आन्दोलनों में पड़ गये और बराबर जब तक स्वराज्य नहीं मिला तब तक आन्दोलनों में भाग लेते रहे और कई दफे जेल गये। सन् ३०, ३२, ४० तथा ४२ में, और सन् ४२ में तो वह कई सालों तक जेल में रहे। ऐसे सच्चे कार्यकर्त्ता की इतनी अल्प आयु में मृत्यु एक दुखद घटना है। बूढे तो जाते ही रहते हैं लेकिन जिनसे हमें अधिक आशा हो सकती थी वह तो यही लोग हैं जो तपे तपाये भी हों, ५० और ६० के दरमियान हों और जिनसे हम वर्षों तक सेवा की अपेक्षा कर सकते थे। उनकी मृत्यु हो जाने से आज हमारे देश का जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति होनी कठिन है। ऐसे सच्चे तपस्वी, निराभिमानी, सीधे साधे सज्जन कार्यकर्त्ता की मृत्यु पर हम सब को शोक है और जो हमने अपनी भावनायें और समवेदनायें व्यक्त की हैं उनको मैं उनके सन्तप्त परिवार के पास भेज दूंगा। अब हम उठ कर दो मिनट तक उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(सब सदस्य २ मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष—क्योंकि वे हमारे सदन के वर्तमान सदस्य थे इसलिये मैं समझता हूं कि एक घंटे के लिये सदन की बैठक स्थगित कर दी जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि आज दिन भर के लिये स्थगित कर दी जाय और आज की कार्यवाही कल ले ली जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि आज एक घंटे के लिये बैठक स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—अधिकतर माननीय सदस्यों की यही इच्छा है कि आज एक घंटे के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय। अब हम १ बजकर २० मिनट पर फिर बैठेंगे।

(इस समय १२ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और १ बजकर २२ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद की अध्यक्षता में कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

मतगणना के संबंध में सूचना

श्री अधिष्ठाता—कल जो निर्वाचन हुए थे उसकी मतगणना विधान वाचनालय में २ बजे से होगी, जो माननीय सदस्य उस समय जाना चाहें वे जा सकते हैं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अधिष्ठाता महोदय, शुरू में तो कोरम होना ही चाहिये परन्तु सदन में कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—२ बजे तक कोरम का प्रश्न नहीं है।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैंने ४ मई को एक अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न दिया था और उसके संबंध में अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया था कि वह जल्द आ जायगा लेकिन १८ तारीख को जो प्रश्न दिये गये थे वह तो आ गये लेकिन ४ मई के प्रश्न आज १९ तारीख है, आजतक नहीं आये जब कि आज शाम को सेशन खत्म हो रहा है। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह पक्षपात क्यों किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप माननीय अध्यक्ष के कार्यालय से मालूम कर लें।

श्री रूमसिंह—श्रीमन्, इस तरह का पक्षपात होता है कि हमारे प्रश्न अध्यक्ष के आश्वासन के बाद भी . . . . .

श्री अधिष्ठाता—इसमें पक्षपात की बात नहीं है, आप लिखकर भेज दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैंने दफा ५२ में एक नोटिस दिया था कि कुछ योजनायें हैं जिनमें घाघरा की और गंडक नदी की योजनायें भी हैं वह नहीं ली गई हैं . . . . .

श्री अधिष्ठाता—आप बैठें, मैं नियम ५२ वाला आइटम ही ले रहा हूं।

३०० रुपये से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों को चपरासी न दिये जाने के फलस्वरूप हजारों चपरासियों के बेकार होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता—मैंने दफा ५२ के अन्तर्गत श्री प्रतापसिंह का प्रस्ताव स्वीकार किया है जो मैं पढ़े देता हूं "प्रदेशीय सरकार की हाल की बचत योजना में ३०० रुपए से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों से चपरासी वापस लेने के आदेश कर दिये गये हैं, जिससे प्रदेश में ३,००० चपरासी से अधिक लोग निकाले जायंगे, जिससे बेकारी की समस्या अधिक बढ़ जायगी और निकाले हुए चपरासियों के बाल-बच्चे भूखे मरने लगेंगे। इससे उत्पन्न गंभीर परिस्थिति की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी बता दें कि वह कब अपना वक्तव्य दे सकते हैं?

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मैंने, श्रीमन्, दफा ५२ के अन्तर्गत सवाल दिया था और कल भी दिया था . . . . .

श्री अधिष्ठाता—वह तो एक ही लिया जाता है, एक ले लिया है।

श्री बंशीधर शुक्ल—श्रीमन्, आप पढ़कर देख लें कि वह कितना जरूरी । है केनाडा एम्बेसी की एक औरत को गोरखपुर ले जाया गया और गायब कर दिया गया, और उसका रुपया भी ले लिया . . .

श्री अधिष्ठाता—आप बैठ जायं, एक ही नियम ५२ का प्रस्ताव लिया जा सकता है, वह एक मैंने प्रतापसिंह जी का ले लिया है ।

श्री बंशीधर शुक्ल—आखिर इसको न लेने का कारण क्या है, वह कारण तो बतलाया जाना चाहिये । यह क्या है कि चाहे लें या न लें ।

श्री अधिष्ठाता—आप बैठें कारण कुछ नहीं है, यही है कि एक ही लिया जाता है ।

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, मैं ३ दिन का समय चाहता हूं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, असेम्बली तो खत्म हो रही है, यह फिर कैसे आयेगा ।

श्री रामस्वरूप यादव—आज असेम्बली ५ बजे खत्म हो रही है, ५ बजे तक पूरी सूचना मंगाकर देना सम्भव नहीं होगा ।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि जो प्रस्ताव में मैंने रखा है मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने उसको लिया । यह ३,००० व्यक्तियों की जिन्दगी का सवाल है, इसमें सूचना जिले से नहीं आना है, सरकार की जो बचत की योजना है उसके अन्तर्गत यह हो रहा है, इस संबंध में सरकार अपनी नीति बता दे, इसमें दो चार दिन का सवाल नहीं है, ५ बजे तक वह बता दें ।

श्री अधिष्ठाता—जब माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं तो उनको मजबूर कैसे किया जा सकता है । आप उनसे लिख कर पूछ सकते हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंत्री जी इतना आश्वासन तो दे दें कि यह ३,००० आदमी निकाले नहीं जायंगे, बाद में जो डिटेल हो वह दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—यह आपने कह दिया । वह कुछ कहना चाहें तो कह दें, मैं इजाजत दे दूंगा ।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह फैसला तो बहुत पहले हो गया था, आज नहीं हुआ है कि चपरासी हटाए जाएंगे, और माननीय प्रतापसिंह जी का यह कहना कि प्रादेशिक स्तर पर ही यह आंकड़े होंगे ऐसी बात नहीं है बल्कि जिला स्तर पर भी बहुत से ऐसे अफसर हैं, जैसे सब डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं, उनके पास भी चपरासी रहता है। तो उस नीति के अनुसार कौन-कौन हटाए जाएंगे और कौन कौन नहीं, यह सूचना एक-दो दिन के अन्दर एकत्र करना सम्भव नहीं है । अगर उन्हें दिलचस्पी थी तो सदन तो ६ फरवरी से बैठा है और यह घोषणा भी हो चुकी थी, पहले ही यह प्रश्न उठाया जा सकता था ।

श्री प्रतापसिंह—मान्यवर, मंत्री जी को भी दिलचस्पी होनी चाहिये थी, लेकिन हमको दिलचस्पी है । अभी-अभी निर्णय हुआ, घोषणा अभी-अभी हुई, जी० ओ० अभी-अभी ईशू हुआ, उसके बाद अब ३ हजार लोगों की नौकरी का सवाल है जो बीस-बीस साल से काम कर रहे हैं। तो मंत्री जी इतना बतला दें कि उनको अन्य विभागों में खपाने में प्रायरिटी दी जाएगी या नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—यदि वह इस समय नहीं बता सकते तो मैं मजबूर नहीं कर सकता। आप उन्हें लिखकर भेज दें।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठाता महोदय, अभी जो प्रतापसिंह जी ने पूछा है वह कोई वक्तव्य नहीं मांगा है बल्कि नीति के संबंध में यह जानना चाहा है कि तीन हजार आदमी जो इस तरह से बेकार होंगे क्या उन्हें दूसरे विभागों में या उसी तरह के दूसरे कामों में लगाने का आश्वासन सरकार देगी ? वक्तव्य का कोई प्रश्न नहीं है केवल नीति का सवाल है।

श्री प्रतापसिंह—माननीय मुख्य मंत्री जी अब आ गये हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा और उम्मीद है कि वह मान लेंगे, केवल नीति स्पष्ट करने का सवाल है, वह इस संबंध में बतला दें।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे तो कह देंगे और अगर नहीं कहना चाहेंगे तो मैं मजबूर नहीं कर सकता।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—क्या क्या बातें माननीय सदस्यों ने सदन के समक्ष इस विषय में रखी हैं उनको मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि जहां कहीं भी छटनी का प्रश्न उठने वाला है वहां सरकार के यह आदेश हैं कि जो आदमी किसी जगह से हटाये जायं उनके रखने का पूरा पूरा प्रबन्ध तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो नौकरियां निकलने वाली हैं, उनमें हो जाना चाहिए। जब जब मैंने इकानामी प्रश्न के संबंध में सदन के समक्ष बात कही तो उस समय मैंने यह निवेदन कर दिया है और सदन को सूचित कर दिया है कि जो छंटनी होगी और जहां अनावश्यक नौकरी समझी जाएगी और वहां से आदमी हटाया जायगा तो उसको कहीं और दूसरे स्थान पर जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निकलने वाला है, रखा जायगा। इतना तो मैं इस वक्त कह सकता हूं।

जो हमारा आदेश गया है उससे कितने आदमी इफैक्ट होने वाले हैं, उसके आंकड़े अभी नहीं हैं और न एकत्रित किये गये हैं। जो आदेश गये हैं उनके अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था सब जगह हो जाएगी कि इन कर्मचारियों को कहीं न कहीं रखने की व्यवस्था की जाय सिवाय उनके जो कि निकम्मे हैं जिनको कि रहना नहीं चाहिये और जो अयोग्य हों उन स्थानों पर जहां कि वे आज हैं।

श्री प्रतापसिंह—जो यह आदेश है कि ३०० रुपये से कम पाने वाले जितने अधिकारी हैं उनसे चपरासी वापस ले लिये जायंगे, तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि चपरासियों को वापस किया जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चपरासी रखने की जो मनोवृत्ति है उसको हम दूर करना चाहते हैं और उस ओर चलना चाहते हैं कि बिना चपरासी के लोग काम करें। हम उनको चपरासी कहना भी नहीं चाहते हैं। बहुत से प्रगतिशील देशों में जो व्यवस्था बरती जारही है, उसको हम रखना चाहते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के जमाने से चपरासी की प्रथा यहां चली और अब तक है। हम उसको उत्तरोत्तर घटाएंगे और उस व्यवस्था की तरफ चलेंगे जहां चपरासी की आवश्यकता न हो। हमारा सहायक होगा। लेकिन चार कागज हम न उठा सकें और हमारा चपरासी उन चार कागजों को कमरे तक पहुंचाए, सरकार इस व्यवस्था को पसन्द नहीं करती है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार इस बात पर भी विचार कर के चपरासियों के स्थान तोड़ेगी कि उनको बेरोजगारी का सामना न करना पड़े और उनके खाने पीने और उनके बाल बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का कुछ इन्तजाम हो जाय?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उनकी रोजगारी और बेरोजगारी का सवाल हमें उतना ही चिन्तित करता है जितना कि किसी माननीय सदस्य को करता है और इसीलिये हमने ये आदेश दिये हैं कि कोई भी व्यक्ति जो नौकरी से हटाया जाय उसे दूसरी नौकरी पर रखने का प्रबन्ध साथ ही साथ में कर दिया जाय। आखिर को जब एकोनामी करने का प्रश्न उठता है तो जो अनावश्यक और बेकार नौकरियां है या जहां एक व्यक्ति के पास ८ घंटे करने के लिये काम नहीं है तो उस व्यक्ति को वहां से हटा कर दूसरे काम पर भेजने में या दोनों को मिलाकर अगर ८ घंटे के लिये काम किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है तो उसको करना चाहिये। तभी हम बहुत सी सर्विसेज में रेशनलाइजेशन कर सकते हैं और बचत कर सकते हैं और उस बचे हुए रुपये को उन कार्यों में लगा सकते हैं जिनमें प्राथमिकता देने के लिये हमारे पास धन का अभाव है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक एकोनामी मेजर्स में प्रदेश में अथवा सेक्रेटेरिएट में कुछ चपरासी हटाये भी गये हैं? यदि हां, तो कितने और उनकी अन्य जगह पर पुनर्नियुक्ति के लिये क्या प्रयास सरकार की ओर से हो रहा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो मेरे पास इस बात के आंकड़े हैं नहीं कि कोई हटाया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो ३०० रुपये की नौकरियां चालू होने वाली हैं उनके लिये आदेश यह है कि कोई चपरासी की व्यवस्था न रखी जाय। चूंकि मैंने बताया कि हम उस मनोवृत्ति को जिसके अब तक हम सब शिकार रहे हैं अपने बीच से हटाना चाहते हैं और वह समय लाना चाहते हैं जब ये चपरासी जिन्हें कहते हैं सहायक के रूप में भले ही हमारी सहायता करें लेकिन हम यह नहीं चाहते हैं कि वे महज हमारा बस्ता, दावात या कलम उठाने का काम करते रहें और हम इतने नाजुक रहें कि छोटे-छोटे कार्यों को भी न कर सकें।

श्री उग्रसेन—माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह तो ठीक ही कहा कि चपरासी के पद को समाप्त करना चाहते हैं, यह बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन जब तक उनको कोई दूसरी नौकरी न मिले तो बीच में बैठकी का कोई भत्ता वगैरह देने का प्रबन्ध करेंगे जिससे वे अपने बालबच्चों को खिला-पिला सकें?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने यह बताया है कि जिस योजना के अन्तर्गत कार्य होता है उसमें दोनों चीजें सामने रख ली जायंगी कि अमुक स्थान से यह व्यक्ति हट कर अमुक स्थान पर जायगा, और इसी प्रकार के आदेश जारी हुए हैं। यदि कहीं कुछ समय लगता है किसी व्यक्ति के हटाने और रखने में तो उसका भी उचित प्रकार से प्रबन्ध करने की चेष्टा अधिकारीगण करेंगे।

(बहुत से सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—मैं अब अधिक प्रश्न करने की इजाजत नहीं दूंगा, बहुत हो गया। अब प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ने की पेराई में ढिलाई होने के संबंध में सर्वश्री गेंदासिंह तथा ब्रजनारायण तिवारी द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दिनांक १० मई, १९६१ को दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य होगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत मिल मालिकों की ओर से गन्ना पेरने में ढिलाई के संबंध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह वक्तव्य बंट तो गया है तो इसे पढ़ा गया समझ लीजिये।

श्री अधिष्ठाता—ठीक है, यह पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(वक्तव्य के लिये देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ९२०–९२२ पर)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय मुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि भटनी मिल पर किसानों के गन्ने के मूल्य का दिनांक १८ मई, १९६१ को ८.२१ लाख रुपया बकाया था। तो यह बकाया इतने दिनों तक रह गया और माननीय मंत्री जी ने रिकवरी सर्टिफिकेट्स भी जारी करवा दिये तो उसमें कितना रुपया वसूल हुआ ?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—इस की सूचना तो नहीं है कि कितना रुपया वसूल हुआ, शायद बहुत ज्यादा वसूल नहीं हुआ है। अब तक हमारी पहली कोशिश यह थी कि हम उनसे ज्यादा से ज्यादा गन्ना पेरवायें और इसी के मुताबिक लोगों को सर्टिफिकेट इश्यू कर दिये गये हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को यह डायरेक्शन दिया गया है कि वे जल्दी से जल्दी रुपया दिलाने की कोशिश करें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, ठीक इसी मौसम में पिछले वर्ष जब गन्ने की रिकवरी कम थी तो-दो तीन आने मन सभी मिलों ने गन्ने की कीमत बढ़ाकर गन्ना खरीद लिया था तो इस वर्ष कौन-सी ऐसी बात हो गई कि सुविधायें मिलते हुए भी वे गन्ने के परचेज टैक्स में छूट की बात कर रहे हैं और कभी-कभी गन्ने की कीमत के बारे में भी चर्चा हो जाती है तो इसको क्यों एनकरेज किया जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, गन्ने की कीमत के विषय में और परचेज टैक्स के विषय में हमारा और बिहार सरकार का इन मसलों के ऊपर मिलकर विचार होता है। जैसा कि कहा गया है कि बिहार सरकार ने स्वयं कुछ निर्णय ले लिये और हमसे सलाह नहीं ली। यद्यपि हमने प्रोटेस्ट किया है और हमारा निर्णय बिहार सरकार से मिलजुल कर होता है तो यह सम्भव नहीं है, यदि बिहार सरकार ने निर्णय लिया है और मिलों को परचेज टैक्स में छूट दी है तो हम बिना छूट दिये गन्ने को पिरवा लें, यद्यपि हमने अभी उनसे वायदा नहीं किया है। हमने केवल इतना ही कहा है कि बिहार सरकार ने निर्णय लिया है तो हमें भी विचार करना होगा। इसमें हमने कोई गलत बात नहीं की है। जहां तक गन्ने का प्रश्न और शकर की कीमत का प्रश्न है, हमारी इकोनामी में, हमें बिहार से बंधे रहने के कारण उन बातों पर विचार करना पड़ता है जिन बातों पर बिहार सरकार ने स्वतः निर्णय लिया है।

श्री उग्रसेन—माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कई वर्षों से ७ मई के बाद गन्ने की रिकवरी के अनुसार कीमत कम कर दी जाती है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पारसाल तो कम नहीं की गई थी, किस साल में कम की गई थी। हमें तो ऐसा लगता है कि कम नहीं की गई थी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिस जमाने में मैं उद्योग मंत्री था उस समय हुई थी।

श्री उग्रसेन—क्या आपके जमाने में ही कम होती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे जमाने में नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया था। यदि आप चाहते हैं कि मिलों से पूरा गन्ना पिरवा लिया जाय तो सुभीते पर भी विचार करना होगा।

श्री उग्रसेन—भटनी मिल का १,३४,००० मन गन्ना पेरने को बाकी पड़ा है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य इस तरह से बीच में न बोलें।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कल और परसों में मिलमालिकों का प्रतिनिधि मंडल उनसे और उद्योग विभाग के लोगों से मिला है और उसने क्या अपनी मांगें रखी हैं और सरकार की क्या नीति है, क्या मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--श्रीमन्, मुझ से कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिला है। उनके एसोसियेशन की बैठक थी। मैं वहां गया था। उनके प्रधान ने वहां अपना भाषण दिया था और इस मसले के सिलसिले में बहुत सी बातें रखी थीं कि इंडस्ट्री की क्या हालत है, क्या दिक्कतें हैं और क्या परेशानियां हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार को इस इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करनी चाहिये तथा हमारा ध्यान आकर्षित किया था कि बिहार सरकार ने २१ अप्रैल से अपनी नीति अधिक गन्ना पेरने की बरती है। मैंने उस समय कोई साफ बात नहीं कही थी क्योंकि मंत्री-परिषद् ने उन पर विचार नहीं किया था। मैंने अवश्य यह कहा था कि बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है यद्यपि हमारी सलाह से नहीं लिया ताहम हमें स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए इन प्रश्नों पर विचार करना होगा। और विचार उस दिशा में करना होगा, जिस दिशा में बिहार की गवर्नमेंट ने विचार किया है। यद्यपि परचेज टैक्स कम लेने की जो बात है हम वही बात मान लें, जो बिहार ने किया है, यह बात हमने स्वीकार नहीं की, तथापि उस दिशा में विचार करने के लिये प्रदेश की सरकार अवश्य बाध्य हो गयी है। ऐसी बात मैंने, उन प्रश्नों के उत्तर में, जो उन्होंने अपने भाषणों के द्वारा उठाये थे, कही थी।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि प्रदेश में जितनी मिलें चल रही हैं, उस अवधि में चल रही हैं जिसमें सरकारी टैक्सेशन में एक मन चीनी के ऊपर लगभग ५ रुपये की छूट है, और इस प्रकार के एक मन गन्ने पर ८, साढ़े ८, ९ आने मन की छूट की सहूलियत यों ही मिली हुई है, मुमकिन है इस बात का ध्यान बिहार गवर्नमेंट ने न रखा हो, तो क्या यह सरकार इस बात को ध्यान में रख कर कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट परचेज टैक्स में कम्पेंसेट कर रही है और दूसरी ओर किसानों का गन्ना इस वक्त वजन में घट कर बहुत कम रह गया है और इस का कास्ट आफ प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, अगर लम्बा सीजन हुआ तो किसानों को किस तरह से कम्पेन्सेट करने का विचार कर रही है जो किसानों का गन्ना सूख गया और उनको हर तरह से नुकसान उठाना पड़ेगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--किसान को इसी तरह से कम्पेंसेट कर रहे हैं कि उसके गन्ने को सरकार सूखने देना नहीं चाहती है। सरकार किसान का हित इसी में समझती है कि उसका गन्ना किसी न किसी तरह से पेरवा दिया जाय।

श्री टीका राम पुजारी (जिला मथुरा)--क्या सरकार बतायेगी कि जो किसान का गन्ना अब तक नहीं पेरा गया है, उसका गन्ना बिना पेरा रह जायगा तो सरकार उस गन्ने की पूरी कीमत उन मिल मालिकों से दिलाने की कृपा करेगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--जैसा उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार के बिना पूछे कुछ फैसला कर लिया तो मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ने की कीमत जो है भारत सरकार से सम्बन्धित है और भारत सरकार ने गन्ने की कीमत तय की है तो क्या मुख्य मंत्री जी इस मामले में भारत सरकार से राय लेने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--गन्ने की कीमत का सवाल ही नहीं उठा है। माननीय सदस्य गलत समझ रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जिस सम्मेलन का उल्लेख हुआ है, उसी सम्मेलन में, जैसा कि समाचारपत्रों में निकला है, माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि सरकार गन्ने के मूल्य के बारे में पुनर्विचार करने को तैयार है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो बयान रखा है यदि उसको पढ़ लिया होता तो शायद यह सवाल न करते।

श्री अधिष्ठाता---माननीय गृह मंत्री ।

श्री उग्रसेन---व्यवस्था का प्रश्न है। तीन दिन से यह सवाल उठाया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री ने बहुत लम्बा चौड़ा वक्तव्य दिया है। कम से कम जो मुख्य-मुख्य प्रश्न हैं उनको छांट लिया जाय और पांच मिनट और दे दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री उग्रसेन---आज सदन बन्द हो रहा है। सब गन्ना सूख जायगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---इस तालिका को जरा देख लीजिये। इसमें प्रश्न उठाने वालों में मेरा भी नाम है। मुझे एक भी प्रश्न का मौका नहीं दिया। कम से कम मुझे जानकारी तो करने दीजिये। जिन लोगों ने मुझ से इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाने को कहा था उन्हें मैं क्या बताऊंगा कि मैंने दे दिया और मूक बैठा रहा ?

श्री अधिष्ठाता---दो दिन से यह चल रहा है और काफी प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। अब मैं माननीय गृह मंत्री का नाम पुकार चुका हूं

जिला उन्नाव के थाना वारा सगवर के अन्तर्गत चोरी, डकैती, कत्ल इत्यादि के कारण आंकड़े के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव) ---नियम ५२ के ध्यान आकर्षित करने के प्रस्ताव में सदस्य महोदय ने कहा है कि थाना वारा सगवर, जिला उन्नाव में पिछले २ वर्षों से चोरी, राहजनी, डकैती और हत्याओं की बाढ़ आ गई है। यह बात तो सही नहीं है और पिछले ५ वर्षों के आंकड़ों से भी इस बात का समर्थन नहीं होता है। इन जुर्मों की पिछली ५ सालों की संख्या इस प्रकार है :---

	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१ (१५ मई तक)
चोरी	२८	२०	१७	१४	२२	१२
राहजनी	८७	४०	५२	२६	२५	९
डकैती	..	.	..	१	१	१
हत्याएं	५	२	६	२	५	४

इन आंकड़ों से प्रतीत होता है कि चोरी और राहजनी की घटनाएं पिछले वर्षों के मुकाबिले में सन् १९५९ और १९६० में कम हुई हैं। डकैती की घटना तो सन् १९५९ व १९६० में केवल १---१ हुई। हत्याओं की संख्या घटती बढ़ती रही है और सन् १९६० में ५ हत्यायें हुईं और सन् १९५८ में यह संख्या ६ थी।

यह सही है कि मई, १९६१ में हत्याओं की ४ घटनायें थाना वारा सगवर के अन्तर्गत हुई हैं। पहली घटना १०–११ मई, १९६१ की रात को ग्राम कटहर में हुई जिसमें श्रीमती सुशीला को सोते हुए कुछ लोगों ने तेज धार वाले हथियार से उनके जबड़े पर चोट पहुंचाकर मार डाला। दूसरी घटना १२–१३ मई, १९६१ की रात को ग्राम दुन्दपुर में हुई। इस घटना में कुछ लोगों ने श्रीमती राधा और उनके पौत्र विद्याधर को अपनी बैठक के सामने सोते समय तेज धार वाले हथियार से गर्दन पर चोट पहुंचाकर मार डाला। मृतक स्त्री राधा चूड़ियां और कड़े पहने हुए थी और उनके हाथ व पैर काटकर यह जेवर उतार लिये गये। तीसरी घटना भी १२–१३ मई, १९६१ की रात को हुई। इसमें दुन्दपुर निवासी रामाधार कुर्मी की पत्नी राम रानी को, जबकि वह अपने मकान के सामने सो रही थी, गर्दन पर चोट पहुंचाकर मार डाला गया और उनकी हंसली और कड़े उतार लिये गये। इसके दोनों पैर काटकर कड़े उतारे गये। चौथी घटना भी १२–१३ मई, १९६१ की रात को हुई। इसमें बाबूलाल वैश्य, उनकी स्त्री तथा लड़के को...

(मुख्य मंत्री के चपरासी द्वारा उनकी मेज से फाइलें ले जाने पर)

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––श्रीमन्, यह बस्ता मुख्य मंत्री जी को स्वयं ले जाना चाहिये था, चपरासी ले जा रहा है।

श्री रामस्वरूप यादव––तेज हथियार से गर्दन पर चोट पहुंचा कर मारा गया। मृतक स्त्री के पैरों से लच्छे उतारे गये और घर का ताला तोड़कर सामान भी निकाला गया।

इन ४ घटनाओं में से २ घटनायें हत्यायें तथा राहजनी की ग्राम दुन्दपुर की हैं और एक घटना हत्या की ग्राम उझई की है जो ग्राम दुन्दपुर के पास ही है और दोनों गांवों के बीच केवल एक गलियारा है। यह संदेह है कि यह सभी घटनायें एक ही दल द्वारा की गईं।

अभियुक्तों का पता लगाने के लिये लखनऊ से १३–५–१९६१ को "डाग स्क्वायड" भी भेजा गया परन्तु दुर्भाग्यवश कोई सुराग नहीं लगा। डी० आई० जी०, लखनऊ रेंज, जिलाधीश और एस० पी० घटना-स्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। घटनाओं के महत्व को देखते हुए इन घटनाओं की जांच सी० आई० डी० को दे दी गयी है। अभी तक अभियुक्तों का पता नहीं लगा है। २ ए० पी० गार्ड इस क्षेत्र में गश्त के लिये तैनात कर दिये गये हैं। इन हत्याओं का उद्देश्य सही तौर से तो नहीं मालूम हुआ परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ये हत्यायें ज़ेवर और धन के लालच के कारण की गयीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)––क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई सन् १९५९ में उझई ग्राम में जिसमें कि तीन हत्यायें हुई हैं, पहले भी चार हत्यायें हो चुकी हैं, उनके भी इसी तरह सिर काटे गये थे?

श्री रामस्वरूप यादव––श्रीमन्, इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री भगवतीसिंह विशारद––क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब ये हत्यायें हुई थीं जुलाई सन् १९५९ में तो उस समय इस तरह की हत्याओं की रोकथाम करने के लिये इस ग्राम में एक पुलिस चौकी खोली गई थी और अब वह पुलिस चौकी दिसम्बर के महीने से बन्द कर दी गई है?

श्री रामस्वरूप यादव––श्रीमन्, जुलाई सन् १९५९ में एक घटना हुई थी, उझई ग्राम में। अब श्रीमन्, यह कि चौकी अब बन्द हो गई है इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह देखते हुए कि यह जो कत्ल की घटनायें हैं, यह किसी संगठित दल द्वारा की गई हैं जैसा कि मंत्री जी ने बताया है और यह देखते हुए कि इस प्रकार की घटनाओं को करने वाले जो होते हैं वे अपने अलग खयाल के लोग होते हैं जैसे कि कानपुर में कनफोमार की कहानी प्रसिद्ध है तो इसलिये ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना सोच रखी है कि इन संगठित लोगों को पकड़ने के लिये कोई संगठित योजना पुलिस दल की बनाई जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---विशेष योजना की आवश्यकता नहीं है लेकिन इस क्षेत्र में ये ऐसी घटनायें हुई हैं जो नहीं होनी चाहियें, यह मैं स्वीकार करता हूं। इसके लिये स्थानीय पुलिस सतर्क है। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन घटनाओं का कारण क्या है। इस तरह से एक ही गांव में बाहर जो स्त्री सोती रहती हैं उन पर प्रहार किया जाता है तो पुलिस वहां पर प्रयत्नशील है और जहां तक मैं समझता हूं ये घटनायें इस क्षेत्र में आगे को नहीं होंगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि माननीय सदस्य उन्नाव जिले ने २८ अप्रैल, १९६१ को एक खत लिखा था जिसमें चार्ज लगाया था कि वहां पुलिस डकैतों से मिलकर सारे कत्ल कराती है, और इस तरह से हाथ पैर काटे जाते हैं तो उस पत्र के बाद माननीय मन्त्री जी ने कौन-सी हिदायत पुलिस को भेजी और क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस तरह का खत तो मुझे देखने को नहीं मिला जिसमें यह चार्ज लगाया गया हो कि पुलिस डकैतों से मिलकर डकैती डलवाती है और हाथ पैर कटवाती है। मैं उसको देखकर बता सकता हूं लेकिन यह बात जरूर है कि इन घटनाओं को रोकने का प्रयत्न पुलिस कर रही है और इस वक्त हमारी उन्नाव जिले की पुलिस सक्रिय है और अपने कार्य को ठीक तरह से करने का प्रयत्न कर रही है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने अभी उत्तर में कहा कि ऐसी घटनाओं के होने के कारण का वह पता लगा रहे हैं तो इसका भी पता लगायेंगे कि इस घटना के होने का क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी पता नहीं चल पाया। यह सोचा जा सकता है कि जब हाथ पैर काट कर जेवर ले जाते हैं तो वे इसी लालच से आये होंगे। बाकी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कानपुर में जो घटना हुई थी उसका भी पता लगाया था और बाद में मुलिजम भी गिरफ्तार हुआ था।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की राजनैतिक पार्टियों की ओर से समय-समय पर सरकार को और उनके उच्चाधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई कि उन्नाव जिले में कत्लों की जो तादाद बढ़ रही है, वह पुलिस अधिकारियों की साजिश से जो कत्ल होते हैं, उनसे बढ़ रही है। लेकिन सरकार ने उस पर इस वजह से ध्यान नहीं दिया कि वे सूचनायें विरोधी दल की ओर से आई थीं तो सरकार ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और वहां पर निरन्तर अपराध बढ़ रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---विरोधीदल का सदस्य होने का प्रश्न कभी सरकार के सामने नहीं रहता है और न वह इस दृष्टि से इसको देखती है। जब कभी किसी सरकार के अफसर की बाबत शिकायत आई, उसकी जांच हुई और जिस जांच से यह मालूम हुआ कि कोई अफसर दोषी है उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की गई। जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक कार्यवाही नहीं की जाती। शिकायत आने पर कार्यवाही नहीं होती है बल्कि जांच के बाद जब उसका दोष साबित हो तो तब कार्यवाही होती है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---कुछ दिन पहले कानपुर में कनपटीमार लोगों को जान से मारता था और श्रीमन्, आपको याद होगा कि विधान सभा में जिस वक्त उसकी चर्चा हुई तो उसके बाद गृह मंत्री ने पुलिस को ऐसी भाषा में हिदायत की कि बड़े-बड़े पुलिस अफसर कानपुर की तरफ गये और कनपटीमार पकड़ा गया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस कनपटीमार को पकड़ने के पहले गृह मंत्री ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया था उस भाषा का इस्तेमाल, उन्नाव जिले में, जब इस तरह के जुर्म हो रहे हैं, तो उसको कम करने के लिये, किया जायगा ताकि उन्नाव जिले का उद्धार हो?

श्री रामस्वरूप यादव---क्या भाषा वह थी वह तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि इस बात की पूरी कोशिश की जायगी कि ऐसी घटना न हो।

नियम ५२ के अन्तर्गत बिजली कम्पनी, मैनपुरी के इंजीनियर द्वारा बिजली का कनेक्शन काटने से पानी के अभाव के संबंध में वक्तव्य

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---अधिष्ठाता महोदय, मैनपुरी में पीने के पानी के लिये दो कुएं हैं। उनसे पानी लिया जाता है। यह दोनों कुएं बिजली से चलते हैं लेकिन एक को बिजली सीधे हाइडिल से मिलती है और दूसरे को वहां की इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी बिजली देती है। १३ तारीख को ऐसा हुआ कि हाइडिल विभाग की जो लाइन थी उसमें कुछ दोष पैदा हो गया और इसलिये वह कुआं बन्द हो गया जिसको हाइडिल से बिजली मिलती थी। नगरपालिका के पास पानी सप्लाई करने के लिये एक ही कुआं रह गया। मैनपुरी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी से जो बिजली मिलती है वह सीमित समय के लिये मिलती है। उसमें कुछ घंटे ऐसे हैं कि जिन घंटों में बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इन घंटों को छोड़ कर यह दूसरा कुआं चला करता था। चूंकि उस रोज एक कुआं बन्द हो गया था और एक ही कुआं रह गया था, नगरपालिका ने उन घंटों में भी जिनमें बिजली का इस्तेमाल वर्जित था, कुआं चला दिया, इस बात को देखते हुए कि वहां के नागरिकों को पानी की आवश्यकता है। नगरपालिका ने, श्रीमन्, न तो वहां के रेजीडेंट इंजीनियर को और न जिलाधीश को इस बात की सूचना दी, जो कि उन्हें देना चाहिये थी। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के रेजीडेंट इंजीनियर को पता चला कि नरगपालिका ने बिजली उन घंटों में इस्तेमाल की है जिन घंटों में बिजली इस्तेमाल करने की उनको आज्ञा नहीं थी तो उसने अगले रोज १४ तारीख को प्रातः ५ बजे दूसरे कुएं की बिजली काट दी और रेजीडेंट इंजीनियर ने भी न नगरपालिका को इस बात की सूचना दी, न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना दी और न किसी और आदमी को इस बात की सूचना दी और एक दम उनकी बिजली काट दी। हाइडिल विभाग की बिजली खराब थी और इसलिये वह कुआं चल नहीं रहा था और जब कम्पनी ने अपनी बिजली काट दी तो दोनों कुएं बन्द हो गये और पानी नहीं मिल पाया। दोपहर से पूर्व जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह पता चला तो उन्होंने छानबीन की और करीब-करीब दोपहर तक कम्पनी ने फिर उस कुएं की बिजली का कनेक्शन कर दिया। जो सूचना प्राप्त हुई है उससे यह पता चलता है कि यद्यपि कम्पनी ने कनेक्शन तो कर दिया लेकिन उनका वोल्टेज १४ तारीख की दोपहर को इतना कम था कि वह कुआं चल नहीं पा रहा था। इसके बाद से ठीक तरीके से काम चल रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वहां के नागरिकों को १४ तारीख को उस समय में जब कि दोनों कुएं नहीं चल पाये, तकलीफ हुई, असुविधा हुई। इस थोड़े से समय में वहां की पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो पायी है। इस बात की छानबीन की जा रही है कि किस का दोष है, किस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

का नहीं है। जो बिजली काटी गयी उनको वैसा करने का अधिकार था या नहीं, किसने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया आदि बातों की जांच हो रही है और जांच होने के पश्चात् जो आवश्यक कार्यवाही होगी, की जायगी।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जब कम्पनी के रेजीडेंट इंजीनियर ने उस कुएं की बिजली काटी तो उसने जिलाधीश को या उस नगर के किसी प्रमुख नागरिक को इस बात की सूचना क्यों नहीं दी और अगर सूचना नहीं दी तो सरकार उस के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री कैलाशप्रकाश---जिलाधीश इस बात की जांच कर रहे हैं और उसके बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---इस बात को देखते हुए कि रेजीडेंट इंजीनियर ने बिना कानूनी कार्यवाही किये बिजली के कनेक्शन को काट दिया जिससे कि वहां के नागरिकों को काफी परेशानी हुई, तो क्या सरकार उन अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश देगी?

श्री कैलाशप्रकाश---माननीय अवस्थी जी को मालूम होगा कि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है और शासन को उनके कर्मचारियों को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है, वैसे अन्य तरीकों के उस पर अधिकार हो सकते हैं और वे हैं। उसकी जांच हो रही है और कानूनी तरीके से जो भी उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---जैसा कि सरकार की ओर से कहा गया कि वहां का लो वोल्टेज है, तो इस सम्बन्ध में जब शिकायत सरकार के पास आई, मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री कैलाशप्रकाश---माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि इसका एक मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और वहां केस विचाराधीन है। उसके बाद जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---सरकार की ओर से यह बताया गया कि वह एक प्राइवेट कम्पनी है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार जब उस कम्पनी को रुपया देती है तो क्या सरकार को उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है? दूसरी बात यह कि उसके बाद दूसरे दिन बिजली दी गयी या नहीं?

श्री कैलाशप्रकाश---मेरे कहने का मतलब अगर माननीय सदस्य यह समझें हों कि हमारे कोई अधिकार नहीं हैं तो मेरे कहने का यह मंशा नहीं था, अधिकार हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अन्तर्गत ही हमको अधिकार हैं, उनके कर्मचारियों को सस्पेंड आदि करने के हमको अधिकार नहीं हैं। दूसरी बात यह निवेदन कर दूं कि अब वहां पानी का काम ठीक चल रहा है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाइडिल की बिजली जो फेल हुई उसका क्या कारण था और क्या सरकार ने उसके लिये हाइडिल विभाग के अधिकारियों से कोई स्पष्टीकरण मांगा?

श्री अधिष्ठाता---यह तो उन्होंने बता दिया कि वे जांच कर रहे हैं।

श्री देवनारायण भारतीय---मेरा प्रश्न दूसरा है, श्रीमन्। प्रश्न यह है कि जब दो दिन तक हाइडिल विभाग वालों ने बिजली नहीं दी तो क्या सरकार ने उसके लिये उस विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया?

श्री कैलाशप्रकाश——मैंने, श्रीमन्, यह नहीं कहा कि दो दिन तक हाइडिल विभागके कर्मचारियों ने बिजली नहीं दी। वह तो लाइन खराब हो गयी थी जिसके कारण बिजली नहीं दी जा सकी। उसकी पूरी जानकारी इस समय नहीं है।

श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)——क्या सरकार वहां की नगरपालिका के अध्यक्ष ने जो एक पर्चा छपवा कर बांटा है और जिसमें यह लिखा है कि रेजीडेंट इन्जीनियर ने जानबूझ कर कुछ झगड़े के कारण उस कनेक्शन को काट दिया है, उन बातों की भी जांच करायेगी?

श्री अधिष्ठाता——जांच के लिये तो कह ही चुके हैं कि करायेंगे।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)——जिस बिजली कम्पनी ने बिजली रहते हुए जानबूझ कर नहीं दी, इतना घोर अपराध किया जनता को कष्ट देने के लिये तो बिजली कम्पनी से जो मुआहिदा होता है जिसमें जब तक सरकार बीच में न पड़े तब तक वह पूरा नहीं होता तो उसको खत्म करके और उसके ठेके को समाप्त करके दूसरी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाशप्रकाश——पांडेय जी ने तो यह बात स्वीकार करके और मान करके कह दिया कि बड़ा घोर अपराध किया और मैंने इतना ही निवेदन किया है कि किसी अपराध को निश्चित करने के पूर्व कुछ जांच की जरूरत होती है हर पहलू से। वह जांच हो रही है और यदि वह अपराधी ठहराये जायंगे तो नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

किसानों से वितरित बीज का सवाई न लेकर मूल्य लेने के आदेश के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)——तृतीय पंचवर्षीय योजना में सवाई समाप्त हो रही है और इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि कृषि विभाग स्वयं कोई बीज नहीं बांटेगा बल्कि रजिस्टर्ड कृषकों के द्वारा उत्पादित उन्नत बीज सहकारी समितियों और पंचायतों को दिलानें की सुविधा देगा इस सिलसिले में इस वर्ष एक आज्ञा कृषि निदेशक ने हाल ही मे जारी की है जिसमें क्षेत्रीय अधिकारियों को यह कहा गया है कि यदि कोई किसान चाहे तो वह अपने बीज की अदायगी नकद दाम देकर कर सकता है और यह भी कहा गया है कि यदि कोई किसान नकद दाम देगा तो उसे केवल सवाई बीज का बाजार भाव से दाम तथा क्वालिटी मार्जिन जो ८ आने से १ रुपया प्रति मन होता है, लिया जायगा। वैसे सवाई के देने में यदि कोई किसान ३१ मई तक अदायगी नहीं करता तो उसको साढ़े बारह प्रतिशत जुर्माना भी देना पड़ता है, परन्तु इस साल सवाई को तोड़ने के लिये नकद अदायगी करने वाले किसानों से यह जुर्माना नहीं लिया जायगा और अदायगी का समय भी ३१ मई से बढ़ा कर ३० जून कर दिया गया है।

दूसरी शिकायत यह है कि बाजार में गेहूं का भाव १३ रुपये से १४ रुपये प्रति मन है और उनसे १९ या २० रुपया प्रति मन के हिसाब से लिया जाता है। ऐसा करने के लिये कोई आदेश नहीं हुआ है। विभागीय आदेश के अनुसार कृषक से बाजार भाव और क्वालिटी मार्जिन की रकम ली जाती है। क्वालिटी मार्जिन के दर निम्नलिखित है :——

१——गेहूं १ रुपया प्रति मन,

२——मटर ७५ न० पै० प्रति मन,

३——जौ, चना तथा अन्य अनाज ८ आने प्रति मन।

इन अनाजों के मई के मध्य के भाव संलग्न नक्शे में दिये गये हैं। संक्षेप में स्थिति यह है——

१——किसानों को अपने बांड के अनुसार सवाई में अदायगी का पूरा अधिकार है।

[श्री रामस्वरूप यादव]

२—जो किसान चाहें वे नकद में भी अदायगी कर सकते हैं। इसमें उनको दो फायदे हैं। एक तो अदायगी का समय ३० जून कर दिया गया और दूसरा साढ़े बारह प्रतिशत जुर्माना नहीं देना पड़ेगा और बीज को लाद कर नहीं लाना पड़ेगा।

३—किसानों से केवल बाजार का भाव और ८ आने से १ रुपया तक फसल के अनुसार क्वालिटी मार्जिन लिया जायगा। यदि इसके विरुद्ध कोई अधिकारी कर रहा हो तो उसकी सूचना मिलने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार इस बात की जाँच कराने की कृपा करेगी कि इस आदेश के जारी होने के फलस्वरूप पूरे कृषि बीज भंडारों के अधिकारी किसानों से सवाई गल्ला न लेकर उनसे नकद कीमत ही मांग रहे हैं और अगर किसान गल्ला लाते हैं तो उनसे कहते हैं कि नकद कीमत में अदा करो और उसको वापस कर देते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो अभी अपने उत्तर में ही स्पष्ट निवेदन किया है कि ऐसा आदेश नहीं है और अगर कहीं से शिकायत की जायगी तो उसकी जांच कर ली जायगी। हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह सहूलियत दी है कि हम सवाई पर बीज देने की प्रथा को खत्म कर रहे हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जब यह बीज दिया गया था तो किसानों को आश्वासन दिया गया था कि उनसे सवाया बीज लिया जायगा तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस वर्ष से सवाया बीज ही लेने की कृपा करेगी बजाय नकद कीमत लेने के ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई सवाया बीज देना चाहे तो उसको लिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी किसानों को सुविधा देते हुए इस बात की छूट रखेंगे कि उनको यह आप्शन रहे कि जो सवाया बीज देना चाहें वह सवाया दें और जो नकद कीमत देना चाहें, वह नकद कीमत दें ?

श्री रामस्वरूप यादव—तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारा इरादा नहीं है, सवाई पर बीज नहीं देंगे क्योंकि हर ब्लाक में ऐसे फार्म्स होंगे जो अच्छा बीज पैदा करेंगे और उसको रजिस्टर्ड ग्रोअर्स को देंगे जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वह उसको ग्राम सभाओं और सहकारी समितियों को देंगे ?

श्री झारखन्डे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्ट आश्वासन दिया उसके लिये धन्यावाद। मैं यह जानना चाहता हूं कि बावजूद उनके आश्वासन के अमल में गड़बड़ियां हो सकती हैं उनको रोकने के लिये क्या सरकार इस साल जो नकद लेने वाली बात तय की गई है उसको मुल्तवी रखेगी और यह आदेश देगी कि उसको आइन्दा साल से लागू किया जाय क्योंकि आइन्दा साल जो बीज लेंगे वह यह जान कर लेंगे कि नकद देना होगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—यदि हम ऐसा करने का प्रयत्न भी करें तो भी किसान का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि ३१ मई तक सवाई देना आवश्यक होता है और इन १२ दिनों में अगर वह नहीं देते हैं तो उनको साढ़े १२ परसेन्ट पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब उनको ३० जून तक पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी सिर्फ कैश में देना होगा। यह जरूर है कि अगर कोई शिकायत आती है कि जबर्दस्ती रुपया लेने की कोशिश की जाती है तो उनके लिये आदेश हो सकते हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—इस बात को देखते हुए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिस प्रकार से पहले बीज दिया जाता था अब नहीं दिया जायगा और माननीय मंत्री जी

ने दो प्रकार के उत्तर दिये एक तो यह कि अगर बीज देना चाहें तो उसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी और अगर क्वालिटी नहीं है और समय पर बीज नहीं दिया तो उसके साथ साढ़े १२ फीसदी जुर्माना वसूल होगा, तो जब तृतीय योजना में बीज देने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो इस समय जो क्वालिटी के आधार पर और जुर्माने के आधार पर जो नियम बने हैं उनको हटा लेने पर विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने सरकारी बीज गोदाम के बारे में निवेदन कर दिया, सहकारी समितियों का बीज अलग बंटता है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, उसकी नीति यह है कि सरकारी फार्मों से अच्छा बीज रजिस्टर्ड ग्रोअर्स को दिया जायगा जोकि उस बीज को बढ़ायेंगे और फिर उनके पास से वह समितियों के पास जायगा। बहरहाल सवाई पर बीज देने की नीति को सरकार ने अपनी तरफ से समाप्त कर दिया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मंत्री जी ने कहा कि अगर यह साबित होगा कि किसी से जबर्दस्ती लिया जा रहा है तो सरकार दखलन्दाजी करेगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जबर्दस्ती हुई या नहीं इसका ज्ञान सरकार कैसे करेगी ? क्या किसी काश्तकार द्वारा शिकायत करने पर कि जबर्दस्ती की जा रही है, मंत्री जी सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—सरकार और किसान के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई शिकायत आयेगी तो जिला अधिकारियों को लिख देंगे कि ज्यादती नहीं होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—अब माननीय परिवहन मंत्री अपना शोधन वक्तव्य देंगे।

श्री देवनारायण भारतीय द्वारा वक्तव्य की मांग

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले भी कह रहा था और फिर आपकी आज्ञा चाहता हूं कि मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ निवेदन करना है....

श्री अधिष्ठाता—मैंने परिवहन मंत्री को बुला लिया है।

श्री देवनारायण भारतीय—श्रीमन्, फिर इसके लिये अवसर नहीं आयेगा। मैं कार्यसूची की संख्या ११ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य चाहता हूं, जिसका आश्वासन जब सदन आरम्भ हुआ था ६ फरवरी को और मैंने दफा ५२ का प्रश्न उठाया था तब माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया था....

श्री अधिष्ठाता—यह तो आपने नया प्रश्न उठा दिया, यह इस समय सामने नहीं है आप दफ्तर में मिल लीजिये।

श्री देवनारायण भारतीय—आज सदन समाप्त हो रहा है और पता नहीं सदन महीने, दो महीने में कब बैठे। हमारे नगर में....

श्री अधिष्ठाता—जब आज नहीं आया तो उसके बारे में आपको मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से मालूम होगा या फिर उनको आप उसके लिये लिख कर भेज दें।

श्री देवनारायण भारतीय—लेकिन मान्यवर, उन्होंने सदन में यह आश्वासन दिया था कि हम सदन में इस बारे में वक्तव्य देंगे। प्रश्न यह था कि शाजहांपुर नगर में नेशनल हाईवे पास होती है और खन्नौत नदी पर पुल बनकर तैयार हो गया है....

श्री अधिष्ठाता—देखिये, आप बयान देने लगे। मैं इस समय माननीय परिवहन मंत्री को बुला चुका हूं। आप बैठ जाइये।

श्री देवनारायण भारतीय—मुझे जो कहना था वह मैं कह चुका हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह वक्तव्य देंगे तो मैं चाहता हूं कि उन्हें आज सदन उठने से पहले ऐसे मामले में सरकार की क्या नीति है, इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—अगर उन्हें वक्तव्य देना होगा तो वे आकर दे देंगे। अब परिवहन मंत्री अपना वक्तव्य दें।

७ अप्रैल, १९६१ के प्रश्न ३० से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न का शोधित उत्तर†

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अधिष्ठाता महोदय, दिनांक ७ अप्रैल, १९६१ को श्री होरी लाल यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३० के सम्बन्ध में श्री नारायणदत्त तिवारी ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि क्लब को जिन प्रयोजनों के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है उनमें उसका प्रयोग नहीं होता है? यदि हां, तो क्या सरकार अपना आडिट भेज कर उनके हिसाब-किताब की जांच करायेगी?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि इस क्लब के हिसाब-किताब की जांच ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर करते हैं और जांच के बाद ही बैलेंस-शीट तैयार होती है। इसलिये गड़बड़ी की कोई शिकायत सरकार के पास नहीं आयी है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार है कि इस क्लब के हिसाब-किताब की जांच ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर करते हैं और जांच के बाद ही बैलेंस-शीट तैयार होती है। सरकार के पास क्लब की एक शिकायत आई है जिस पर जांच की जा रही है।

इस सम्बन्ध में श्री प्रतापसिंह ने भी अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि इस बात को मानते हुए कि यह रुपया हमारे एक्सचेकर से दिया जाता है, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जो आडिट की जांच रिपोर्ट है उसको सदन के सामने रखेंगे ताकि हिसाब की जांच हो सके?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो इसकी चेकिंग करते हैं वह अपनी सूचना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और सरकार को देते हैं और अगर कोई गड़बड़ होती है तो सरकार की ओर से और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से खुद कार्यवाही की जाती है, लेकिन इस तरह की शिकायत सरकार के पास नहीं आई है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर इस प्रकार है कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो इसकी चेकिंग करते हैं वह अपनी सूचना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और सरकार को देते हैं और अगर कोई गड़बड़ होती है तो सरकार की ओर से और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से खुद कार्यवाही की जाती है। सरकार के पास क्लब की एक शिकायत आई है जिस पर जांच की जा रही है।

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९२३ पर)

---

†७ अप्रैल, १९६१ को कार्यवाही में तदनुसार संशोधन कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०

खण्ड ६ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन—(क्रमागत)†

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह संशोधन जो धारा ६ में इस वक्त विचारणीय है स्वीकार नहीं है। मैंने यह भी निवेदन किया था कि यह तो मूल विधेयक की एक शुद्धि है। इस संशोधन से विधेयक में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया है। जहां अनुमेलित सदस्यों की संख्या ५ होनी चाहिये थी वहां ५ हो और जहां ८ होनी चाहिये थी वहां ८ हो यही इसमें ठीक कर दिया गया है। ५ रखने से तो विरोध पैदा हो सकता था कि ऊपर तो कहा गया कि हरिजन सदस्यों की संख्या अनुमेलित करके ८ तक कर दी जायगी और यहां उसको समाप्त कर दिया। ५ में तो उससे मेल नहीं खाता है इसलिये यह संशोधन लाया गया है। जो यह संशोधन इस वक्त प्रस्तावित है मैं उसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इस स्पष्टीकरण के पश्चात् माननीय सदस्य इसे वापस भी ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि . . . . . .

श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—(गिनकर) कोरम है।

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के अन्तिम प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति ३ में शब्द "कुल संख्या यथास्थिति पांच या" के बाद शब्द "आठ" निरसित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—अब मैं खंड ६ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन को लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उप-खंड (१) के वर्तमान भाग (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(३) ऐसी सहकारी समितियों जिनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय खंड के भीतर हों और जो उन अपेक्षाओं की पूर्ति करती हों, जो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निर्धारित करे, अथवा उक्त समितियों को समूहों के इतने प्रतिनिधि जितने राज्य सरकार गजट में विज्ञापित करके निर्धारित करे, पर जो दो से कम तथा पांच से अधिक न होंगे और जो नियत रीति से चुने जायेंगे।

उप-खंड (१) के वर्तमान भाग (४) को निकाल दिया जाय और शेष भागों की संख्या क्रमानुसार परिवर्तित कर दी जाय।

उप-खंड (१) के पुनरांकित भाग (४) के अंक "(७)" के स्थान पर अंक "(६)" रख दिया जाय।

उप-खंड (१) के पुनरांकित भाग (५) में शब्द "सम्मिलित हो" तथा सेमीकोलन के बीच में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :—

"एवं प्रत्येक ऐसा सदस्य, यदि कोई हो, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में कोई ग्राम क्षेत्र न हो पर जिसका निवास स्थान, जिला जिसमें खंड स्थित है, में हो और जिसमें

---

†१८ मई, १९६१ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अधिष्ठाता]

राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से यह अपेक्षा किये जाने पर कि जिले के किसी एक खंड को वह चुन ले ,उक्त खंड को चुन लिया हो ।"

तथा

उप-खंड (१) के पुनरांकित भाग (६) में शब्द "स्थित हो" तथा विराम के बीच में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :—

"एवं प्रत्येक ऐसा सदस्य जिसका निवास-स्थान जिला, जिसमें खंड स्थित है, में हो पर ग्राम क्षेत्र में न हो और जिसने राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से यह अपेक्षा किये जाने पर कि जिले के किसी एक खंड को वह चुन ले, उक्त खंड को चुन लिया हो ।"

उप-खंड (२) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य में से शब्द "खंड के क्षेत्र की राज्य विधान सभा की निर्वाचक नामावली में" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "खंड में सम्मिलित क्षेत्र से विधान सभा की निर्वाचक नामावली में" रख दिये जायं ।

उप-खंड (२) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द तथा अंक "तथा (४)" निकाल दिये जायं ।

उप-खंड (२) के अन्तिम प्रतिबन्धात्मक वाक्य में तीसरी पंक्ति में शब्द "कुल संख्या पांच करने" के स्थान पर "कुल संख्या यथास्थिति, पांच या आठ करने" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ७ में विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधन

श्री अधिष्ठाता—अब खंड ७ के संशोधन लिये जायंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में अंक "१" के पश्चात् शब्द व अंक "तथा (२)" हटा दिये जायें ।

श्रीमन्, यह जो मेरा संशोधन है वह क्षेत्र समितियों में प्रमुख और उप-प्रमुखों के चुनाव के संबंध में है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया) -- श्रीमन्, मेरी एक व्यवस्था है और वह यह है कि इस विधेयक को पारित करने के लिये ३ दिन का समय रखा गया था उसमें से अधिकांश समय समाप्त हो गया और अभी बहुत से संशोधन इसमें बाकी हैं । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक धारा में जितने संशोधन हों उनको एक साथ ले लिया जाय जिससे अधिक लोग बहस में भाग ले सकें ।

श्री अधिष्ठाता—तीन बजे तो वाद-विवाद समाप्त ही होना है और उसके बाद राय लेना प्रारम्भ हो जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—तीन बजे वाली बात तो तय नहीं है । संशोधनों पर बोलने का समय तो मिला ही नहीं है । इसको आप चार बजे तक रख दें । दो घंटे का समय तो बहुत ज्यादा है राय लेने के लिये ।

श्री अधिष्ठाता—दो घंटे तो उस में लग ही जायेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---एक घंटे में राय ली जा सकती है और अगर ज्यादा समय लगे भी तो पांच बजे के बाद विधेयक को ले लिया जाय। इस विधेयक पर न तो पहले हम लोग बोल पाये और न समय मिला। तीन बजे वाली बात भी तो तय नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---पांच बजे इसको समाप्त करना है। संशोधन बहुत हैं, उन पर राय लेने में काफी वक्त लग जायगा। इतने अधिक और लम्बे संशोधन हैं कि तीन बजे अगर शुरू न किया जायगा तो पांच बजे तक समाप्त नहीं हो सकेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---तो आप इस सम्बन्ध में राय ले लें कि कितने समय में सब लोग पूरा कर सकेंगे। हम आश्वासन देते हैं कि ४ से ५ तक एक घंटे में समाप्त कर देंगे और अगर....

श्री अधिष्ठाता---जितना समय है उसी में पूरा करना है...

श्री मोतीलाल अवस्थी---कहीं नियम में भी ऐसा नहीं है कि दो घंटे पहले से ही राय ली जाने लगे।

श्री अधिष्ठाता---यह सदन का निश्चय है कि पांच बजे यह समाप्त हो और इसमें २५ पृष्ठ पढ़ने हैं और उसके अतिरिक्त आप लोगों के संशोधन भी हैं। सब पर राय ली जायगी और तीन बजे आरम्भ नहीं करते तो समय से समाप्त न कर सकेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---हम आश्वासन देते हैं कि समय ज्यादा नहीं लगायेंगे, चार बजे तक का समय आप दें।

श्री अधिष्ठाता---आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि एक खंड पर जब संशोधन पेश किया जाय तो उस खंड के तमाम संशोधन एक साथ पेश हो जायं और सब पर साथ में ही बहस हो जाय।

श्री अधिष्ठाता---अब तो मैं मोतीलाल जी का नाम पुकार चुका हूं, उनका भाषण हो रहा है वह समाप्त हो जाय। उसके बाद देखा जायगा।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**---मेरी आप इस समय की शिकायत को नोट करें और तीन बजे से गिलोटिन न करें।

तो क्षेत्र समितियों के निर्वाचन में जो ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप-प्रमुख होंगे उनके निर्वाचन का तरीका जो है उसके बारे में संशोधन रखा है। यह (ख) इस प्रकार है कि---"एक ज्येष्ठ उप-प्रमुख और एक कनिष्ठ उप-प्रमुख होगा जिन्हें धारा ६ की उपधारा (१) तथा (२) में निर्दिष्ट सदस्य अपने में से ही निर्वाचित करेंगे"।

इसमें मैंने (२) को इसलिये निकाल दिया क्योंकि धारा (१) में दिया है कि क्षेत्र समिति के यह सदस्य होंगे, संघटक गांव सभाओं के समस्त प्रधान, खंड के भीतर आने वाली प्रत्येक टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन तथा प्रत्येक नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेन्ट। अब आप देखें कि नीचे जो प्रतिबन्ध दिया है वह यह है कि---"संसद अथवा राज्य विधान मंडल का कोई सदस्य अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जो तत्समय किसी टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन या नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेन्ट हो अथवा जिस की अवस्था तीस वर्ष से कम हो प्रमुख अथवा उप-प्रमुख नहीं निर्वाचित किया जायगा"।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अब आप देखें कि मैंने जो उपधारा (२) को निकालने की बात कही है ठीक वही बात इस प्रतिबंध में भी आ जाती है, तो मेरा संशोधन प्रतिबन्ध को पूरा करने वाला है लेकिन अगर सरकार यह नहीं मानती है तो मैं कहूंगा कि सरकार का यह प्रतिबन्ध रहने देना भी फिर अनावश्यक हो जाता है। जब दो को ही अधिकार देना है कि उन्हीं में से चुने जा सकें तब यह कैसे कहा जा सकता है कि उनमें टाउन एरिया कमेटी के चेयरमैन या नोटीफाइड एरिया के प्रमुख न हों, यह चीज परस्पर विरोधी हो जाती है। मेरा संशोधन सरकार को स्वीकार होना चाहिये वर्ना दो परस्पर विरोधी चीजें हो जायंगी। एक तरफ तो टाउन एरिया कमेटी के लोग मिलकर अपने में से चुनाव करेंगे और प्रतिबन्ध में है कि वह नहीं कर पायेंगे तो सरकार इन दोनों में से एक को ठीक करे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय में मंत्री जी अपनी राय दें ताकि मैं जवाब फिर उनको दे सकूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला नैनीताल)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो संशोधन पेश किया है उसके बारे में विधान परिषद् से संशोधन नहीं आया है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी को कुछ कहना है इसमें ?

*श्री कैलाशप्रकाश---संशोधन के विषय में ही कह दूं, उस विवाद में तो पड़ता नहीं कि यह वैधानिक है या अवैधानिक। माननीय अवस्थी जी ने कहा कि यदि यह संशोधन न स्वीकार किया गया तो एक पारस्परिक विरोध उत्पन्न हो जायगा क्योंकि एक जगह यह कहा गया है कि उप-खंड (१) और उप-खंड (२) में से वह अपने में से किसी को चुन सकते हैं और दूसरी जगह कुछ लोगों को बाध्य कर दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कोई कानूनी विरोध नहीं होता क्योंकि एक तो जनरल प्राविजन होता है, जैसे कि किसी को यह अधिकार देना कि वह वोटर बन सकता है, हर बालिग वोटर बन सकता है, लेकिन फिर उसको एक डिस्क्वालीफिकेशन भी कर देते हैं कि यह डिस्क्वालीफाइड है। तो उसके ऊपर सामान्य जो प्राविजन होता है वह लागू नहीं होता। उप-खंड (१) और (२) के अन्दर वह लोग भी आते हैं किन्तु निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से कुछ लोगों को बाध्य कर दिया गया है कि यह उसके अधिकारी नहीं होंगे। तो उसमें कोई पारस्परिक कानूनी विरोध पैदा नहीं होता है और वह वांछनीय है। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---पता नहीं मंत्री जी क्यों हठवादिता पर हैं। उन्होंने कहा कि खंड (ख) में जनरल बात कही गई है और प्राविधान में बताया कि विशिष्ट बात कही गई है। तो जो उन्होंने बताया वही बात लागू हो जाती है अगर मेरा संशोधन मान लिया जाय। मैंने संशोधन रख कर उसे और भी स्पष्ट कर दिया है। लेकिन पता नहीं सरकार का यह क्या तरीका है कि पहले किसी बात को जनरल में कह दें कि करेंगे और फिर विशिष्ट में कहें कि नहीं करेंगे। यह तो कानून में उलझन पैदा करना है। कानून तो स्पष्ट होना चाहिये। अस्पष्ट होता है तो उच्च न्यायालय में अवैध हो जाता है। तो मेरा संशोधन उतना उचित है जितना कि हो सकता है, पता नहीं माननीय मंत्री जी क्यों नहीं मानते हैं।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी, आपका कुछ कहना है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यही कहना है कि दुर्भाग्यवश मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ७ के उप-खंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति २ में अंक "(१)" के पश्चात् शब्द व अंक "तथा (२)" हटा दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उप-खंड (२) की पंक्ति २ में शब्द "उप-प्रमुख" निकाल दिया जाय ।

श्रीमन्, जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार यह है कि कोई व्यक्ति प्रमुख या उप-प्रमुख अगर हो जाता है तो वह जिस ग्राम सभा से चुनकर आया था उसका प्रधान नहीं रहेगा । माननीय मंत्री जी देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में या अन्य स्थानों में प्रेसीडेंट के लिये भले ही हो, लेकिन वाइस-प्रेसीडेंट सदस्यों में से ही होता था और वाइस-प्रेसीडेंट होने के बाद यह कभी भी नहीं कहा गया कि वह सदस्य नहीं रहेगा । तो यह एनालाजी बैठती है ? मंत्री जी इसे सोचें, यह तर्क की बात नहीं है, यह उचित ही बात है ।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी--अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन ऐसा नहीं है जिसे मान लेने में मूल विधेयक पर कोई प्रभाव पड़ता हो । यह बिलकुल सही है कि एम० एल० ए० होने के नाते, पदेन सदस्य जिला परिषद् के भी हो सकते हैं और क्षेत्र समिति के भी हो सकते हैं । लेकिन प्रधान और उप-प्रधान ने क्या कसूर किया है कि अगर वह क्षेत्र समिति का प्रमुख हो गया तो फिर वह गांव सभा का सभापति नहीं रहेगा । इसमें केवल उप-प्रमुख के लिये संशोधन है, इसके साथ प्रमुख भी रहता तो अच्छा होता । फिर भी आप देख लें कि प्रमुख के चुनाव के लिये हर बालिग को अधिकार है कि जिसका नाम निर्वाचन सूची में होगा वह उम्मीदवार होगा । तो संयोग से किसी गांव सभा का सभापति अगर प्रमुख हो गया क्षेत्र समिति का तो उसका क्या कसूर है कि वह सभापति न रहे । मैं समझता हूं इसके कबूल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है । यह एक शाब्दिक फेर है और मंत्री जी इसे स्वीकार करें ।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस अधिनियम में यह भी बात रखी गई है कि उप-प्रमुख कई हालतों में प्रमुख का काम करेगा और जब वह प्रमुख का काम करेगा तो जाहिर है कि जो व्यवस्था इसमें रखी गई है उसमें वह प्रधान किसी गांव सभा का नहीं रह पायेगा और उस हालत में उसकी वह जगह रिक्त हो जायगी । इस तरह से बार-बार रद्दोबदल होगा । इससे ज्यादा अच्छा यही है कि जो व्यवस्था इसमें रखी गई है कि वह प्रधान नहीं रह जायगा और उसकी जगह पर दूसरा प्रधान चुनने की जो व्यवस्था रखी गई है, वह ठीक है ।

*श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन भी मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं । इसके पीछे एक ही बात है कि जो व्यक्ति प्रमुख या उप-प्रमुख बन जाय ब्लाक में उससे आशा यह की जाती है कि वह ब्लाक के काम को अधिक देखेगा और ब्लाक का उत्तरदायित्व उसके ऊपर आ जायगा । फिर गांव के प्रधान के पद का उत्तरदायित्व वह नहीं सम्हाल पायेगा । इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि जो प्रमुख या उप-प्रमुख हों और वह वहां के प्रधान भी हों तो वह प्रधान पद से त्याग-पत्र दे दें और दूसरा प्रधान वहां का चुना जाय और ये लोग मेम्बर बने रहें । यह मुनासिब ही बात मालूम होती है । इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा कि मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं, तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जिला परिषद के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि अगर कोई प्रधान जिला परिषद् का मेम्बर हो जाता है तो उसको प्रमुख पद से इस्तीफा देना पड़ेगा लेकिन इसके लिये आपने व्यवस्था रखी है कि कोई प्रधान अगर प्रमुख हो जाय तो अपने पद से वह इस्तीफा दे दे. . . .

श्री अधिष्ठाता--यह तो आप बहस कर रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—स्पष्टीकरण की बात बाद में आती है, आप जरा सुन तो लें। आपके नियमानुसार वह प्रमुख पद से हटा दिया जाय, तो वह सभासद् से भी गया और प्रमुख से भी गया। तो क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जब वह हटा दिया जाय तो गांव सभा के सभापति के पद पर आसीन रहे ?

श्री अधिष्ठाता—यह कोई स्पष्टीकरण की बात नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मान्यवर, पता नहीं माननीय मंत्री जी ऐसे संशोधन को क्यों नहीं मान रहे हैं। सवाल यह है कि कोई व्यक्ति छांटा जाय तो वह ऐसा हो कि अपना पूरा समय दे सके ब्लाक के कार्यों में। इसमें दो रायें नहीं हैं। जब प्रमुख है तो वह अपना समय ब्लाक के कामों में देगा ही तो फिर उप-प्रमुख की क्या आवश्यकता है। जैसा कि आजकल है कि प्रेसीडेंट होता है उसके बाद वाइस-प्रेसीडेंट होता है। जैसे अंतरिम जिला परिषद् में चेयरमैन के बाद वाइस चेयरमैन बनाया है तो वह अपनी सीट भी रिटेन करता है और वाइस चेयरमैन भी रहता है। श्रीमन्, मेरा संशोधन व्यावहारिक है और मंत्री जी का तो एक खयाल है, एक ख्वाब है जो वह सोच रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इसकी व्यावहारिकता पर ध्यान दें और देखें कि मेरा संशोधन उपयोगी है।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, जो मैं पहले कह चुका हूं उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उप खंड (२) के पंक्ति २ में शब्द "उप-प्रमुख" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—६,

विपक्ष में—४७।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उप-खंड (१) और (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(१) प्रत्येक क्षेत्र समिति का—

(क) एक प्रमुख होगा, जिसे धारा ६ की उपधारा (१) तथा (२) में निर्दिष्ट सदस्य ऐसे व्यक्तियों में निर्वाचित करेंगे जिनके नाम खंड में सम्मिलित किसी क्षेत्र से विधान सभा की निर्वाचक नामावली में निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हों, और

(ख) एक ज्येष्ठ उप-प्रमुख और एक कनिष्ठ उप-प्रमुख होगा जिन्हें धारा ६ की उपधारा (१) तथा (२) में निर्दिष्ट सदस्य अपने में से ही निर्वाचित करेंगे।

उपर्युक्त निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा तथा ऐसी रीति से किया जायगा जिसकी नियमों द्वारा व्यवस्था की जाय और उन नियमों में प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों के निर्वाचन से सम्बद्ध शंकाओं तथा विवादों के निवारण की भी व्यवस्था की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि संसद अथवा राज्य विधान मण्डल का कोई सदस्य अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जो तत्समय किसी टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन या नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेंट हो अथवा जिसकी अवस्था तीस वर्ष से कम हो प्रमुख अथवा उप-प्रमुख नहीं निर्वाचित किया जायगा।

(२) यदि संघटक गांव संभाओं के प्रधानों में से कोई प्रधान प्रमुख अथवा उप-प्रमुख चुन लिया जाय तो किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुये भी वह प्रधान के पद पर न रहेगा परन्तु वह उन सदस्यों के अतिरिक्त जिन का उल्लेख धारा ६ में है पदेन क्षेत्र समिति का सदस्य बना रहेगा और उसके द्वारा रिक्त किये गये स्थान की पूर्ति करने वाला प्रधान क्षेत्र समिति का सदस्य होगा ।

उप-खंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रमुख या उप-प्रमुख इस पद पर उस दशा में न रहेगा जब वह इस अधिनियम के अधीन यथा-स्थिति प्रमुख या उप-प्रमुख होने के लिये अनर्हित हो जाय ।

नया उपखंड (५) निम्नलिखित रूप में जोड़ दिया जाय :—

(५) प्रमुख, जो अन्यथा क्षेत्र समिति का सदस्य न हो, उसका पदेन सदस्य होगा ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वर-मत लिया गया ।)

श्री अधिष्ठाता—"हां" की संख्या अधिक है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—"हां" कोई बोला ही नहीं है । अब दोबारा वोटिंग नहीं होनी चाहिये । "नहीं" की आवाज आई । "हां" की आवाज एक भी नहीं आई । अब आपकी व्यवस्था होनी चाहिये । आप निष्पक्ष बैठे हुए हैं । इसका आप फैसला करें ।

श्री अधिष्ठाता—"हां" की आवाज आई है ।

श्री कैलाशप्रकाश—आवाज आपके कान तक बिलकुल ठीक पहुंची ।

श्री अधिष्ठाता—(श्री मोतीलाल अवस्थी से) आप डिवीजन चाहते हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—डिवीजन हम नहीं चाहते हैं । आपके न्याय पर छोड़ रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—तो यह स्वीकृत हुआ ।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—श्रीमन्, आप जरा जोर से पढ़ा कीजिये । पिछली बार भी धीरे से पढ़ा था ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अध्यक्ष को सिखाया जा रहा है कि आप जोर से बोलें ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट—एक व्यवस्था का प्रश्न है । अब यह स्पष्ट हो गया कि आप जोर से नहीं बोल इसलिये उन्होंने सुना नहीं । लिहाजा "हां" नहीं कहा ।

श्री अधिष्ठाता—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । "हां" की आवाज आई थी ।

खंड ८, १०, ११, १३, १४ तथा १५ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उप-खंड (२) की दूसरी तथा तीसरी पंक्ति के शब्द 'और प्रत्येक पुनस्संघटित क्षेत्र समिति का कार्यकाल उस दिनांक से प्रारम्भ होगा' निकाल दिये जायं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं अपने माननीय सदस्य प्रतापसिंह का किंचित मात्र अनादर न करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह जो संशोधन है यह अनियमित है और रखा नहीं जा सकता । जो हमारे सामने खंड ८ मौजूद है उसमें आप

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

देखें इसमें संशोधन सिर्फ यह करना है कि उप-खंड (२) की अंतिम पंक्ति में शब्द "संघटन" तथा "में" के बीच में शब्द "गजट" जोड़ दिया जाय । सिर्फ इतना ही संशोधन है । लेकिन यहां जो कहा जा रहा है वह उस संशोधन में कतई नहीं है और अभी इसकी व्यवस्था कल दी जा चुकी है कि जो प्रस्तावित संशोधन हैं उन्हीं में संशोधन किया जा सकता है । आप इसको देख लें ।

श्री कैलाशप्रकाश---माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत धन्यवाद आपका । मैं भी यही समझता हूं । कल स्पष्ट रूप से नियम दिखाया जा चुका है कि सदन के सामने केवल जो संशोधन विचारार्थ उपस्थित हैं उनके ऊपर ही कोई संशोधन हो सकता है । यह जो संशोधन माननीय मित्र प्रताप सिंह जी ने दिया है यह किसी संशोधन के ऊपर नहीं है । जो संशोधन विचारार्थ उपस्थित हैं उनके ऊपर वह नहीं है बल्कि वह मूल विधेयक जो है उसमें संशोधन है । इसलिये यह अनियमित है ।

श्री प्रतापसिंह---श्रीमन्, मैं कुछ कहना चाहता हूं । यह विधेयक परिषद् से पास होने के बाद हमारे पास आया है । उसने उसमें जो कुछ संशोधन किये हैं उसके बाद पूरे विधेयक में जो यह किताब है उसमें वह जोड़ दिये गये हैं, तो पूरे विधेयक में संशोधन दे रहे हैं और उन्हीं धाराओं में मेरा यह संशोधन है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, यह वकील ऐसे ही दलील दिया करते हैं । कचहरी में हारे हुए केस पर भी कुछ न कुछ कह देते हैं ।

श्री अधिष्ठाता---नियम १५३ (२) के अनुसार केवल वही संशोधन लिये जा सकते हैं जो कौंसिल से आये हुये संशोधनों में किये गये हों और उनके ऊपर संशोधन हों । पूरा विधेयक तो सामने नहीं है । इसलिये यह अनियमित है ।

प्रश्न यह है कि खंड ८ के उप-खंड (२) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "संघटन" तथा शब्द "में" के बीच में शब्द "गजट" जोड़ दिया जाय ।

उप-खंड (४) (क) में दूसरी पंक्ति में अंक "(५)" के स्थान पर अंक "(४)" तथा अंक "(७)" के स्थान पर अंक "(६)" रख दिया जाय ।

उप-खंड (४) (ख) की दूसरी पंक्ति में शब्द "या खंड (४)" निकाल दिये जायं ।

खण्ड १० उप-खंड (२) की चौथी पंक्ति में शब्द "या खंड (४)" निकाल दिये जायं ।

खण्ड ११ उप-खंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "या खंड (४)" निकाल दिये जायं ।

खण्ड १३ प्रथम पंक्ति में शब्द तथा अंक "तथा (४)" निकाल दिये जायं ।

पंक्ति ३ और ४ में शब्द "के लिये" तथा शब्द 'अनर्हित" के बीच में शब्द "या धारा ७ के अधीन प्रमुख निर्वाचित किये जाने के लिये" जोड़ दिये जायं ।

उप-खंड (क) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :---

"अथवा आज्ञा या सजा को पूरी किये उसे पांच वर्ष न बीत गये हों ।"

उपखंड (घ) की तीसरी पंक्ति में शब्द "राष्ट्रीयकृत" के स्थान पर शब्द "रजिस्ट्रीकृत" रख दिया जाय ।

खण्ड १४ पंक्ति २ में अंक "(५)" के स्थान पर अंक "(४)" तथा अंक "(७)" के स्थान पर अंक "(६)" रख दिये जायं ।

खण्ड १५ उप-खंड ११ की प्रथम पंक्ति में से अन्तिम शब्द "के" निकाल दिया जाय । तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "कम से कम तो तिहाई" के स्थान पर शब्द "के आधे से अधिक" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उप-खंड (१) की पंक्ति ६ व ७ में प्रस्तावित संशोधन हटा दिया जावे ।

श्रीमन्, हमारे सामने जिला परिषदों का जो अध्यक्ष होगा उसके लिये इसमें कुछ परामर्श की बात रखी जा रही है । हम उसमें यह देख रहे हैं कि सरकार जिला परिषद् के स्थान पर अध्यक्ष रख रही है । हम अपने संशोधन से यह चाहते हैं कि यह संशोधन न किया जाय । मैं उस १६ (१) को पढ़ कर सुना देता हूं जिसमें यह लिखा हुआ है कि--"यदि मंडल के आयुक्त की राय में किसी क्षेत्र समिति का प्रमुख या कोई उप-प्रमुख अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का जानबूझकर पालन नहीं करता या पालन करने से इन्कार करता है या अपने में निहित अधिकारों का दुरुपयोग करता है अथवा अपने कर्तव्यों के पालन में अनाचार का दोषी पाया जाय तो मंडल का आयुक्त, यथा स्थिति, प्रमुख या ऐसे उप-प्रमुख को स्पष्टीकरण का समुचित अवसर देने के पश्चात् और इस मामले में (जिला परिषद्) अध्यक्ष का परामर्श मांगने और यदि उसकी राय ऐसा परामर्श मांगने के पत्र के भेजे जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्राप्त हो जाय तो उस राय पर विचार कर लेने के बाद, यथास्थिति, प्रमुख या उप-प्रमुख को आदेश द्वारा पद से हटा सकता है" । यह धारा है जिसके सम्बन्ध में मेरा संशोधन है । सरकार चाहती है कि प्रमुख या उप-प्रमुख को हटाया जा सके तो उनके हटाये जाने के अवसर पर जो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है वह जिला परिषद् से अब न मांगा जाय । पहले जिला परिषद् से मांगने की बात थी । अब जिला परिषद् के स्थान पर सरकार चाहती है कि सिर्फ अध्यक्ष से ही परामर्श मांग लिया जाय । यह मौलिक परिवर्तन है जिसको सरकार प्रवर समिति में पांच महीने तक विचार करने के बाद अब करना चाहती है । यह परिवर्तन कितना उल्टा है ।

मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि क्या यह सरकार धीरे-धीरे विकेन्द्रीकरण से हट कर केन्द्रीकरण की तरफ जा रही है क्योंकि जहां कहीं ऐसी बात आई है कि एक बाडी से, जिला परिषद् से या क्षेत्र समिति से राय ली जाय वहां वहां अब सरकार चाहती है कि बाडी से राय न लेकर एक व्यक्ति से राय ले ली जाया करे । सरकार यह जो कर रही है वह क्यों कर रही है ? इससे क्या अर्थ निकलता है ? सरकार की निगाह में अब यह बात आ चुकी है कि संस्था से राय लेने में वह मत व्यक्त होगा जो जनता के आये हुये प्रतिनिधियों का मत होगा जो हर पहलू से जंचा होगा । अगर एक व्यक्ति से राय ली जायगी तो उस एक आदमी को हर प्रकार से समझाया बुझाया जा सकता है । यह प्रमुख और उप-प्रमुख को हटाने की बात है । मैं जानता हूं कि यह क्षेत्र समितियां ऐसी होंगी जिनमें नये नये विचारों के लोग आयेंगे और आये हुए हैं ।

(इस समय २ बज कर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरसेन पीठासीन हुए ।)

जो नयी विचारधारा के लोग होंगे उनको कभी-कभी ऐसे काम करने का भी साहस होगा जिनके लिये वह जनता के भीतर मैण्डेट पा चुके हैं । उनके काम करने के तरीके को सरकार उल्टी निगाह से देखती है कि सरकार के लिये वे मुसीबत पैदा करेंगे । इसलिये उनको हटाने का प्रश्न है । उनको हटाने के प्रश्न में पहले जिला परिषद् से राय लिये जाने की बात थी । हमारे सदन ने पहले इस बात को बड़ी समझ के बाद तय किया था । जितने भी काम हैं उन सबका निरीक्षण सरकार अकेले नहीं कर सकती है । उसके लिये देखभाल का काम किसी संस्था के पास रहता है तो वह अच्छी तरह से उस काम की देखभाल करती है । इस तरह की संस्था में हर प्रकार के आदमी रहते हैं । वह अधिक जान सकते हैं कि प्रमुख या उप-प्रमुख दोषी हैं या निर्दोषी हैं । इस सदन ने समझ बूझ कर तय किया था लेकिन अब सरकार चाहती है कि परिषद् से राय न ली जाय केवल अध्यक्ष से ही राय ली जाय । मैं मानता हूं कि सरकार यह तर्कना देगी कि समय लग जायगा और इस तरह से शीघ्रता होगी । लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि परिषद् से राय लेने में या अध्यक्ष से केवल राय लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा । एक सा ही समय लगेगा । दूसरे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

यह कि यह कोई प्रजातांत्रिक तरीके की बात नहीं है। अगर समय का बहाना किया जाय कि परिषद् से पूछने में समय अधिक लगेगा तो वह मैं समझता हूं कि अनुचित होगा। मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक तरीके के अनुसार उस संस्था की राय लेना ही उचित होगा। मैं इतना कह कर मंत्री जी का उत्तर सुनना चाहूंगा और उसके बाद अपनी बात कहूंगा।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था और चाहूंगा कि यहां जो कानाफूसी हो रही है उससे हो सकता है कि सरकार की तरफ से यह कोशिश की जाय कि इस वाद-विवाद का अन्त कर दिया जाय। मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात हमने तय नहीं की है कि ३ बजे के बाद विवाद समाप्त हो जाय। आप अपनी जगह पर बैठे हैं, आप ही फैसला कर दें कि इस विधेयक में ३०० दफायें हैं और पिछली बार हम शायद इसमें पंचमांश पर ही विचार कर पाये थे। अब फिर यह नौबत लायी जा रही है कि हम इस पर विचार न कर पायें। अभी हम दफा १६ तक ही पहुंचे हैं और बहुमत के बल पर बिना बहस के निर्णय लेने की बात लायी जा रही है। इससे मेरा मतभेद है और मैं अपने विचार सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि हम अपनी आवाज आगे बढ़ाना चाहते हैं और सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है। वह चाहती है कि हम बोल भी न सकें। इसलिये मैं आप से आग्रह करूंगा कि अगर आपका फैसला कोई इस रूप का हुआ कि जिसमें इस पर बहस न हो पायी तो हम सदन में भाग नहीं लेंगे। हम को हाथ उठाने की मशीन की तरह से काम करने से अच्छा है कि हम अपनी बात कहते हुए चले जायं। इसलिये प्रार्थना है कि आप हमें विवाद के लिये पूरा मौका दें।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें कि "यहां कानाफूसी हो रही है," इस प्रकार के आक्षेप आपको नहीं करने चाहिये। बिना जाने हुए कि किस बात के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं, ऐसी बात कहना उचित नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं जानता हूं कि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मैंने कह दिया....

श्री अधिष्ठाता--बिना जाने आपने कैसे अन्दाजा लगा लिया? यह ठीक नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अगर वह गलत हो तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, लेकिन मैंने संकेत कर दिया कि आप उस कानाफूसी पर ध्यान न दें।

***श्री कुंवर कृष्ण वर्मा**--अधिष्ठाता महोदय, यहां पर जो जिला परिषद् से पहले राय मांगने की बात थी उसके स्थान पर अध्यक्ष से राय मांगने का संशोधन विधान परिषद् से हुआ और उस पर माननीय अवस्थी जी ने एतराज करते हुए कहा कि जिला परिषद् से ही राय मांगी जानी चाहिये। तर्क उन्होंने यह दिया कि उसमें अधिक समय नहीं लगेगा और प्रजातांत्रिक उसूलों के हिसाब से परिषद् से राय मांगना ही उचित होगा बजाय अध्यक्ष के। मेरी समझ में जहां अविश्वास की बात होती है वहां पर तो हम प्रजातांत्रिक उसूलों के अनुसार वोट ले सकते हैं, हाथ उठवा सकते हैं कि प्रमुख अथवा उप-प्रमुख पर सदस्यों को विश्वास रह गया है अथवा नहीं, लेकिन जहां पर यह बात हो कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बातों में किसी प्रकार की खामी है और उसके लिये जांच पड़ताल हो रही है, जो काम किये गये हैं वे नियमों के अनुसार किये गये हैं अथवा नहीं, आदि की जब जांच होती है, तो उसमें मैं समझता हूं कि हाथ उठाने की बात नहीं आती। उसमें जिला परिषद् की राय लेने के माने यह हो जाते हैं कि वहां पर लोगों की बातें सुन कर उन विषयों पर बहुमत से फैसला हो। तो यह चीज मेरी समझ में उचित नहीं है। ऐसी बात तो है नहीं कि जो वह राय भेजेंगे उसी के अनुसार आयुक्त महोदय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपना फैसला देंगे। वह तो जो उसकी राय होगी उस पर विचार करेंगे और तब अपना निर्णय देंगे, उसको मानना या न मानना आयुक्त का काम होगा।

इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि जहां तक मैरिट्स का सवाल है, अध्यक्ष महोदय ही अपना परामर्श दें और जो भी वाकयात हों उनको सामने रख कर फैसला हो। मैं इससे भी सहमत नहीं हूं कि इससे समय की बचत नहीं होगी। समय की बचत तो होगी ही क्योंकि जिला परिषद् के सामने उसको आने में समय लगेगा ही। फिर बहस में भी समय लगेगा। इसलिये यह जो व्यवस्था की जा रही है वह उचित ही है।

दूसरी बात यह है कि यहां प्रमुख और उप-प्रमुख के पद ऐसे हैं कि जिला परिषदों के सामने गन्दगी को उछालना, उनके पद के लिहाज से, अच्छा नहीं है। अच्छा यही है कि अध्यक्ष अपनी जांच करके, अपनी रिपोर्ट भेज दें, मंडल आयुक्त के पास, और उसके बाद फिर जो उनको फैसला देना होगा वे देंगे।

श्री प्रतापसिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है....

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गयी।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, आप उधर के बैठने वालों के लिये कोई ऐसी व्यवस्था तो दें कि वे कम से कम ४३ तो यहां बैठे रहा करें, जब कि उनका काम केवल हाथ उठाना ही रहता है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

***श्री प्रतापसिंह**--श्रीमन्, पहले जब यह विधेयक आया था तो १४ सितम्बर, १९६० को यह संशोधन पास हुआ था और यह राय दी गयी थी कि परिषद् से राय ली जाय। उस समय माननीय मंत्री जी ने इसको उचित समझा था। आज मौजूदा संशोधन को लाकर परिषद् को हटा कर उसके स्थान पर अध्यक्ष को रखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यह सरकार डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के समय की प्रायः जितनी चीजें हुई हैं उनको बदलना चाहती है। पहले, श्रीमन्, इण्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड का क्या स्वरूप होना चाहिये, उसके लिये एक कमेटी बनायी गयी थी, उसको इस सरकार ने बदला, विश्वविद्यालय कमीशन में हेरफेर की, और कई तब्दीलियां हुई हैं, आज इस चीज को भी बदल रहे हैं। अगर उस समय में की गयी हर बात को बदलना ही है, तब तो मुझे कुछ नहीं कहना, किन्तु अगर जनतंत्र को सफल बनाना है तो मुझे इस चीज को देखकर जरूर आश्चर्य होता है और मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब यह विधेयक सन् ६० में आया था तो उस समय क्यों आपने यह रखा था कि परिषदों की राय ली जाय और अब क्यों उसके स्थान पर आप अध्यक्ष को रखने जा रहे हैं? इसके पीछे एक ही मोटिव सरकार का नजर आता है कि अगर प्रमुख और उप-प्रमुख सरकार की मंशा के नहीं आते तो फिर क्या होगा? इस संशोधन को मानने के बाद उनकी शिकायत करवाई जायगी और केवल अध्यक्ष से राय ली जायगी और प्रमुख और उप-प्रमुख तभी तक रह सकेंगे जब तक वे सरकार की मंशा के मुताबिक काम करेंगे। हालांकि परिषद् को राजनीति में नहीं आना चाहिए, फिर भी क्षेत्र समिति में विभिन्न राय के लोग हो सकते हैं, तो क्षेत्र समिति का मत इस सम्बन्ध में अवश्य लेना चाहिए था। कौन सी ऐसी वजूहात थीं कि पहले तो इस बात को माना गया कि परिषद् से इस सम्बन्ध में राय ली जायगी, लेकिन जब विधेयक संशोधित होकर आया तो मंत्री जी विरोधी दल के इस संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हैं? जब हम परिषद् से राय लेने की बात करते हैं तो हम विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं कि जो कि माननीय कैलाश प्रकाश का भी ध्येय है, तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

उनको अवश्य इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर सारे सदस्यों से पूछा जायगा तो वह भी क्षेत्र के मामलों में अधिक दिलचस्पी लेंगे।

आप जो तीन असेम्बलियां बनाने जा रहे हैं, ब्लाक लेविल पर और ग्राम लेविल पर और जनतंत्र की इकाइयों को ट्रेन करना चाहते हैं, वह आपका इरादा स्वप्न होकर ही रह जायगा, यदि यह संशोधन आपने स्वीकार नहीं किया। आज हाथ उठाने का जमाना चला गया, रूल बाई मेजारिटी बदल गया है, आज तो 'एग्रीमेंट बाई डिस्कशन' का जमाना है। हम बहस करते हैं, जिस निर्णय पर पहुंचते हैं उस पर कार्य करते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मंत्री जी पहली बार दूसरे रूप में थे और आज दूसरे गुट की गवर्नमेंट आ गयी है तो यह संशोधन ले आये।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं चाहता था कि उनका जवाब सुन लेता।

श्री अधिष्ठाता---(श्री कैलाशप्रकाश से) आपको बाद में जवाब देना पड़ेगा, समय कम है, अगर बीच में इंटरवीन करना चाहते हैं तो जवाब दे दें।

श्री कैलाशप्रकाश--मैं आखिर में ही बोलूंगा।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--मैं समझ गया, वे निरुत्तर हैं। मैं सरकार की राय जानना चाहता था और उनके उत्तर के बाद बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए उत्तर को सुनना चाहता था। हमारे इस संशोधन के सम्बन्ध में हमारे प्रताप सिंह जी ने बड़ी योग्यता से अपनी बात को कहा और बताया कि जब सदन ने एक राय कायम की थी कि हम प्रमुख या उप-प्रमुख के बरखिलाफ कार्यवाही किये जाने के सिलसिले में जिला परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा जांच होने के बाद कोई रूल बनेंगे। अब सरकार कहती है कि परिषद् के सब सदस्यों की बात सुन करके नहीं होने देगी बल्कि अध्यक्ष की बात सुन कर अपने कार्य को समाप्त कर लेगी। इसमें सिद्धान्त की बात निहित है और यह भी निहित है कि प्रमुख और उप-प्रमुख इस तरह के आयेंगे जो सरकार की हां में हां मिलाने वाले नहीं होंगे क्योंकि पंचायतों के चुनावों में स्वतन्त्र विचार के लोग प्रधान बने और उन्हीं के द्वारा क्षेत्र समितियों का संगठन होगा। तो उन लोगों के विचारों पर कुठाराघात करने का रास्ता सरकार ढूंढ़ रही है। सरकार उनको अपने हाथ में कठपुतली बनाना चाहती है, शिखंडी बनाना चाहती है ताकि उनके द्वारा अपना काम निकाल सके। यह सरकार का षड़यन्त्र है। मैं सरकार पर दोषारोपण करता हूं। वह बिना हमारी राय के अपनी संख्यासुर के बल पर भले ही इसको पारित करा ले लेकिन हमारा विरोध जनता के कानों तक अवश्य पहुंचेगा। यह तरीका जो सरकार रखना चाहती है, अप्रजातांत्रिक है।

***श्री कैलाशप्रकाश**---अधिष्ठाता महोदय, मैं आशा नहीं करता था कि माननीय प्रतापसिंह जी इस रूप में इसका विरोध करेंगे। असल बात यह है कि प्रजातन्त्र में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि जब न्याय करने की बात हो या किसी को सजा देने की बात हो तो उसको वोट के द्वारा नहीं बल्कि किसी और तरीके से होना चाहिये ....

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह प्रजातन्त्र की परिभाषा किस किताब में लिखी है?

श्री कैलाशप्रकाश--मैंने आपकी बात सुन ली, आपके इस तरह से किसी की नीयत पर शक करने से किसी की नीयत खराब नहीं हो जाती। अब आप भी जरा सुनिये। जहां तक इस धारा की बात है, कल्पना यह है कि प्रमुख या उप-प्रमुख या कोई भी अपने पद का दुरुपयोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न करे और आशा यह की जाती है कि इस धारा के अनुसार कभी काम न करना पड़े किन्तु इसी माननीय सदन के सदस्यों ने कितनी ही दफा स्थानीय निकायों के बारे में यह प्रश्न किये हैं कि वहां पर यह बुराई हुई तो सरकार ने क्या कार्यवाही की। तो उस परिस्थिति के लिए यह धारा है जब कि कोई प्रमुख या उप प्रमुख अपने पद का दुरुपयोग करता हो। अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि अगर कोई दुरुपयोग हो, कोई अभियोग हो तो वह राय से तय नहीं हो सकता। और जहां तक परिषद् के मत का सम्बन्ध है कि दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ वह भी अन्तिम नहीं है। वह अपना मत आयुक्त को भेज देंगे और आयुक्त उस पर विचार करेगा। मेरे खयाल से ठंडे दिल से विचार करने पर मेरे दोस्त प्रतापसिंह जी इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि ऐसी बात में अध्यक्ष की सम्मति लेना ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत तमाम परिषद् के। अध्यक्ष उन सारी चीजों को देख और सोच सकता है और स्वतंत्र रूप से अपनी सम्मति भेज सकता है। सिद्धान्ततः और जगह, न्याय पंचायत में भी, नामजदगी रखी है, इलेक्शन नहीं रखा गया है, इस वजह से कि जस्टिस को चुनाव पर नहीं छोड़ना चाहिये और यह बात निस्संदेह न्याय की है। इसलिये परिषद् को हटा कर अध्यक्ष को रखा।

एक आरोप या लांछन लगाया गया। पता नहीं प्रतापसिंह जी ने दिल से लगाया या जब कोई तर्क नहीं मिला तो यही सही। हां, अवस्थी जी तो लगाते ही रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रमुख शासन के पक्ष का नहीं होगा तो उसे सजा दिलाने के लिये यह रखा है। अवस्थी जी को शिकायत रहती है कि उधर के बैठने वाले सब हाथ ही उठाते हैं। जहां पार्टीज चलती होंगी वहां यह सब जगह होगा। तो फिर यह बात कि परिषद् रखने से उस प्रमुख के खिलाफ तो कार्यवाही हो नहीं सकती है जो सरकार के विरुद्ध हो और अध्यक्ष रख देने से हो सकती है, यह बात तर्क के हिसाब से और गणित के हिसाब से भी जमती नहीं है। इसलिये इस संशोधन में न कोई नीयत का सवाल है, और न किसी नियंत्रण की बात है। जैसा अवस्थी जी कहते हैं कि जनता उनकी सुनती है, तो इधर वालों को तो अध्यक्ष कोई बनानेवाला है नहीं, सब उधर के ही होंगे और उनसे सम्मति ली जायगी तो अवस्थी जी का चोखा काम बन जावेगा। इस संशोधन के पक्ष में जो कुछ मेरे दोस्त कुंवर कृष्ण वर्मा जी ने कहा, मुझे उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस स्पष्टीकरण के बाद माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस ले लेंगे वरना मुझे उसका विरोध करना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) की पंक्ति ६ व ७ में प्रस्तावित संशोधन हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—अब मैं गिलोटीन एप्लाई करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—१५ मिनट और दे दिये जावें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—खंड १६ के सारे संशोधन एक साथ पेश करके ले लिये जावें। १६ में आधे में गिलोटीन न लगाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—बहुत कम समय रह गया है। ५ मिनट में ये संशोधन हो जावें तो मैं इजाजत दे दूं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपके पहले अधिष्ठाता जो बैठे थे, उन्होंने कहा था कि ३ बजे के बाद गिलोटीन होगा। तो क्या यह बार-बार बदला जावेगा?

श्री अधिष्ठाता—इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। समय परिवर्तन करने का अधिकार है।

*श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ में शब्द "तीस" के स्थान पर शब्द "साठ" रख दिया जावे। इस संशोधन का मतलब यही है कि जो प्रमुख या उप-प्रमुख आयुक्त सरकार के क्रोध का भाजन बने और वह अपील करना चाहे तो उसे सोचने और कानूनी सलाह लेने के लिये काफी समय मिले। मंत्री जी ने बार-बार न्याय का नाम लिया, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्या आयुक्त कोई न्यायाधीश है? वह सरकार का एक एग्जीक्यूटिव अफसर है, वह कभी न्याय नहीं कर सकता। सरकार के तीन विभाग हैं, जो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, न्याय विभाग, शासन विभाग और विधायक विभाग। तो हम मंत्री जी को क्या पढ़ावें? हमारा मंशा यही है कि उसे काफी समय दिया जाय जिससे वह अपने दोषों का प्रतिकार कर सके। कानूनी सलाह लेने के लिये ग्रामीण शहरों में आते हैं और कभी-कभी शहर वालों को फुर्सत भी नहीं होती है। हम चाहते हैं कि न्याय की दृष्टि से ही सरकार इस उचित बात को मान ले। एक कहावत है कि "जबरुआ मारे और रोने भी न दे"। ऐसा ही मंत्री जी करेंगे यदि वे हमारे संशोधन को नहीं मानते हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उसे ३० दिन की जगह ६० दिन का समय दे दें जिससे वह जवाब दे सके।

*श्री कैलाशप्रकाश--अधिष्ठाता महोदय, ३० दिन का समय बहुत मुनासिब और काफी मालूम होता है। यह साठ दिन का समय रखने के माने यह हैं कि मंशा एक ही है और यह इसलिये है कि ऐसी चीजें जो जल्दी समाप्त होनी चाहिये उन को लटकाया जाय। मैं समझता हूं कि जो समय रखा गया है इसमें काफी अवसर है किसी व्यक्ति को कानूनी सलाह लेने का, सब चीजें देखने का। इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं श्रीमन्, इसका उत्तर एक पंक्ति में दूंगा। तुलसीदास जी ने लिखा है :--

"अंधहु बधिर न कहहिं अस, श्रवण नयन नव बीस।"

तो रावण की ऐसी भुजायें और आंखें बीस रखने के बाद अगर सरकार ऐसा कहती है तो मुझे आश्चर्य नहीं है।

श्री कैलाशप्रकाश--हमारे तो चार आंखें हैं।

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ में शब्द "तीस" के स्थान पर शब्द "साठ" रख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--श्रीमन्, ...

श्री अधिष्ठाता--आप बहुत संक्षेप में २ मिनट में कह दीजिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--आज तो आखिरी दिन है बोल लेने दीजिये, फिर तो पता नहीं सेशन कब हो।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "मुंसिफ" रख दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, विधेयक में जैसा है उसके अनुसार जो प्रमुख या उपप्रमुख है वह हटाया जाता है तो उसके लिये यह है कि राज्य सरकार को अपील करे। यह बर्तमान राज्य सरकार के रवैये के उपयुक्त नहीं जान पड़ता है क्योंकि चाहे वृन्दावन हो, चाहे अल्मोड़ा की म्युनिसिपैलिटी हो वे विरोधियों के हाथ में होने से सुपरसीड की जाती हैं। मिर्जापुर की तो तीन-तीन बार सुपरसीड की गयीं। मिर्जापुर की नगरपालिका और अध्यक्ष का कसूर तो इतना था कि उसने साइकिल टैक्स नहीं लिया था यात्रियों पर, हिन्दू यात्रियों पर, जो विन्ध्याचल जाना चाहते हैं उनसे जजिया नहीं लिया तो उसको तीन बार सुपरसीड कर दिया। श्रीमन, एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। और यह उदाहरण भी आज का है। यह अपनी कुर्सी को बरकरार रखना चाहते हैं चाहे इसके लिये उनको देश का भी सर्वनाश करना पड़े। उदाहरण के लिये जो कम्युनलिज्म कांग्रेस फैला रही है उसका पैरेलल नहीं है। मुसलिम कन्वेंशन जिसके लिये जवाहरलाल जी ने कहा कि नहीं होना चाहिये आज संजीव रेड्डी ने उस पर अपनी मुहर लगा दी। बस कुर्सी नहीं जानी चाहिये चाहे देश का नाश हो जाय।

श्री अधिष्ठाता—यहां पर अध्यक्ष को हटाने की बात है, इससे मुसलिम कन्वेन्शन से क्या मतलब ? आप विषयान्तर कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूं। आज कांग्रेस में मुसलमानों को अलग मेम्बर माना जाता है और अब कांग्रेस के अन्दर रहकर उन को इजाजत दी गयी है कि तुम अब नये पाकिस्तान के लिये नयी योजनायें बनाओ और फिर आज वही सन् ३७ वाले सीन को रिपीट किया जा रहा है और राष्ट्रवादी मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को कम्युनलिज्म फैलाने के लिये प्रश्रय दिया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—आप विषय पर बोलिये, विषयान्तर न कीजिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। मेरे उदाहरण का आधा भाग ही हो रहा है मुझे पूरा कर लेने दीजिये। आज यह किया जा रहा है कि वे अलाहदा से सोचेंगे मुसलमानों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज की तरह। इस प्रकार देश में साम्प्रदायिकता की मनोभावना बढ़ रही है। एक तरफ तो यह हो रहा है और दूसरी तरफ बम पाये जा रहे हैं। ७ हजार पाकिस्तान के नागरिक उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनके विसा खत्म हो गये हैं लेकिन उनको निकाला नहीं गया है, केवल इसी वजह से कि मुसलमानों के वोट उनको मिल जायं। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिये वही तरीका अपनाया जा रहा है जो मुस्लिम लीग के लिये अंग्रेजों ने अपनाया था। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं वरन् उनका दोस्त हूं। मगर इन साम्प्रदायिक कन्वेन्शनों का विरोध करता हूं।

***श्री कैलाशप्रकाश**—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन रखा गया है और जो विचार उस सम्बन्ध में व्यक्त किये गये हैं उन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है, वक्त की भी कमी है इसलिये उन बातों का जवाब देना उचित नहीं समझता। लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं और कई बार सदन में और सदन के बाहर भी कही जा चुकी है कि हमें कुर्सी जो यहां मिली हुई है वह जनता के द्वारा मिली हुई है। जनता जिसको चाहती है उसको यह कुर्सी मिलती है। अब यह दूसरी बात है कि आपको कुर्सी नहीं मिल पायी क्योंकि जनता आपको पसन्द नहीं करती।

उन्हीं नगरपालिकाओं के खिलाफ कार्यवाही की गयी है जिनका पक्के तौर पर दोष पाया गया, चाहे वह नगरपालिका इस पक्ष की हो या दूसरे पक्ष की हो। पार्टी के बेसिस पर किसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

स्थानीय निकाय के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी। किसी पार्टी की नगरपालिका हो, दोष पाये जाने पर उसके खिलाफ कार्यवाही होती है। विष्ट जी ने कहा कि आखिरी बार ही वे बोल रहे हैं इसलिये शायद उन्होंने इस वजह से कहा हो कि कदाचित इससे चुनावों पर कोई असर पड़ जाय। लेकिन उन्होंने जो विचार व्यक्त किये वे निराधार हैं। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं और इसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय मंत्री जी ने जो कहा उसके लिये मैं चैलेन्ज देता हूं। मिर्जापुर बोर्ड के बारे में तीन तीन बार हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया लेकिन इस सरकार ने तीन बार उसको सुपरसीड किया और हाई कोर्ट से वह सुपरसेशन अवैध ठहराया गया। आज कांग्रेस के कई बोर्डों में भ्रष्टाचार है लेकिन एक आध बोर्ड को ही खत्म किया गया है बाकी के ऊपर हाथ नहीं डाला। इसीलिये यहां मैंने यह बात कही है कि 'मुंसिफ' की व्यवस्था कर दी जाय अगर वह नहीं रक्खा जा सकता तो मैं डिस्ट्रिक्ट जज को भी मान सकता हूं। राज्य सरकार स्वयं प्रासीक्यूटर है, वह अपने कमिश्नर के द्वारा यह कार्य कराती है और आप ही जज बनना भी चाहती है। अगर पुलिस वाला कोई जज बना दिया जाय तो क्या वह इंसाफ कर सकता है? माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुर्सी उसी की रहती है जिसको जनता चुनती है तो उन प्रमुखों को जनता ने चुनकर बनाया लेकिन माननीय मंत्री जी को यह बरदाश्त नहीं हुआ और उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देने पर स्वतंत्र अपील का अधिकार भी उन्हें नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ३ में शब्द 'राज्य सरकार' के स्थान पर शब्द 'मुंसिफ रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—चौदहवां संशोधन अनियमित है इसलिये उसको मैं आउट आफ आर्डर करार देता हूं।

अब मैं गिलोटिन एप्लाई करता हूं, जो माननीय सदस्य अपने संशोधन पेश करना चाहें वे यथासमय खड़े हो जायं।

प्रश्न यह है कि खंड १६ में उपखंड (१) की पंक्ति ६ व ७ में आये हुए शब्द "जिला परिषद्" के स्थान पर शब्द 'अध्यक्ष' रख दिया जाय और दसवीं पंक्ति में "विराम" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय।

उपखंड (१) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आदेश से क्षुब्ध प्रमुख या उपप्रमुख हटाये जाने के आदेश से सूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है और अपील न करने की दशा में इस अवधि की समाप्ति पर तथा अपील करने की दशा में अपील के अस्वीकृत किये जाने की सूचना क्षेत्र समिति के कार्यालय में प्राप्ति के दिनांक से वह, यथास्थिति, प्रमुख अथवा उपप्रमुख के पद से हट गया समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—अब मैं....

श्री बालकराम—सदन में फिर कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खंड १८ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के प्रस्तावित भाग (४) की पंक्ति ५ के शब्द "क्रम तथा पांच से" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के भाग (४) की पंक्ति ५ में शब्द "तथा पांच से अधिक" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) के चतुर्थ प्रतिबन्ध में शब्द "चतुर्थ प्रतिबन्धात्मक वाक्य" से लेकर दूसरी व तीसरी पंक्ति के शब्द "रख दिया जाय" तक का अंश निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १८ के वर्तमान उपखंड (१) के भाग (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

(४) ऐसी सहकारी समितियों, जिनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय जिले के भीतर हों और जो उन अपेक्षाओं की पूर्ति करती हों जो राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निर्धारित करे अथवा उक्त समितियों के समूहों के इतने प्रतिनिधि जितने राज्य सरकार गजट में विज्ञापित करके निर्धारित करे पर जो तीन से कम तथा पांच से अधिक न होंगे और जो नियत रीति से चुने जायेंगे।

वर्तमान उपखंड (६) निकाल दिया जाय और आगे आने वाले उपखंडों की संख्या क्रमानुसार बदल दी जाय।

प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य में अंक "(७)" के स्थान पर अंक "(६)" रख दिया जाय।

द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य में अंक "(७)" के स्थान पर अंक "(६)" रख दिया जाय।

चतुर्थ प्रतिबन्धात्मक वाक्य की प्रथम पंक्ति में शब्द "ग्राम्य क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "जिले" रख दिया जाय और शब्द "की राज्य" के स्थान पर शब्द "से" रख दिया जाय। इसी की चौथी पंक्ति में अंक "(७)" के स्थान पर अंक "(६)" रख दिया जाय।

उपखंड (२) के भाग (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "जिलेमें रहने वाली" निकाल दिये जायं और भाग (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "और" तथा शब्द "उपधारा" के बीच में शब्द "इस" जोड़ दिया जाय और चौथी पंक्ति में शब्द "जिले में रहने वाले" निकाल दिये जायं तथा अन्त में "विराम" के स्थान पर "कोलन" रख दिया जाय और निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :—

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसका नाम विधान सभा की निर्वाचक नामावली में जिले से निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है, अनुमोदित नहीं किया जायगा।

उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "उपखंड (१) के भाग (७)" के स्थान पर शब्द "उपधारा (१) के खंड (६)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) कोई भी व्यक्ति तब तक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिये अर्ह न होगा जब तक कि वह धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिये पात्र न हो और कम से कम तीस वर्ष की अवस्था का न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २० में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २० के उपखंड (४) (क) की द्वितीय पंक्ति में अंक "(८)" के स्थान पर अंक "(७)" और अंक "(९)" के स्थान पर अंक "(८)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २० के उपखंड (४) (ख) की द्वितीय पंक्ति में शब्द व अंक "(२) और (४) से (६) तक" के स्थान पर शब्द व अंक "(२), (४) और (५)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खण्ड २० के उपखंड (४) (ग) की प्रथम पंक्ति में अंक "(७)" के स्थान पर अंक "(६)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २२ के उपखंड (२) की द्वितीय पंक्ति में अंक "(७)" के स्थान पर अंक "(६)" रख दिया जाय और तीसरी व चौथी पंक्ति में शब्द व अंक "से (६) तक" के स्थान पर शब्द व अंक "और (५)" रख दिये जायं तथा छठी पंक्ति में अंक "(७)" के स्थान पर अंक "(६)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २३ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में अंक "(७)" के स्थान पर अंक "(६)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २४ के उपखंड (१) की द्वितीय पंक्ति में अंक "(७)" के स्थान पर अंक "(६)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २६ की द्वितीय पंक्ति में अंक "(७)" के स्थान पर अंक "(६)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २७ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २७ की द्वितीय पंक्ति में शब्द व अंक "(८) या खंड (९)" के स्थान पर शब्द व अंक "(७) या खंड (८)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड २८ के उपखंड (११) की प्रथम व द्वितीय पंक्ति में शब्द "कम से कम दो तिहाई" के स्थान पर शब्द "आधे से अधिक" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २९ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अधिष्ठाता---१९ नम्बर का संशोधन तो आउट आफ आर्डर है।

प्रश्न यह है कि खंड २९ के उपखंड (१) का संशोधन हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

[इस समय ३ बज कर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।]

श्री अध्यक्ष ---प्रश्न यह है कि खंड २९ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २९ के उपखंड (१) की छठी पंक्ति में शब्द "और" से लेकर नवीं पंक्ति में शब्द "उपाध्यक्ष को" तक सारे शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "पश्चात उसको" रख दिये जायं।

उपखंड (२) की चौथी पंक्ति में शब्द "निर्वजित" के स्थान पर शब्द "विवर्जित" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३३ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३३ के उपखंड (१) के भाग (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "परिषदों" के स्थान पर शब्द "परिषद्" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३४ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३४ के उपखंड (१) की पांचवीं पंक्ति में शब्द "गांव पंचायत" के बाद "कामा" निकाल दिया जाय और शब्द "या" जोड़ दिया जाय।

उपखंड (१) की पांचवी व छठी पंक्ति में शब्द "प्रबन्धक समिति" के बाद शब्द "टाउन एरिया कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी" निकाल दिये जायं और उसी पंक्ति में शब्द "गांव पंचायत" व शब्द "भूमि" के बीच में "कामा" को हटा दिया जाय और शब्द "या" रख दिया जाय। तथा सातवीं पंक्ति में शब्द "प्रबन्धक समिति" के बाद शब्द "टाउन एरिया कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी" निकाल दिये जायं और आठवीं पंक्ति में शब्द "गांव पंचायत" व शब्द "भूमि" के बीच में "कामा हटा दिया जाय और शब्द "या" जोड़ दिया जाय तथा नवीं पंक्ति में शब्द 'प्रबन्धक समिति" के बाद शब्द "टाउन एरिया कमेटी या नोटिफाइड एरिया कमेटी" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३५ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३५ के वर्तमान उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"जिले की समस्त गांव सभाओं के सम्बन्ध में अनुसूची ३ के दूसरे स्तम्भ में दिये गये अधिकारों, कर्तव्यों और कृत्यों का प्रयोग तथा सम्पादन निश्चित दिनांक से जिला परिषद् अथवा क्षेत्र समिति जिसकी संघटक वह गांव सभा हो, जैसा भी उक्त अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में उल्लिखित हो, द्वारा किया जायगा।"

उपखंड (२) को निकाल दिया जाय और उपखंड (३) को उपखंड (२) के रूप में पढ़ा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३९ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ के उपखंड (१) का प्रथम संशोधन हटा दिया जाय व इसी खंड के उपखंड (१) के भाग (४) का संशोधन भी हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं जल्दी करने के लिये यह तरीका रखूंगा कि खंड बतला दूंगा जिसमें परिषद् के संशोधनों को जो स्वीकार किये जायं उनको पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, न बहस हो पाती है और न कुछ हो पाता है यह तो जबानबन्दी है।

श्री अध्यक्ष—अगर एक-एक दो-दो मिनट बोलते तो हो जाता।

प्रश्न यह है कि खंड ३९ के उपखंड (२) का प्रस्तावित संशोधन हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ के उपखंड (२) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ के उपखंड (३) का संशोधन हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ के नवीन उपखंड (४) को हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं यह तरीका रखूंगा कि इस तरह से पूछूंगा—प्रश्न यह है कि खंड ३९ में परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं—

उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "प्रत्येक जिला परिषद्" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये किन्हीं विशेष निदेशों के अधीन रहते हुये, जिला परिषद्।"

उपखंड (१) के भाग (१) में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" लिख दिया जाय।

उपखंड (१) का भाग (४) निकाल दिया जाय और आगे के समस्त भागों की क्रम-संख्या क्रमानुसार परिवर्तित कर दी जाय।

उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की दूसरी व तीसरी पंक्ति में शब्द "वह" तथा शब्द "कोई" के बीच में शब्द "नियोजन तथा विकास कार्य से सम्बन्धित" जोड़ दिये जायं।

उपखंड (३) की दूसरी व तीसरी पंक्ति में शब्द "जिला कृषि अधिकारी" निकाल दिये जायं और चौथी व पांचवीं पंक्ति में शब्द "अर्थात सीनियर मेकैनिकल इंस्पेक्टर (माइनर इर्रीगेशन)" निकाल दिये जांय तथा छठी पंक्ति में शब्द "मुख्य कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "मुख्य अधिकारी" लिख दिया जाय व सातवीं पंक्ति में शब्द "कृषि अधिकारी" निकाल दिये जायं।

नवीन उपखंड (४) निम्नलिखित रूप में जोड़ दिया जाय—

(४) जिला परिषद का कार्य विभागों में किया जायगा और विभागों तथा उन अधिकारियों को जो उनके अध्यक्ष होंगे, नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, यह संशोधन तो पढ़े जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—कोई जरूरत नहीं है, वह छपा हुआ है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—हमेशा नियम यह रहा है कि जो संशोधन पारित किया जाय वह कम से कम चेयर से पढ़ा तो जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं जब यह कहता हूं कि यह खंड इस विधेयक का अंग बन जाय तो मैं पढ़ता नहीं हूं। इसी तरह से यह भी हो सकता है।

खंड ४३ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४३ में परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं।

[श्री अध्यक्ष]

उपखंड (१) के प्रतिबन्ध की दूसरी पंक्ति में शब्द "मुख्य कार्याधिकारी द्वारा" निकाल दिये जायं।

उपखंड (२) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "मुख्य कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "मुख्य अधिकारी" लिख दिया जाय।

उपखंड (४) (ख) की चौथी व पांचवीं पंक्ति में शब्द "सहमति देती हों, अपनी ही सेवायें कर लें और इस प्रकार परिषद् की सेवायें" के स्थान पर शब्द "सहमति दे दी हो अपनी ही सेवा में कर लें और इस प्रकार परिषद् की सेवा में" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४६ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४६ के उपखंड (२) के प्रस्तावित भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"अन्य पदों पर नियुक्तियां निर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्यक्ष निम्न प्रकार कार्यान्वित करेगा—

परिषद् की एक चुनाव समिति द्वारा जिसमें तीन से पांच सदस्य हों इन नियुक्तियों का कार्य सम्पादित होगा। किन्तु अध्यक्ष अपने विवेक से किन्हीं नियुक्ति में हेर-फेर कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि चुनाव समिति योग्यताओं सेवा नियमों का ध्यान रख कर ही नियुक्तियां निष्पक्ष रूप से करेगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१०

विपक्ष में—४९।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४६ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायें—

उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति में अंक "४०" के स्थान पर अंक "३९" रख दिया जाय।

उपखंड (२) का वर्तमान भाग (ख) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"(ख) अन्य पदों पर नियुक्तियां तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा की जायंगी:

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष द्वारा की गई किसी नियुक्ति से क्षुब्ध कोई अधिकारी या सेवक उस आदेश के दिनांक से जिसके द्वारा नियुक्ति की गई हो तीस दिन के भीतर मण्डल के आयुक्त को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दिशा में मण्डल के आयुक्त का निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४९–५० में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४९ और ५० में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं—

खंड ४९

उपखंड (१) में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" जोड़ दिया जाय।

उपखंड (२) की द्वितीय पंक्ति में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय।

खंड ५०

उपधारा (२) की तृतीय पंक्ति में शब्द "मुख्य कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "मुख्य अधिकारी" रख दिया जाय और चौथी व पांचवीं पंक्ति में शब्द "खंड" व शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५१ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५१ के प्रस्तावित उप-खंड (१) के भाग (क) की चौथी पंक्ति के शब्द "अभियुक्ति" के पश्चात् का अंश निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "अधिलिखित करे" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५१ के उपखंड (१) का भाग (ख) हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५१ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार दिये जायं।

वर्तमान उपखंड (१) व (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) (क) जिला परिषद, मुख्य अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों पर ऐसा नियन्त्रण रखेगी जो नियत किया जाय, और अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवर्ष मुख्य अधिकारी के कार्य तथा आचरण के बारे में अपनी समीक्षा के आधार पर अपनी अभियुक्ति उस प्राधिकारी को भेजे, जिससे मुख्य अधिकारी के सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य और आचरण के विषय में नियतकालिक प्रविष्टियां अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती हो।

(ख) पूर्वोक्त प्राधिकारी उक्त सरकारी कर्मचारी के कार्य और आचरण के विषय में कोई अन्य प्रविष्टि अभिलिखित करने के अतिरिक्त खंड (क) के अधीन अध्यक्ष द्वारा भेजी गई अभियुक्ति को भी अभिलिखित करेगा।

(२) परिषद् में नियोजित समस्त अधिकारियों एवं सेवकों पर, जिसमें वित्त अधिकारी सम्मिलित नहीं है, मुख्य अधिकारी का प्रशासकीय नियन्त्रण रहेगा और विशेष रूप से उसे यह अधिकार होगा कि वह प्रतिवर्ष ऐसे अधिकारियों एवं सेवकों के कार्य के लिये तथा आचरण के बारे में अपनी समीक्षा के आधार पर, अपनी अभियुक्ति उस प्राधिकारी को, यदि कोई हो, भेजे जिससे उक्त अधिकारियों एवं सेवकों के

[श्री अध्यक्ष]

सरकारी कर्मचारियों के रूप में कार्य और आचरण के विषय में नियतकालिक प्रविष्टियां अभिलिखित करने की अपेक्षा की जाती हो। ऐसा प्राधिकारी, उक्त सरकारी कर्मचारियों के कार्य और आचरण के विषय में कोई प्रविष्टि अभिलिखित करने के अतिरिक्त, मुख्य अधिकारी द्वारा भेजी गई अभियुक्ति को भी अभिलिखित करेगा।"

उपखंड (४) के आरम्भ में शब्द "विभागाध्यक्षों" से पहले शब्द "परिषद् के" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५२ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५२ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में प्रस्तावित संशोधन कि शब्द "क्षेत्र समिति का" के स्थान पर शब्द "प्रमुख का" रख दिया जाय, निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५२ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकर किये जायं।

उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "क्षेत्र समिति का" के स्थान पर शब्द "प्रमुख का" रख दिया जाय और उसी पंक्ति में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" जोड़ दिया जाय।

उपखंड (४) की चौथी पंक्ति में शब्द "समय-समय पर जारी किये गये आदेशों" के स्थान पर शब्द "एतदर्थ बनाये गये नियमों" रख दिय जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५६, ५९, ६२, ६३, ६४, ६६ ६७, ७० ,७३, ७८, ९७, ८०, ८१, ८६, ८८, ९०, ९१, ९२, ९४, ९५, ९६, ९७, १०२, तथा १०७ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५६, ५९, ६२, ६३, ६४, ६६, ६७, ७०, ७३, ७८, ७९, ८०, ८१, ८६, ८८, ९०, ९१, ९२, ९४, ९५, ९६, ९७, १०२ और १०७ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं---

खंड ५६ — उपखंड (३) की दूसरी पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

खंड ५९ — उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

उपखंड (१) के समक्ष पार्श्वलिखित शीर्षक में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

खंड ६२ — भाग (ठ) में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

खंड ६३ — उपखंड (१) की दूसरी व तीसरी पंक्ति में शब्द "नियत रीति से" तथा शब्द "योजना तैयार करगी" के बीच में शब्द "तथा राज्य सरकार द्वारा

तदर्थ दिये गये निदेशों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुये" रख दिये जायं और उसके बाद आने वाला शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

उपखंड (२) (ग) की प्रथम पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय। खंड ६४

उपखंड (३) में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय। खंड ६६

उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "समिति में" के बाद कामा लगा दिया जाय और उसी पंक्ति में शब्द "चालीस" तथा शब्द "होने" के बीच में शब्द "तक" जोड़ दिये जायं तथा उसी पंक्ति में शब्द "छः" के बाद शब्द "तक" निकाल दिया जाय। खंड ६७

पंक्ति तीन में शब्द "नियमों" के स्थान पर शब्द "विनियमों" रख दिया जाय। खंड ७०

उपखंड (१) (क) की दूसरी पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय। खंड ७३

उपखंड (१) के समक्ष पार्श्वलिखित शीर्षक में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय। पहली पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जायं, और खंड ७८

उपखंड (१) की दूसरी व तीसरी पंक्ति में से शब्द "तथा (उसकी) समितियों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिये" निकाल दिये जांय और इनके स्थान पर शब्द "के प्रति" रख दिये जायं।

उपखंड (१) भाग (ङ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

उपखंड (१) भाग (च) के अन्त में "कोलन" रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय:

> प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड के अधीन मुख्य अधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध उससे क्षुब्ध सेवक उस निर्णय की सूचना दिये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अध्यक्ष को अभ्यावेदन दे सकता है और उस दिशा में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

उपखण्ड (३) की प्रथम, दूसरी व तीसरी पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

उपखंड (३) की दूसरी व छठीं और सातवीं पंक्ति में शब्द "खण्ड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय और छठी पंक्ति में अंक "७८" के स्थान पर अंक "८०" रख दिया जाय। खंड ७९

उपखण्ड (१) (ख) की प्रथम पंक्ति में शब्द "खण्ड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय और अन्त में "सेमीकोलन" के बाद लिखा हुआ शब्द "तथा" निकाल दिया जाय। खंड ८०

उपखंड (ख) की दूसरी व तीसरी पंक्ति में से शब्द "तथा यदि उसमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर क्षेत्र समिति का ध्यान आकृष्ट करें" निकाल दिये जायं। खंड ८१

[श्री अध्यक्ष]

खंड ८६ उपखंड (१) की तीसरी व पांचवीं पंक्ति में शब्द "खण्ड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय।

उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "खण्ड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय।

उपखंड (४) की प्रथम पंक्ति में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय।

खंड ८८ उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "दोनों" रख दिये जायं।

खंड ९० उपखंड (३) की दूसरी पंक्ति में शब्द "समितियां" के स्थान पर शब्द "समिति या" रख दिये जायं।

खंड ९१ उपखंड (१) के भाग (१) के प्रथम पंक्ति में शब्द "जिनका" तथा शब्द "सम्पादन" के बीच में शब्द "प्रयोग या" जोड़ दिये जायं।

उपखंड (२) के भाग (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "जिनका" तथा शब्द "सम्पादन" के बीच में शब्द "प्रयोग या" जोड़ दिये जांय।

उपखंड (३) के भाग (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "जिनका" तथा शब्द "सम्पादन" के बीच में शब्द "प्रयोग या" जोड़ दिया जाय।

खंड ९२ उपखंड (१) के समक्ष पार्श्वलिखित शीर्षक में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय।

उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय।

उपखंड (१) के भाग (४) की चौथी पंक्ति में शब्द "तथा जिला परिषद्" निकाल दिये जायं।

उपखंड (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय।

खंड ९४ उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय और दूसरी पंक्ति में शब्द "खंड" तथा "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय।

उपखंड (१) के भाग (ग) की तीसरी पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" तथा शब्द "खंड" व शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय।

उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" और उसी पंक्ति में शब्द "खंड" व शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय।

उपखंड (३) की प्रथम पंक्ति में से शब्द "ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन रहते हुये जो नियत किये जायं," निकाल दिये जायं।

खंड ९५ पार्श्वलिखित शीर्षक में शब्द "कर्मचारियों से" तथा शब्द "परामर्श लेने" के बीच में शब्द "सहायता तथा" जोड़ दिये जायं।

भाग (९) के अन्त में सेमीकोलन के बाद लिखित शब्द "तथा" निकाल दिया जाय।

भाग (१०) के अन्त में लगे हुये विराम के स्थान पर सेमीकोलन तथा शब्द "; तथा" जोड़ दिये जायं।

भाग (१०) के पश्चात् निम्नलिखित नवीन भाग (११) के रूप में जोड़ दिया जाय:—

"(११) जिला कृषि अधिकारी।"

आठवीं पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय और नवीं पंक्ति में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय। खंड ९६

उपखंड (१) की तीसरी व पांचवीं पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय। खंड ९७

उपखंड (२) की तीसरी व चौथी पंक्ति में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय और छठी पंक्ति में विराम के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय :

"ऐसा कोई भी निर्णय देने (में) जिला मैजिस्ट्रेट उन सामान्य आदेशों से निर्देशित होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर एतदर्थ जारी किये जायं।"

उपखंड (३) में अंक "९२" के स्थान पर अंक "९९" रख दिया जाय। खंड १०२

उपखंड (२) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की प्रथम पंक्ति में शब्द "संकामण" के स्थान पर शब्द "संक्रामण" रख दिया जाय तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "एकीकरण" के स्थान पर शब्द "एककरण" रख दिया जाय। खंड १०७

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)]

खंड १०९ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १०९ के वर्तमान उपखण्ड (१) में प्रस्तावित संशोधन की पंक्ति ६ के शब्द "कर सकती है" के पश्चात् का अंश निकाल दिया जाय और अन्त में पूर्ण विराम लगा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १०९ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया जाय—

वर्तमान उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— खंड १०९

"(१) जब परिषद या क्षेत्र समिति के प्रबन्ध में किये जाने वाले किसी मेले, कृषि प्रदर्शनी या औद्योगिक प्रदर्शनी के अवसर पर अथवा परिषद् या क्षेत्र समिति द्वारा नियंत्रित और विनियमित पशु बाजार या पशु मेले के अवसर पर यथास्थिति परिषद् या क्षेत्र समिति राज्य सरकार से विशेष पुलिस संरक्षण की मांग करे तो राज्य सरकार ऐसे संरक्षण की व्यवस्था कर सकती है और उक्त परिषद् या क्षेत्र समिति उसका पूरा व्यय या उस व्यय का उतना अंश जो राज्य सरकार उसके द्वारा न्याय रूप में देय समझे अदा करेगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११० में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ११० में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया जाय—

[श्री अध्यक्ष]

उप-खंड (६) (क) की सातवीं पंक्ति में शब्द "कर सकता है" के पश्चात् के शब्द "मण्डल आयुक्त परिषद् के कर्मचारिवृन्द के वेतन का परिवर्तन कर सकता है भुगतान सुनिश्चित करने के लिये बजट के अवशिष्ट भाग में ऐसे आवश्यक तथा उस भाग के संबंध में ऐसी सिफारिशें भी कर सकता है जो वह उचित समझे।" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर शब्द "तथा बजट के अवशिष्ट भाग के संबंध में ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझे।" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११५ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ११५ के उप खण्ड (१), (२) तथा (४) में जहां कहीं भी शब्द "कार्यकारिणी" आया है उसके स्थान पर शब्द "वित्त समिति" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ११५ में प्रस्तावित संशोधन के उप-खण्ड ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"यदि परिस्थितियों के अनुसार वांछनीय हो तो क्षेत्र समिति उचित कारणों को लेखबद्ध करके इस धारा के अधीन अन्तिम रूप से पारित बजट में परिवर्तन कर सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस विशेष परिस्थितियों में वांछनीय परिवर्तन करने में नियत समय की अवधि का उल्लंघन नहीं समझा जावेगा यदि ऐसा करने में अवधि से अधिक समय लग गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ११५ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं —

वर्तमान खण्ड ११५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"११५ (१) कार्यकारिणी उत्पादन समिति तथा कल्याण समिति के परामर्श से और धारा ९९ की उपधारा ( ) के प्रतिबन्धात्मक खंड के उपबन्धों का समुचित ध्यान रखते हुए आगामी ३१ मार्च, को समाप्त होने वाले वर्ष के अपने वास्तविक तथा प्रत्याशित आय-व्यय का एक पूरा लेखा तथा आगामी १ अप्रैल से आरम्भ होने वाले वर्ष के लिये अपने आय-व्यय का बजट उस दिनांक के पूर्व जो नियम द्वारा एतदर्थ निश्चित किया जाय तैयारी करेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि अनुमित आय में राज्य सरकार से नियोजन और विकास के कार्यों के निमित्त प्राप्त अनुदानों को अलग प्रदर्शित किया जायगा तथा व्यय के अनुदानों में यह अलग प्रदर्शित किया जायेगा कि उन अनुदानों के किस प्रकार व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

(२) प्रमुख कार्यकारिणी द्वारा तैयार किये गये लेखे तथा बजट को उनके तैयार किये जाने के दिनांक से ५ दिन के भीतर जिला परिषद् को प्रेषित करेगा और जिला परिषद् लेखे तथा बजट को नियोजन समिति के समक्ष परिनिरीक्षा के लिये और ऐसी सिफारिशें करने के लिये रखेगी, जिन्हें करना नियोजन समिति उचित समझे।

(३) नियोजन समिति की परिनिरीक्षा का परिणाम और उसकी सिफारिशें क्षेत्र समिति को ऐसे अन्य दिनांक के पूर्व संसूचित कर दी जायेंगी जिसे इस संबंध में नियम द्वारा निश्चित किया जाय।

(४) क्षेत्र समिति इस संबंध में नियम द्वारा निश्चित दिनांक के पूर्व प्रत्येक वर्ष एक बैठक आयोजित करके उसमें कार्यकारिणी द्वारा तैयार किये गये लेखे और बजट तथा नियोजन समिति की परिनिरीक्षा के परिणाम और सिफारिशों पर विचार विमर्श करेगी और तब बिना किसी परिष्कार के या ऐसे परिष्कारों के साथ, जिन्हें करना वह उचित समझे, संकल्प द्वारा बजट पारित करेगी।

(५) यदि किसी क्षेत्र समिति का बजट उसके पारण के लिये नियत दिनांक तक उपधारा (४) के अधीन पारित न किया गया हो, तो कार्यकारिणी द्वारा तैयार किया गया बजट, उन परिष्कारों के अधीन रहते हुए जिनकी सिफारिश नियोजन समिति ने उपधारा (३) के अधीन की हो, पारित किया गया समझा जायेगा और यह तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि क्षेत्र समिति उपधारा (४) के अधीन बजट पारित करके उसे अप्रवर्ती न घोषित कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११८, १२६, १३४, १७९, १८९, १९०, १९१, १९९, २००, २०४ तथा २२२ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ११८, १२६, १३४, १७९, १८९, १९०, १९१, १९९, २००, २०४, और २२२ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं—

भाग (ग) की दूसरी पंक्ति में शब्द "कार्य" के स्थान पर शब्द "कल्याण" रख दिया जाय। — खंड ११८

उप खंड (१) की पंक्ति १ में संख्या "१२३" के स्थान पर "१२५" रख दी जाय। — खंड १२६

दूसरी पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय। — खंड १३४

प्रथम पंक्ति में अंक "१७८" के स्थान पर अंक "१७६" रख दिये जायं। — खंड १७९

भाग (ग) की पहली पंक्ति में शब्द "सड़क को" तथा शब्द "मोड़" के बीच में शब्द "ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय" रख दिये जायं। — खंड १८९

भाग (ङ) की सातवीं पंक्ति में अंक "१८९४" तथा शब्द "के अधीन" के बीच में शब्द "या अन्य किसी विधि" जोड़ दिये जायं।

उप खण्ड (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "जिला परिषद्" तथा शब्द "इस धारा" के बीच में शब्द "भी" जोड़ दिया जाय। तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "संबंध में" तथा शब्द "कर सकती है" के बीच का शब्द "भी" हटा दिया जाय। — खंड १९०

उप खण्ड (३) के अन्त में "।" के स्थान पर ";" रख दिया जाय तथा उसके अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय— — खंड १९१

"प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार परिभाषित सामान्य निर्माण रेखा तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों की अपेक्षाओं के समतरूप होगी।"

उप-खण्ड (४) की पांचवी पंक्ति में शब्द "अधिकारी" के स्थान पर शब्द "प्राधिकारी" रख दिया जाय।

स्पष्टीकरण की दूसरी पंक्ति में शुरू के शब्द "किसी प्राधिकारी द्वारा तथा" निकाल दिये जायं तथा उसी पंक्ति में शब्द "नियमों में नियत" के बाद शब्द "किसी प्राधिकारी द्वारा तथा" जोड़ दिये जायं। — खंड १९९

[श्री अध्यक्ष]

खंड २०० खण्ड के पार्श्व में निम्नलिखित शीर्षक रख दिया जाय:—

"भोजन पेय तथा भेषजों की बिक्री के स्थानों का निरीक्षण"

प्रथम पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

दूसरी पंक्ति में शब्द "तदर्थ" के बाद शब्द "भोजन, पेय तथा भेषजों की बिक्री के स्थानों का निरीक्षण" निकाल दिये जायं।

पंक्ति चार में शब्द "खण्ड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" जोड़ दिया जाय।

खंड २०४ उप-खण्ड (२) की पंक्ति पांच में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

खंड २२२ प्रथम पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

तृतीय पंक्ति में शब्द "खण्ड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२४ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२४ की सातवीं तथा अन्तिम पंक्ति के प्रस्तावित शब्द "तीन मास तक कारावास या" तथा शब्द "अथवा दोनों" निकाल दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड २२४ में विधान परिषद द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जांय।

खंड २२४ सातवीं पंक्ति में शुरू के शब्द "अर्थ-दंड का भागी होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है।" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं:—

"तीन मास तक कारावास या पांच सौ रुपये तक अर्थ-दंड अथवा दोनों का भागी होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२६, २२९, २३४ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड २२६, २२९ और २३४ में विधान परिषद द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं —

खंड २२६ तीसरी पंक्ति में शुरू के शब्द "तथा सामान्य हित के अन्य विषयों" निकाल दिये जांय तथा चौथी पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

खंड २२९ उप खण्ड (३) की प्रथम पंक्ति में शब्द "जिला मैजिस्ट्रेट" तथा शब्द "नियत" के बीच में शब्द "जिला परिषद तथा" रख दिया जाय।

खंड २३४ भाग (क) की प्रथम पंक्ति के शुरू में शब्द "अध्यक्ष सहित" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३५ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

खंड २३५

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३५ के प्रस्तावित उपखंड (१) की पंक्ति ३ के शब्द "और वह अथवा" से लेकर अन्तिम पंक्ति के शब्द "तो जिला मजिस्ट्रेट" तक निकाल दिये जायं तथा इसी खंड के उपखंड (१) के भाग (क) तथा (ख) को भी निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३५ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं।

उप-खंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) मंडल आयुक्त जिला परिषद् को अपने अधिकारों का प्रयोग अथवा अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों का सम्पादन करने के लिये निदेश दे सकता है और वह अथवा यदि वह अपना अधिकार जिला मैजिस्ट्रेट को प्रतिनिहित करे तो जिला मैजिस्ट्रेट—

(क) जिला परिषद् की चर्चाओं में भाग ले सकता है किन्तु उसे मतदान का अधिकार न होगा, तथा

(ख) जिला परिषद् को कोई संसूचना उसकी बैठक में पढ़े जाने तथा उस पर चर्चा करने के लिये भेज सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३६, २३७, २३८, २३९, २४८, २५८, २६६, २७०, तथा २७३ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २३६, २३७, २३८, २३९, २४८, २५८, २६६, २७० और २७३ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं—

खंड २३६

तृतीय पंक्ति में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय तथा चौथी पंक्ति में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" जोड़ दिया जाय।

उप-खंड (२) के भाग (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ख) खंड (क) के अधीन दिया गया हटाये जाने का आदेश सम्बद्ध सदस्य को संसूचित कर दिया जायेगा जो तदुपरान्त उस रूप में कार्य न करेगा। प्रत्येक ऐसा आदेश, यथाशक्य, शीघ्र किन्तु उस आदेश के विरुद्ध, अपील करने की अवधि की समाप्ति के पश्चात या यदि कोई अपील की गई हो, तो उस अपील के अस्वीकृत होने के पश्चात गजट में विज्ञापित किया जायेगा और तदुपरान्त उस सदस्य का पद रिक्त हुआ समझा जायगा।"

उप-खंड (२) के भाग (ग) की दूसरी पंक्ति में अंक "(५)" के स्थान पर अंक "(४)" रख दिया जाय।

उप-खंड (ङ) की तीसरी पंक्ति में शब्द "प्रमुख" तथा कामा के बीच में शब्द "अथवा सदस्य, गांव सभा के प्रधान," रख दिये जायं।

उप-खंड (२) के भाग (च) के पश्चात निम्नलिखित नया भाग (छ) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(छ) खंड (क) के अधीन दिये गये मंडल आयुक्त के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उक्त आदेश के प्राप्त होने के दनांक से ३० दिन

[श्री अध्यक्ष]

के भीतर, जिसमें से वह समय निकाल दिया जायेगा जो उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये अपेक्षित हो, राज्य सरकार को अपील कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अंतिम होगा।"

उप-खंड (४) के भाग (क) की दसवीं पंक्ति में शब्द "समिति के" तथा शब्द "समस्त सदस्य" के बीच में शब्द "प्रमुख सहित" रख दिये जायं।

उप-खंड (४) के भाग (ग) के अन्त में "।" के स्थान पर ":" रख दिया जाय तथा निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय--

"प्रतिबन्ध यह है कि मंडल आयुक्त, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अवक्रांत करने का कोई आदेश नहीं देगा।"

उप-खंड (४) के भाग (घ) को निकाल दिया जाय।

खंड २३७ उप-खंड (१) के अन्त में शब्द "बना सकती है" तथा "।" के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"तथा ऐसे नियम भी बना सकती है जो अन्यथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो"।

खंड २३८ उप-खंड (१) के भाग (घ) की प्रथम पंक्ति में "शब्द मंत्रणा" के स्थान पर शब्द "परामर्श" रख दिया जाय।

उप-खंड (१) के भाग (ङ) (४) में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय।

खंड २३९ उप-खंड (२) के शीर्षक घ---बाजार, वधशालाएं, भोजन विक्रय आदि के भाग (घ) की सातवीं पंक्ति में शब्द "और" तथा आठवीं पंक्ति में शब्द "उनके" के बीच के शब्द "सिवाय उस आयति तक के जिस तक उपशीर्षक (ग) के अधीन उपविधियों द्वारा व्यवस्था जा सकती हो" निकाल दिये जायं।

उप-खंड (२) के शीर्षक च सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा के भाग (ग) की चौथी पंक्ति में शब्द "भारमुक्त" के स्थान पर शब्द "भारयुक्त" तथा शब्द "भारयुक्त" के स्थान पर शब्द "भारमुक्त" रख दिया जाय और भाग (ङ) के अन्त में "।" के स्थान पर ";" रख दिया जाय तथा निम्नलिखित नया भाग (च) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(च) पेय जल संभरण की व्यवस्था तथा विनियमन।"

उप-खन्ड (२) के शीर्षक ज---प्रकीर्ण के भाग (ज) की पंक्ति में शब्द "तथा" और "उनके" के बीच के शब्द "उनके लिये" निकाल दिये जायं।

खंड २४८ उप-खंड (१) की प्रथम पंक्ति में शब्द "मुख्य कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय तथा दूसरी पंक्ति में शब्द "खंड अधिकारी" के स्थान पर शब्द "प्रमुख" रख दिया जाय।

खंड २५८ भाग (ख) की पांचवी पंक्ति में शब्द "उप-प्रमुख" के पूर्व शब्द "प्रमुख" रख दिया जाय तथा छठीं पंक्ति में शब्द "प्रमुख" निकाल दिया जाय।

खंड २६६ उप-खंड (१) के भाग (क) की प्रथम पंक्ति के शब्द "यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अधीन संघटित" निकाल दिये जायं तथा तृतीय पंक्ति में शब्द "उस" के स्थान पर शब्द "वह" रख दिया जाय।

उप खंड (१) के भाग (ख) की प्रथम पंक्ति के शब्द "यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ऐक्ट, १९२२ के अधीन संघटित" निकाल दिये जायं तथा दूसरी पंक्ति के शुरू में शब्द "किसी जिले के" रख दिये जायं।

उप-खंड (१) के भाग (ग) की प्रथम पंक्ति के शब्द "यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२, के अधीन संघटित" निकाल दिये जायं।

खंड के पश्चात निम्नलिखित नया खंड "२७०-क" के रूप में जोड़ दिया जाय—— खंड २७०

जिले में क्षेत्र समितियों की स्थापना तथा परिषद् की स्थापना के बीच के समय के लिये व्यवस्था

२७०-क(१) इस अधिनियम अथवा उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अधिनियम, १९५८ में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन एक ओर जिले में क्षेत्र समितियों की तथा दूसरी ओर धारा १८ के अधीन तथा संगठित जिला परिषद् की स्थापना के बीच की अवधि में——

(क) अन्तरिम जिला परिषद् तथा उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य क्रमशः जिला परिषद् और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे और वही इस प्रयोजनार्थ जिला परिषद् और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य समझे जायेंगे।

(ख) धारा १७ से २७, २३४, २६६ से २६९ व २७३ को छोड़कर इस अधिनियम में अन्यत्र आये हुए वे समस्त निर्देश (references) जो जिला परिषद्, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के लिये हो, इस धारा के फलस्वरूप इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाली अन्तरिम जिला परिषद् और उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों के लिये समझे जायेंगे,

(ग) धारा २३२ व २३४ अंतरिम जिला परिषद् को इस शर्त के साथ लागू होगी कि अन्तरिम जिला परिषद् का विघटन नहीं किया जायगा,

(घ) धारा २६६ से २७० तक का इस संशोधन के साथ प्रभाव होगा कि धारा १७ के अधीन जिला परिषद् के स्थापित न होने तक "परिषद्" का अर्थ इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कार्य करने वाली अन्तरिम जिला परिषद् से होगा, तथा

(ङ) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा ४, धारा ६ की उपधारा (७) तथा धारा ७, ८ व १३ के अधीन आये हुए विषयों के संबंध में किन्तु अन्य विषय में नहीं, अन्तरिम जिला परिषद् उक्त धाराओं तथा उपधाराओं द्वारा विनियमित होती रहेगी।

(२) जब तक धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (६) के अधीन चुनाव नहीं हो जाते, उस समय तक धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (४) का अस्तित्व नहीं समझा जायगा।"

वर्तमान खंड के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—— खंड २७३

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८
यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९१४

२७३——उस दिनांक से जब किसी जिले में क्षेत्र समितियों की स्थापना का कार्य पूरा हो जाये, यूनाइटेड प्राविंसेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ तथा यूनाइटेड प्राविंसेज लोकल रेट्स ऐक्ट, १९१४ उस जिले के संबंध में निरस्त हो जायंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची १ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुसूची १ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं ।

अनुसूची १ वर्तमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय---

अनुसूची १

(धारा ३२ देखिये)

क्षेत्र समितियों के अधिकार तथा कृत्य

१---कृषि, सहकारिता तथा लघु सिंचाई कार्य---

(१) कृषि का विकास, जिसके अन्तर्गत अधिक उत्पादन के निमित्त परिवार योजना तैयार करना तथा निष्पादन करना, बीज गोदामों और अन्य संभरण केन्द्रों की स्थापना को सहायता देना, उन्नत प्रविधियों को लोकप्रिय बनाना, भूमि संरक्षण तथा भूमि का पुनरुद्धार पौदों की रक्षा, सिंचाई तथा कृषि के विकास के लिये ऋण और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना, तथा लघु सिंचाई कार्य,

(२) सहकारिता की वृद्धि करना, विशेषकर, सहकारिता संबंधी शिक्षा की व्यवस्था द्वारा तथा सहकारी समितियों को संगठित करके,

(३) सिंचाई के लघु कार्यों का निर्माण तथा अनुरक्षण,

(४) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमाओं के अधीन रहते हुए तालाबों, नहरों, बांधों तथा जलोत्तारण कार्यों, जो पूर्णतः खन्ड के अन्दर स्थित हों, का निर्माण और मरम्मत तथा उनसे और अन्य स्रोतों से जल संभरण करना,

(५) सार्वजनिक पार्कों तथा उद्यानों की स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध, वृक्षारोपण तथा वनरोपण,

२---पशु पालन---

(६) पशु चिकित्सालयों तथा टीकाकरण केन्द्रों की स्थापना, प्रबन्ध तथा अनुरक्षण, मवेशियों तथा पशुओं की नस्ल सुधारने के उपाय करना, तथा पशु प्रदर्शनियां,

(७) चारे की फसल, मत्स्य संवर्धन, कुक्कुट में सुधार ,

(८) पशु शव का उपयोग ,

३---कुटीर उद्योग---

(९) कुटीर एवं ग्राम उद्योगों और क्रय-विक्रय की दशाओं का सर्वेक्षण,

(१०) कुटीर एवं ग्राम उद्योगों की उन्नति करना जिनमें ऐसे उद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिये ऋण तथा अनुदान देना सम्मिलित है,

(११) शिल्प (Crafts) तथा उद्योगों मे प्रशिक्षण ।

४---चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य---

(१२) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रसूति एवं शिशु उपचार गृहों (clinics) औषधालयों तथा सार्वजनिक रूप से टीका लगाने, स्वच्छता का प्रबन्ध करने और रोग की रोक-थाम संबंधी कार्य की स्थापना , प्रबन्ध तथा अनुरक्षण, परिवार नियोजन,

(१३) महामारियों की रोकथाम तथा उनका नियंत्रण,

(१४) पेय जल की व्यवस्था करना तथा उसे सहायता देना, मनुष्य के उपयोग में आने वाले जल को कलुषित होने से बचाना और कलुषित जल का इस प्रकार प्रयोग होने से रोकना,

५—शिक्षा, समाज शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम—

(१५) प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना,

(१६) शरीर संवर्धन जिसमें खेलकूद तथा प्रतियोगितायें सम्मिलित हैं,

(१७) सामाजिक शिक्षा तथा महिलाओं एवं युवकों के कल्याण की वृद्धि करना ,

(१८) खन्ड से संबंधित पदधारियों (officials) तथा अन्य व्यक्तियों के कैम्पों, गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण कार्य-क्रमों का आयोजन,

(१९) पुस्तकालय, वाचनालय तथा अन्य प्रकार से शैक्षिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना,

(२०) रोग, स्वास्थ्य रक्षा (Hygiene) स्वच्छता, अधिक अच्छी गृह व्यवस्था, कृषि, उद्योग और पशु अभिजनन जैसे विषयों के संबंध में ज्ञान का प्रसार करना,

(२१) मेलों, कृषि एवं पशु प्रदर्शनों तथा औद्योगिक प्रदर्शनियों का संचालन तथा प्रबन्ध,

६—हरिजन कल्याण—

(२२) हरिजनों के कल्याण की वृद्धि करना,

(२३) क्षेत्र समिति को सौंपी गई हरिजन कल्याण योजनाओं का निष्पादन,

(२४) सामाजिक एकता (Social integration) के उद्देश्य से शैक्षिक कार्य-क्रम,

७—नियोजन तथा आंकड़े (Statistics)—

(२५) खन्ड के लिये विकास योजनायें तैयार करना और गांव पंचायतों को उनकी विकास योजनायें तैयार करने में मदद देना,

(२६) गांव सभाओं द्वारा निर्मित योजनाओं का पुनर्विलोकन, समन्वय तथा एकीकरण ,

(२७) खन्ड तथा पंचायत विकास योजनाओं के निष्पादन को सुनिश्चित करना,

(२८) सफलताओं और लक्ष्यों की नियतकालिक समीक्षा,

(२९) खन्ड योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों की आधार सामग्री (Data) एकत्र करना तथा तत्संबंधी आंकड़े रखना,

(३०) ऐसी विवरणियां, विवरण और प्रतिवेदन तैयार करना जिन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा राज्य सरकार और या जिला परिषद् क्षेत्र समिति से करे,

(३१) विकास कार्यों में प्रतियोगितायें चलाना और इनामों तथा पारितोषिकों की स्थापना

[श्री अध्यक्ष]

८—अन्य योजनाएं—

(३२) सरकार तथा जिला परिषद् की उन योजनाओं को कार्यान्वित करना जो क्षेत्र समिति को सौंपी जायं,

९—गांव सभाओं पर पर्यवेक्षण का अधिकार—

(३३) नियत प्रक्रिया के अनुसार गांव सभाओं में अनुदानों का वितरण,

(३४) गांव सभाओं के कार्यकलाप का सामान्यतया और नियमों के अनुसार पर्यवेक्षण,

१०—सार्वजनिक निर्माण—

(३५) सड़कों, पुलों और इमारतों का निर्माण, रक्षण तथा मरम्मत और वृक्षारोपण तथा उनकी सुरक्षा,

(३६) संपत्ति का धारण, प्रबन्ध अर्जन और निस्तारण और क्षेत्र समिति में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गई संपत्ति के मूल्य में विकास करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची २ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची २ के भाग (क) के उपभाग (१६) के बाद शब्द "नहर तथा बड़े बांध (dams)" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची २ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं—

अनुसूची २ वर्तमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय—

अनुसूची २
(धारा ३३ देखिये)

जिला परिषदों के अधिकार तथा कृत्य

भाग—क

१—पशुपालन—

(१) राज्य सरकार द्वारा तदर्थ बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए जिले के ग्राम्य क्षेत्र में ऐसी निजी या सार्वजनिक भूमि पर, जो गांव सभा के स्वामित्व या नियंत्रण में न हो, लगने वाले पशु बाजारों तथा मेलों का नियंत्रण और विनियमन,

(२) पशु चिकित्सा की उच्चतर तथा अधिक अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था,

२—ग्राम तथा कुटीर उद्योग—

(३) ग्राम तथा कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण के लिये जिला केन्द्र की स्थापना, क्षेत्र समितियों को ग्राम तथा कुटीर उद्योगों के प्रसार तथा विकास में सहायता,

३—चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य—

(४) महामारी के निवारण तथा नियंत्रण में क्षेत्र समितियों को सहायता देना तथा धन की समुचित व्यवस्था करना,

(५) जन चिकित्सालयों, औषधालयों तथा उपचार-गृहों की स्थापना, प्रबन्ध तथा अनुरक्षण,

(६) परिवार नियोजन,

(७) जनता के लिये पेय-जल की व्यवस्था करने में क्षेत्र समितियों को सहायता देना तथा धन की समुचित व्यवस्था करना, मनुष्य के उपयोग में आने वाले जल को कलुषित होने से बचाना और कलुषित जल का इस प्रकार प्रयोग किये जाने से रोकना,

(८) क्षोभकर, खतरनाक या घृणित व्यापारों, व्यवसायों या कार्यों का विनियमन,

४—शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्य—

(९) प्राइमरी स्तर से ऊपर की शिक्षा, पुस्तकालयों, अध्यापकों के प्रशिक्षण, स्कूलों का निरीक्षण तथा छात्रवृत्तियों की स्थापना की व्यवस्था तथा उसकी व्यवस्था में सहायता,

(१०) शरीर संवर्धन, स्वयंसेवक दल की स्थापना और उसकी सहायता,

(११) मेलों, कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनियों तथा पशु प्रदर्शनों का संचालन व प्रबन्ध,

(१२) पदधारियों तथा अन्य व्यक्तियों के अन्तर खन्ड शिविरों, अधिवेशनों, गोष्ठियों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन,

५—सार्वजनिक निर्माण—

(१३) सार्वजनिक सड़कों, पुलों तथा निरीक्षण गृहों का निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण और सामान्यतया संचार गृहों का सुधार,

(१४) सार्वजनिक सड़कों के दोनों ओर तथा जिला परिषद् में निहित अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाना और उनका परिरक्षण,

(१५) जिला परिषद् के उद्देश्यों से संबंधित भवनों का निर्माण, मरम्मत तथा अनुरक्षण,

(१६) अन्तर खन्ड जलकल, बांधों तथा जलोत्सारण कार्यों तथा ऐसे अन्य कार्यों तथा तालाबों का निर्माण व मरम्मत जो राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद् को सौंपे गये हों तथा उनसे व अन्य स्रोतों से जल संभरण,

६—सहायता कार्य—

(१७) दुर्भिक्ष निवारणार्थ निर्माण कार्य का सम्पादन, उनकी मरम्मत तथा उनका अनुरक्षण, सहायता कार्यों तथा सहायता गृहों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण तथा दुर्भिक्ष और दुष्प्राप्यता के समय ऐसी सहायता की व्यवस्था करना जो आवश्यक समझी जाय,

(१८) निर्धन गृहों, शरणालयों, अनाथालयों, बाजारों तथा विश्राम-गृहों की स्थापना, प्रबन्ध अनुरक्षण तथा निरीक्षण,

७—नियोजन व आंकड़े—

(१९) जिला योजना की रूप-रेखा तैयार करना,

(२०) क्षेत्र समितियों द्वारा निर्मित योजनाओं का पुनर्विलोकन, उनका समन्वय एवं एकीकरण,

[श्री अध्यक्ष]

(२१) खण्ड के समस्त कृषि उत्पादन, निर्माण तथा अन्य कार्य-क्रमों पर निगरानी रखना और यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न कार्यक्रम योजनानुसार उचित रूप से कार्यान्वित किये जा रहे हैं तथा जिला योजनाओं के निष्पादन के संबंध में निदेश जारी करना,

(२२) सरकार तथा अन्य अखिल भारतीय या राज्य बोर्डों, आयोग, इत्यादि द्वारा जिले के लिये प्रदिष्ट तदर्थ अनुदानों का उनके साधारण अथवा विशिष्ट निदेशों के समनुरूप वितरण,

(२३) कार्यक्रमों का मूल्यांकन और सफलताओं तथा लक्ष्यों की नियत-कालिक समीक्षा,

(२४) जिले के भीतर योजना के कार्यान्वय के संबंध में समस्त विषयों पर आधार सामग्री एकत्र करना तथा आंकड़े रखना,

(२५) प्रतियोगितायें आयोजित करना तथा इनामों एवं परितोषिकों का वितरण,

७—प्रशासन—

(२६) ऐसी विवरणियां, विवरण और प्रतिवेदन तैयार करना जिन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा राज्य सरकार परिषद् से करे,

(२७) पड़ाव के मैदानों का विनियमन और जहां सरायज ऐक्ट, १८६७ प्रचलित हो वहां सरायों और पड़ावों का विनियमन जिसके अन्तर्गत उक्त ऐक्ट के अधीन जिला मैजिस्ट्रेट के ऐसे कृत्य भी सम्मिलित हैं जिसके लिये राज्य सरकार निदेश दे,

(२८) ऐसे सार्वजनिक घाटों (Public Ferries) का प्रबन्ध जो नार्दर्न इंडिया फेरीज ऐक्ट, १८७८ की धारा ९—ए के अधीन परिषद् को सौंपे जायं,

(२९) प्रक्रम वाहनों (Stage Carriages) (मशीन द्वारा चालित वाहनों से भिन्न) का विनियमन और उनके लिये लाइसेंस जारी करना,

(३०) ऐसे सार्वजनिक या निजी पूर्तों या न्यासों का प्रबन्ध जो राज्य सरकार के आदेश या सम्मति से परिषद् के अधिकार में दे दिये गये हों,

(३१) परिषद् में निहित या उसके प्रबन्ध में सौंपी गई सम्पत्ति का मूल्य बनाये रखना और उसमें विकास करना

(३२) ग्राम क्षेत्र से संबंधित जन्म तथा मृत्यु के आंकड़ों का संकलन।

भाग—ख

(१) पूर्व निर्मित अथवा अनिर्मित क्षेत्रों में नई सार्वजनिक सड़कों का विन्यास तथा तदर्थ एवं उक्त सड़कों से लगे हुये भवनों और उनके प्रहातों के निर्माणार्थ भूमि अर्जित करना;

(२) अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का सुधार;

(३) स्कूलों की स्थापना तथा अनुरक्षण से भिन्न उपायों द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना ;

(४) जन-गणना करना और ऐसी सूचना के लिये पारितोषिक देना जिससे जन्म-मरण के आंकड़ों की ठीक-ठीक प्रविष्टि हो सके;

(५) ट्राम-पथों, हवाई रज्जु-पथों तथा यातायात के अन्य साधनों का निर्माण, उन्हें आर्थिक सहायता देना या उनके विषय में प्रत्याभूति देना,

(६) कोई क्षोभकर, खतरनाक या घृणित व्यापार, व्यवसाय या कार्य करने के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना अथवा प्राप्त करने में सहायता देना;

(७) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर नदियों और जल संभरण के अन्य स्रोतों का संरक्षण तथा उन्हें क्षति पहुंचाये जाने या दूषित अथवा कलुषित होने से बचाना;

(८) पर्यटन की उन्नति,

(९) जिले के भीतर अथवा बाहर कोई ऐसा कार्य करना जिस पर होने वाला व्यय, राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार की स्वीकृति से जिला परिषद् द्वारा, जिला निधि पर उपयुक्त रीति से भारित व्यय घोषित किया गया है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची ३, ४, ५, ६ और ७ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची ३, ४, ५, ६ और ७ विधान में परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं:—

अनुसूची ३ वर्तमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय :—

अनुसूची ३

(धारा ३५ देखिये)

यूनाइटेड प्राविन्सेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य जो जिला परिषद् अथवा क्षेत्र समिति, जैसा कि तृतीय स्तम्भ में उल्लिखित है, द्वारा प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जायंगे ।

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा	अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य	प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रयुक्त या संपादित किये जायेंगे
९	गांव सभा के सदस्यों का रजिस्टर तैयार करवाना	क्षेत्र समिति
११ (१)	गांव सभा की बैठक बुलाई जाने की अपेक्षा करना तथा उसकी बैठक बुलाना ।	क्षेत्र समिति
१२–ई	गांव पंचायत के प्रधान तथा न्याय पंचायतों के पंचों, सरपंचों, और सहायक सरपंचों को पद की शपथ दिलाना ।	क्षेत्र समिति
१२–एफ	गांव पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान तथा सदस्यों के त्यागपत्रों को ग्रहण करना ।	जिला परिषद्
१७–ई	सिंचाई की छोटी योजनाओं को हाथ में लेने के गांव पंचायतों के प्रस्तावों को स्वीकृत करना ।	क्षेत्र समिति
२० (१)	प्राइमरी स्कूल अथवा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा यूनानी अस्पताल या औषधालय स्थापित तथा अनुरक्षित करने के लिये खण्ड में स्थित पास-पड़ोस की गांव सभाओं के किसी समूह को परस्पर सम्मिलित होने का निदेश देना ।	क्षेत्र समिति
(२)	प्राइमरी स्कूल अथवा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक अथवा यूनानी अस्पताल या औषधालय स्थापित तथा अनुरक्षित करने के लिये अंतर-खंड पास पड़ोस की गांव सभाओं के किसी समूह को परस्पर सम्मिलित होने का निदेश देना ।	जिला परिषद्

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा	अधिकार, कर्तव्य या दायित्व	प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रयुक्त या संपादित किये जायेंगे
[श्री अध्यक्ष]		
२५ (१)	पंचायत द्वारा किसी ऐसे पद के सृजन का अनुमोदन करना जिसके लिये उसके बजट में व्यवस्था न हो ।	क्षेत्र समिति
२५ (४) (१)	पंचायत कर्मचारियों का खंड के अन्दर स्थानान्तरण करना	क्षेत्र समिति
(२)	पंचायत कर्मचारियों का खंड से बाहर स्थानान्तरण करना	जिला परिषद्
२५ (५)	न्याय पंचायत के अधीन सेवकों की नियुक्तियां स्वीकृत करना तथा उनके सम्बन्ध में स्थानान्तरण, दण्ड, पद मुक्ति तथा पदच्युति के अधिकारों का प्रयोग करना ।	क्षेत्र समिति
२५-ए	पंचायत सेक्रेटरियों को नियुक्त करना तथा उन पर पदोन्नति, पदच्युति, हटाये जाने सम्बन्धी प्रशासकीय नियंत्रण के अधिकार ।	जिला परिषद्
२५-ए	पंचायत सेक्रेटरियों पर छुट्टी, स्थानान्तरण तथा अन्य अनुशासन सम्बन्धी अधिकार जिनमें नियुक्ति, पदोन्नति, पदच्युति तथा हटाये जाने सम्बन्धी अधिकार सम्मिलित नहीं हैं ।	क्षेत्र समिति
२७	गांव पंचायत के किसी धन अथवा सम्पत्ति की क्षति, बरबादी अथवा दुरुपयोग के लिये गांव पंचायत, संयुक्त समिति या अन्य समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध दीवानी वाद चलाने की स्वीकृति देना ।	जिला परिषद्
३० (२) (१)	खंड के अन्दर स्थित संयुक्त समिति की संघटक इकाइयों के बीच विवादों को तय करना ।	क्षेत्र समिति
(२)	संयुक्त समिति की अन्तर खंड संघटक इकाइयों के बीच विवादों को तय करना ।	जिला परिषद्
३६	एक गांव सभा को दूसरी गांव सभा से ऋण लेने की स्वीकृति	क्षेत्र समिति
३७-ए (२)	देना गलती से छोड़े गये किसी व्यक्ति पर कर या उपशुल्क लगाने के लिये गांव सभा को निदेश देना ।	क्षेत्र समिति
३७-बी	यदि गांव सभा अपने अदेयों को मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल करने के लिये तीन महीने के भीतर संकल्प पारित न करे तो पंचायत करों का मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जाना प्राधिकृत करना ।	क्षेत्र समिति
३७-सी (२)	सरकार द्वारा नियत की गई परिस्थितियों में किसी कर या उपशुल्क की पूर्णतः या अंशतः छूट देना ।	जिला परिषद्
३७-सी (३)	किसी कर या उपशुल्क में पूर्णतः या अंशतः छूट देने के गांव सभा के निर्णय को अनुमोदित करना ।	क्षेत्र समिति
३९ (१)	उस अनुपात को निर्धारित करना जिसमें न्याय पंचायत के व्यय सर्किल में सम्मिलित गांव सभाओं की गांव निधियां (Gaon Fund) पर भारित होंगे ।	क्षेत्र समिति
४१ (३)	गांव सभा के वार्षिक तखमीनों (बजट) को अनुमोदित करना तथा वार्षिक तखमीनों में पहले ही से अनुमोदित विषय पर बजट में प्रविष्ट राशि के भीतर गांव पंचायत द्वारा व्यय किये जाने का अनुमोदन करना ।	क्षेत्र समिति

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा	अधिकार, कर्त्तव्य या कृत्य	प्राधिकारी जिसके द्वारा प्रयुक्त या सम्पादित किये जायंगे
३९ (४)	यदि गांव सभा द्वारा बजट पास न किया गया हो तो उसका बजट तैयार करना तथा उसे पारित करवाने के लिये गांव सभा को भेजना ।	क्षेत्र समिति
४१ (५)	गांव सभा के बजट में किसी भी समय संशोधन, परिष्कार अथवा परिवर्तन करना ।	क्षेत्र समिति
९६	किसी गांव सभा, गांव पंचायत या संयुक्त समिति या उसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या दिये गये आदेश के निष्पादन या आगे निष्पादन का निषेध करना, यदि उसकी (नियंत्रण प्राधिकारी की) राय में ऐसा संकल्प अथवा आदेश इस प्रकार का हो कि उससे जनसाधारण या विधितः नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग या निकाय के लिये अवरोध, क्लेश अथवा क्षति उत्पन्न हो अथवा होने की सम्भावना हो अथवा उससे मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिये खतरा हो या होने की सम्भावना हो अथवा दंगा या हंगामा उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की संभावना हो ।	जिला परिषद्
९८	पंचायत उप-विधियों के शास्ति खण्ड की स्वीकृति देना ।	जिला परिषद्
११२(१) (जी)	गांव सभा द्वारा कोई अन्य कर्त्तव्य या कृत्य किये जाने का निदेश देना ।	क्षेत्र समिति
११४	पंचायत राज ऐक्ट के अधीन संघटित किसी निकाय में हुई किसी रिक्ति को, यदि वह ६ मास से अधिक के लिये न हो, न भरने का निदेश देना ।	जिला परिषद्
अनुसूची ४	धारा १६ (१) की प्रविष्टि निकाल दी जाय । धारा २९ (१) की प्रविष्टि निकाल दी जाय ।	

धारा ३५ (१) की प्रविष्टि निकाल दी जाय तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय :—

"३५ गांव सभाओं के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करना ।	कार्य समिति, अध्यक्ष या मुख्य अधिकारी को पूर्णतः अथवा अंशतः एक को और अंशतः अन्य को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।"

[श्री अध्यक्ष]

धारा ३९ (२) प्रतिबन्धात्मक खंड से संबंधित दूसरी प्रविष्टि के द्वितीय स्तम्भ में दूसरी पंक्ति में आये हुये शब्द "किसी ऐसे" निकाल दिये जायं ।

धारा ४३ (१) की प्रविष्टि में शब्द "ऐसे पदों पर" के स्थान पर शब्द "कार्य अधिकारी अभियन्ता और कर अधिकारी के पदों पर तथा ऐसे पदों पर" रख दिये जायं ।

धारा ५१ (१) की प्रविष्टि में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी तथा अन्य विभागाध्यक्षों" रख दिये जायं ।

धारा ५१ (३) में निम्नलिखित अभ्युक्ति जोड़ दी जाय :—

"परिषद् के सामान्य पथ-प्रदर्शन के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किया जायेगा ।"

धारा ९४ (१) की प्रविष्टि में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिये जाय ।

धारा १०१ (३) की अभ्युक्ति निकाल दी जाय ।

धारा १४२ में निम्नलिखित अभ्युक्ति जोड़ दी जाय :—

"कार्य समिति को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।"

धारा १९१ (५) की अभ्युक्ति में शब्द "सार्वजनिक निर्माण" स्थान पर शब्द "कार्य" रख दिया जाय ।

शीर्षक में शब्द "कार्याधिकारी" के स्थान पर शब्द "अधिकारी" रख दिया जाय :

अनुसूची ५

धारा २०८ की प्रविष्टि की प्रथम पंक्ति में शब्द "या" के बाद शब्द "हटाने" जोड़ दिया जाय तथा अभ्युक्ति में शब्द "अपील की जा सकती है । हटाने" के स्थान पर शब्द "अपील की जा सकती है" रख दिये जायं ।

अनुसूची ६

धारा ११ (१) की प्रविष्टि में शब्द "प्रमुख" के पश्चात् शब्द "उप-प्रमुख" जोड़ दिया जाय तथा अभ्युक्ति में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" जोड़ दिया जाय ।

धारा ३४ (२) के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ३५ के रूप में जोड़ दी जाय :—

"३५—गांव सभाओं के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करना ।	कार्यकारिणी या प्रमुख को प्रतिनिहित किया जा सकता है ।"

धारा ५२ (१) की प्रविष्टि निकाल दी जाय ।

धारा ८६ की प्रविष्टि में शब्द "क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "खंड" रख दिया जाय ।

धारा ९३ (१) की प्रविष्टि में शब्द "उद्धरण", तथा "मांगना" के बीच में शब्द "आदि" बढ़ा दिया जाय ।

धारा १०१ (३) की अभ्युक्ति में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय ।

धारा १६५ (१) की प्रविष्ट की चौथी पंक्ति में शब्द "अथवा" तथा शब्द "खुदाई" के बीच में शब्द "कुएं की" रख दिये जायं तथा अभ्युक्ति में शब्द "खंड" के पश्चात् शब्द "विकास" रख दिया जाय।

धारा १८४ (१) तथा (२) की अभ्युक्ति में शब्द "खंड" के पश्चात् शब्द "विकास" जोड़ दिया जाय।

धारा १९३ की प्रविष्ट की पहली व चौथी पंक्ति में शब्द "जल-मार्ग", के पश्चात् शब्द "आदि" जोड़ दिया जाय।

धारा १९५ की अभ्युक्ति में शब्द "खंड" के पश्चात् शब्द "विकास" जोड़ दिया जाय।

अनुसूची ७ शीर्षक में शब्द "खंड" तथा शब्द "अधिकारी" के बीच में शब्द "विकास" रख दिया जाय।

धारा १०२ (२) की प्रविष्टि की दूसरी पंक्ति में शब्द "लगान या" निकाल दिये जाय।

धारा १८६ की प्रविष्टि की दूसरी पंक्ति में शब्द "झाड़ियों", के पश्चात् शब्द "आदि", रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

अनुसूची ८ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची ८ में प्रस्तावित धारा १६-ए निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची ८ के अंतर्गत प्रस्तावित धारा १९-ए निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची ८ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जायं:—

अनुसूची ८ शीर्षक "१—यनाइटेड प्रविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४," के अधीन धारा २, खंड (६ ए) वाली प्रविष्टि निकाल दी जाय।

शीर्षक "२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट १९४७" के अधीन खंड (क्यू०) के सामने वाली प्रविष्टि में—

पंक्ति ५ में अंक "1960" के स्थान पर अंक "1961" रख दिये जायं तथा शब्द "Zila Parishad" और सेमिकोलन के बीच शब्द "or the Kshettra Samiti, as may be specified in column 3 of that Schedule" रख दिये जायं।

निम्नलिखित को एक नई धारा १६-ए के रूप में रख दिया जाय:

धारा १६ के पश्चात्

"16-A. A Gaon Panchayat may contribute such amounts for such organisations, institutions and functions outside the jurisdiction of the Gaon Sabha as the State Government may by general or special order permit."

"Power to make contributions for organisations etc. outside jurisdiction."

निम्नलिखित को एक नई धारा १९-ए के रूप में रख दिया जाय:

धारा १९ के पश्चात

"19-A. (1) A Gaon Panchayat may by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of its members for the time being direct in respect of any work of general public utility prescribed by rule and meant

"Power to require compulsory labour in certain cases.

[श्री अध्यक्ष]

exclusively for the benefit of the Gaon Sabha which the Gaon Panchayat proposes to undertake, that such work shall be done or constructed with manual labour of the male members of the Gaon Sabha not above the age of 45 years each such members being required to render such labour in relation to the work for such number of days as the Gaon Panchayat may determine :

Provided that such compulsory labour shall not—

(*a*) exceed 96 hours in a year, or

(*b*) extend to more than 48 days in a year or eight hours on any day.

(2) The Gaon Panchayat may recover as arrears of land revenue from any member of the Gaon Sabha who has not rendered in whole or part the manual labour required of him under sub-section (1), the monetary equivalent thereof on the basis of the rate of wages prevalent in the locality for such labour."

धारा २० बर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

Establishment of primary school, hospital, dispensary, road or bridge for a group of Gaon Sabhas.

"20. Where a group of neighbouring Gaon Sabhas has no primary school or Ayurvedic, Homeopathic or Unani hospital or dispensary, or it needs a road or bridge for its common benefit, the Gaon Panchayats thereof shall, if so directed by the prescribed authority, combine to establish and maintain such a school, hospital or dispensary, or to construct and maintain such a road or bridge, and it shall be managed and financed in the manner prescribed. The State Government and the district board shall make such grants for such school, hospital, dispensary, road or bridge as may be prescribed."

शीर्षक ४—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

५—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८

धारा ४ उपधारा (२) में खंड (ग) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित को एक नये खंड (घ) के रूप में रख दिया जाय :—

"(घ) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के अधीन स्थापित क्षेत्र समितियों के प्रमुख"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान परिषद् तथा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य

श्री अध्यक्ष—अब सचिव, विधान सभा एक सूचना सदन को देंगे ।

सचिव, विधान सभा—माननीय अध्यक्ष, मैं सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के विधान सभा के १६ मई, १९६१ के प्रस्ताव से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने आज १९ मई, १९६१ की बैठक

में सहमति प्रकट की है तथा उक्त समिति में कार्य करने के हेतु निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त किया है :—

श्रीमती तारा अग्रवाल,
श्री रामगुलाम,
श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी,
श्री सुल्तानसिंह पचौरी,
श्री श्याम बिहारी विरागी,
श्री बनवारी लाल,
श्री इसहाक सम्भली,
श्री कन्हैयालाल गुप्त ।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सहकारी विधेयक की संयुक्त प्रवर समिति के लिये में निम्नलिखित नाम उपस्थित करता हूं—

१—श्री मोहनलाल गौतम, २—श्री फतेहसिंह राणा, ३—श्री जयराम वर्मा, ४—श्री शिव मंगल सिंह, ५—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी, ६—श्री शिवराज सिंह, ७—श्री बुलाकी राम, ८—श्री महमूद अली खां (रामपुर), ९—श्री सूर्यबली पांडेय, १०—श्री नवल किशोर, ११—श्रीमती सिया दुलारी, १२—श्री गेंदा सिंह, १३—श्री तेज बहादुर, १४—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद, १५—कुंवर श्रीपाल सिंह, १६—श्री रूम सिंह ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी प्रस्तावना हमारे मंत्री जी ने रखी, यह बिना किसी नोटिस के है । न प्रोग्राम में है, न सूचना है, इसलिये यह अनियमित है जब तक आप विशेषाधिकार से अनुमति न दें ।

श्री अध्यक्ष—मैंने स्वीकृति दे दी थी, अगर आज यह कार्य नहीं होता तो रह जाता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—पहले सूचित कर देना चाहिये था कि आपने स्वीकृति दे रखी है । मैं आपकी बातों पर विश्वास कर लेता हूं, लेकिन सरकार की बात को नहीं मानता ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है । भविष्य में अगर ऐसी सूचना बिना नोटिस के हो तो "अध्यक्ष महोदय की अनुमति से" ऐसा कहकर शुरू करें ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक के ऊपर संयुक्त प्रवर समिति की सदस्यता के लिये निम्न सदस्य निर्वाचित किये जायं —

१—श्री मोहनलाल गौतम, २—श्री फतेहसिंह राणा, २—श्री जयराम वर्मा, ४—श्री शिवमंगल सिंह, ५—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी, ६—श्री शिवराज सिंह, ७—श्री बुलाकी राम, ८—श्री महमूद अली खां (रामपुर), ९—श्री सूर्यबली पांडेय, १०—श्री नवल किशोर, ११—श्रीमती सिया दुलारी, १२—श्री गेंदा सिंह, १३—श्री तेज बहादुर, १४—श्री टम्बरेश्वर प्रसाद, १५—कुंवर श्रीपाल सिंह और १६—श्री रूम सिंह ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (क्रमागत)

खंड १ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत संशोधन

श्री अध्यक्ष—एक चीज रह गयी—क्षेत्र समिति वाले विधेयक में—खंड १ पर राय लेना बाकी रह गया । प्रश्न यह है कि खंड १ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जाय ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--एक बार जब विधेयक पर जो कुछ विचार था वह समाप्त कर दिया गया तो फिर अब उसको कैसे लिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत देता हूं, क्योंकि एक चीज रह गयी है, वह ठीक होनी जरूरी है । उसको कैसे छोड़ दिया जाय ?

प्रश्न यह है कि खंड १ में विधान परिषद् द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये जांय ।

उपखंड (३) में शब्द "निश्चित करें" तथा कोलन के बीच में निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :--

"और भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५३ के अन्तर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय के कोर्ट के निर्माण न होने के संबंध में चर्चा (क्रमागत) †

श्री अध्यक्ष--अब गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विवाद होगा । इस पर कोई सदस्य बोलना चाहेंगे ?

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मुझे अन्त में १५-२० मिनट दे दीजियेगा ।

***श्री भगवतीप्रसाद दुबे** (जिला गोरखपुर)--अध्यक्ष महोदय गोरखपुर जिला महान हिमालय की तलहटी में है और वह इस देश और प्रदेश का बहुत बड़ा जिला है इसलिये वहां बड़ी-बड़ी बातें हुआ करती हैं । इत्तफाक है कि वहां एक यूनिवर्सिटी बनी । यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसायटी का मैं भी एक सदस्य हूं और उसके बनने में जो कुछ बन पड़ा वह सब कुछ मैंने किया । इस यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में पहले यह इच्छा थी कि जैसे आम तौर से यूनिवर्सिटियां हैं वह गोरखपुर की यूनिवर्सिटी न बनाई जाय बल्कि उसका दृष्टिकोण कुछ एग्रीकल्चरल होना चाहिये । यह बात मैंने जब फाउन्डेशन सोसायटी का सदस्य हुआ तो लिखकर उचित अधिकारी को दे दी थी लेकिन उसका प्लान क्या होगा यह काम तो वहां की कोर्ट ही कर सकती थी और आजतक जब कोई कोर्ट ही नहीं है तो प्लान की रचना कौन करे ? बहरहाल जो कुछ भी हुआ, वहां एक एग्जीक्यूटिव सोसायटी बनी और उसका जो संगठन हुआ वह जितने कन्वेशन्स हैं, जितने नियम हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के उसको छोड़कर एक हिस्से में ऐसी रचना कर दी गई कि आजतक यूनिवर्सिटी के काम में इतनी बाधायें उत्पन्न हो रही हैं कि यूनिवर्सिटी काम नहीं कर पाती । इस सम्बन्ध में वहां की पीपुल्स कमेटी की ओर से एक किताब लिखी गई जिसमें यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही गईं जिनके सम्बन्ध में हम क्या राय जाहिर कर सकते हैं, मगर जवाब भी छपा । उन बातों की यहां पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है लेकिन उनको देखने से यह मालूम होता है कि ऐसी कार्यवाही हो रही है जिससे यूनिवर्सिटी के कार्य में बड़ी बाधा है । उन बाधाओं को दूर करना सरकार का काम है ।

सरकार को गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट की दफा ५३ के मातहत अधिकार है रिमूवल आफ डिफिकल्टीज का, उसके अनुसार सरकार को काम करना चाहिये । सुस्ती करने से और किसी मामले को बार-बार टाल देने से काम में बड़ी बाधा पड़ती है । वहां लाखों करोड़ों रुपये के खर्च

---

†१८ मई, १९६१ की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का सवाल है और हम इस यूनिवर्सिटी की मार्फत केवल गोरखपुर ही नहीं बल्कि १४ जिलों की मानसिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि हमें दिमाग में परिवर्तन करना चाहिये। वह परिवर्तन कैसे होगा? जब यूनिवर्सिटी पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पायेगी, वहां कोर्ट नहीं बनेगी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल यूनिवर्सिटी के काम में बाधा पहुंचायेगी तो मानसिक परिवर्तन नहीं हो सकेगा। हम बहुत सी चीजों की ख्वाहिश कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, मगर इस प्रकार से लाखों और करोड़ों खर्च करने के बाद भी मानसिक स्थिति नहीं बदल सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जिन बाधाओं के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है उसके लिये चाहिये कि सरकार सुस्ती हटाकर उन बाधाओं को दूर करे और यूनिवर्सिटी को ठीक तरह से काम करने के लिये बना दिया जाय जिससे न केवल गोरखपुर बल्कि १४ जिलों का कल्याण हो जाय। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बहुत अदब से निवेदन करता हूं कि आज इस नयी सरकार के समय बहुत-सा कूड़ा-करकट साफ हुआ है, क्योंकि आप देखें कि ओवरनाइट पांच पांच वाइस-चांसलर्स हट गये लेकिन केवल वाइस चांसलरों के अलग होने या रहने से कोई यूनिवर्सिटी चल नहीं सकती जब तक कि उसमें तमाम गंदगियां उपस्थित रहेंगी। उनको वाइस चांसलर या चांसलर दूर नहीं करते, वह गवर्नमेन्ट ही कर सकती है। इसलिये मैं कहूंगा कि साहस के साथ उन तमाम मुश्किलात को जो कानून बनने के साथ आ गयी हैं उनको हमें दूर करना चाहिये। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी सुस्ती को मिटा कर उसे इस कार्यवाही में हाथ लगाना चाहिये।

*श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---मान्यवर, यह विश्वविद्यालय जब से काम कर रहा है अगर मैं यह कहूं कि वि विश्वविद्यालय कानून के अन्दर काम नहीं कर रहा है तो अत्युक्ति नहीं है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट है लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी ऐक्ट की एक भी धारा आजतक वहां लागू नहीं है। जो एक्जीक्यूटिव कमेटी या ऐडहाक कमेटी या जो कमेटी कहिये सरकार की तरफ से नामिनेट हुई है अगर मंत्री जी बता सकेंगे कि ऐक्ट की किस धारा के अन्दर नामिनेट हुई है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

कल माननीय मंत्री जी ने इसका इतिहास बताया। हमारा दुर्भाग्य है कि जब इसका कोर्ट बननेवाला था और यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग शुरू होने वाली थी उस समय कुछ सज्जन कोर्ट में चले गये और उसकी वजह से यह नहीं बन सका। अब एक बात मैं मंत्री जी की जानकारी के लिये बताऊं कि अब तक तो तरीका यह रहा है कि कुछ लोग अदालत में चले गये इसलिये वह कोर्ट न बन सका लेकिन बाद में मेरे जैसे लोगों ने कहा और उनकी प्रार्थना पर यह हुआ कि मुकदमा वापस हुआ। जब उन लोगों ने मुकदमा वापस ले लिया तो मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि कुछ जो एक्जीक्यूटिव कौंसिल में लोग थे, जो चाहते थे कि यथास्थिति बनी रहे उन्होंने वाइस-चांसलर से मिलकर अदालत में मुकदमा करा दिया। जब मुकदमा हुआ तो हमें ऐसा लगा कि अब कोर्ट बन जायगा और उसमें सरकार के नामिनेटेड लोग नहीं होंगे लेकिन चन्द लोगों की दिलचस्पी की वजह से ग्रुपबाजी में लोग नामिनेट किये गये और इसलिये वाइस-चांसलर और जो उसके अन्दर प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने अदालत में मुकदमा करवा दिया।

मान्यवर, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सिलसिले में जैसा कि अभी हमारे आदरणीय महोदय ने जिक्र किया है कि एक कमेटी वहां बन गयी शिब्बन लाल जी सक्सेना के नेतृत्व में और उसने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सभी एप्वाइंटमेंट्स, नियुक्तियां, प्रोमोशंस आदि किस प्रकार का पक्षपात किया यह सब यहां पढ़ने का समय नहीं है वरना पढ़कर सुनाता कि किस तरह से एक्जीक्यूटिव कौंसिल के लोगों के सम्बन्धियों के एप्वाइंटमेंट्स हुये। सारी यूनिवर्सिटी में किस तरह से थर्ड डिग्री तरीके से फिजिकेटेड कालेजेज और यूनिवर्सिटी में भी बनाये जा रहे हैं, मेरिट का कोई हिसाब नहीं है? इसके सिलसिले में मैं यह कहूं कि अब जो सरकार की बनायी हुई कमेटी वहां काम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर राय]

कर रही है वह सरकार की बनायी हुई कमेटी है और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों की चाहे वह यहां की विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य हों और चाहे लोक सभा में बैठते हों उनके द्वारा ऐसी कोई कमेटी बनायी गयी है और ऐसे लोग भी उसमें हैं जो आदरणीय लोग हैं। लेकिन जो मेरी जानकारी है उनकी विश्वविद्यालयों के बारे में नयी जानकारी है लेकिन उनको इतनी दिलचस्पी है कि जब से यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स का चुनाव हो रहा था उसके बाद कुछ जिलों को जोड़ दिया गया है। लेकिन मेरी यह अपील होगी कि जो आज बढ़े हुये जिले हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिलाने के लिये पूरे एरिया में गोरखपुर और बनारस डिवीजन के सुल्तानपुर, फैजाबाद और सभी जिलों के लोगों को एक बार तीन महीने का और उसके बाद दो महीने का एक मौका दे दें और सब लोग रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हो जायं जिससे उनका रिप्रेजेन्टेशन यूनिवर्सिटी में हो जाय और फिर नया चुनाव कराया जा कर दो तीन माह के बाद कोर्ट का फंक्शन शुरू हो जाय और जो यूनिवर्सिटी ऐक्ट बना है उसके मुताबिक कोर्ट की वर्किंग शुरू हो जाय।

अंत में मैं फिर यही कहूंगा कि मैं मंत्री जी का अनुग्रहीत हूंगा यदि मंत्री जी यह बता देंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट की किस धारा के अनुसार इस सरकार को कौन-सा अधिकार मिला है जिसके अनुसार सरकार यह कार्य कर रही है? चान्सलर को कौन-सा अधिकार है जिसके अनुसार कार्य हो रहा है? मैं आशा करता हूं कि सरकार के द्वारा चलाये जाने वाला यह विश्वविद्यालय प्रजातांत्रिक तरीके से शीघ्र चलने लगे और सरकार इसके लिये प्रयत्नशील होगी।

*श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी---मान्यवर, गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक सन् ५६ में पास हुआ और १९५७ के जुलाई के सत्र से विश्वविद्यालय का चलना आरंभ हुआ। १९५८ में इस विश्वविद्यालय के फर्स्ट स्टेट्यूट्स सदन के सामने ले लिये गये। उसके बाद कोर्ट का निर्माण प्रारंभ हुआ। मान्यवर, धारा १७ में इस कोर्ट के निर्माण की व्यवस्था है जिसमें ८ सब-सेक्शंस हैं। पहले में चांसलर और वाइस-चांसलर के एक्स आफिशियो मेम्बर होने की बात है दूसरे में लाइफ मेम्बर हैं, फर्स्ट प्रेसीडेंट आफ दि गोरखपुर यूनिवर्सिटी आदि तीसरे में ऐसे टीचर्स हैं जिनको प्रेस्क्राइब्ड किया जाय, फिर रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, फिर डोनर्स, फिर इन्डस्ट्री और कामर्स के रिप्रेजेन्टेटिव जो पांच से अधिक न हों फिर रिप्रेजेन्टेटिव आफ लेजिस्लेचर आफ उत्तर प्रदेश और आठवां नामिनीज आफ-चान्सलर।

अब इस धारा १७ के अनुसार ९ जिलों के ग्रेजुएट्स रजिस्टर होने की बात आयी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेक्शन ४ में यह लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेन्ट जिन जिलों को इसके अधिकार क्षेत्र में रखना चाहे उनको घोषित करेगी। अब ५९ में सरकार ने ५ जिले और जोड़े---फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ बहराइच और गोंडा। इस प्रकार से १४ जिले हो गये। जब रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स की गणना होने लगी तो किसी रजिस्टर्ड ग्रेजुएट ने सूट फाइल कर दिया। उसके परिणामस्वरूप इंजेक्शन जारी हुआ। हाईकोर्ट को मूव किया गया कि सारे मामले हाई कोर्ट में चलाये जायं। जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने बताया कि कुछ लोगों ने अपने केसेज वापस ले लिये लेकिन कुछ ने आपत्तियां कर दीं। नतीजा यह हुआ कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के रिप्रेजेन्टेटिव नहीं आ सके और कोर्ट नहीं बन सका।

अब एक स्थिति प्रत्यक्ष है। इसमें करीब-करीब ढ़ाई-तीन हजार के ग्रेजुएट्स रजिस्टर्ड होने हैं और आज अगर एक ने आपत्ति की है तो कल दूसरा कर सकता है। इसके माने यह हुए कि कोर्ट का चुनाव नहीं हो सकता और बीसों वर्ष तक इसको लटकाया जा सकता है और जिसके फलस्वरूप यूनिवर्सिटी में कोर्ट का निर्माण नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में यह पहली ही यूनिवर्सिटी है जिसके अन्दर नियमों के अनुसार कोर्ट का निर्माण नहीं हो सका है, जिसमें कि पहला कोर्ट ही न बन सका। इसलिये हमारे प्राविधान में कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां का पहला कोर्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बन सके। स्टेच्यूट्स के बनने के बाद कोर्ट के बनने की एक ही सूरत हो सकती है और वह सूरत यह है कि इसमें आपको मालूम है कि सन् ५९ में ५ जिले और जोड़ गये हैं। मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि इन ५ जिलों के ग्रेजुएट्स को भी उसके अंदर रजिस्टर्ड कराने का अधिकार दिया जाय और इस तरह से ९ पहले के और ५ यह, कुल १४ जिलों के ग्रेजुएट्स रजिस्टर्ड किये जायं और जब यह हो जायगा तो मैं समझता हूं कि यह किस्सा अपने आप खत्म हो जायगा और जो वह लड़ रहे हैं वह सब खुद ही खत्म हो जायगा। उसका यही एक सीधा-सा रास्ता है कि २ मास का समय देकर धारा ५३ के अनुसार आप वाइस-चांसलर को अधिकार दें। इसमें सरकार ने एक साल की मियाद और ली है। पहले भी एक बार २४ मास की, फिर २८ मास की मियाद बढ़ाई जा चुकी है और इस साल भी नया गोरखपुर विश्वविद्यालय संशोधन ऐक्ट पास हुआ है जिसके अनुसार एक साल की मियाद और ली गई है। उसके बाद सरकार को अधिकार है कि वह इन नियमों के अन्दर ५ जिले के ग्रेजुएट्स को भी रजिस्टर्ड कराये और जब १४ जिले के सारे ग्रेजुएटस रजिस्टर्ड हो जायेंगे तब कोई झगड़ा न होगा और आप ही सारा झगड़ा खत्म हो जायगा।

दूसरा एक सुझाव यह भी है कि अगर वह सम्भव न हो तो कोर्ट में मैं ने जोड़ा है १४८ मेम्बर होते हैं, वह ८ प्रकार के मेम्बर हैं। जितने नियमित मेम्बर होते हैं उनमें से केवल २५ प्रतिनिधि ग्रेजुएट्स के होंगे और कोर्ट इसलिये नहीं बना है कि उनका निर्वाचन घोषित नहीं हुआ है जब कि १२० या १२५ का निर्वाचन वैधानिक हो चुका है लेकिन सारा मामला रुका पड़ा है। इसलिये अगर राज्य सरकार चाहे तो धारा ५३ के अनुसार यह आदेश दे सकती है कि अगर दो तिहाई का निर्माण हो गया हो तो एग्जीक्यूटिव कौंसिल बन सकती है। नामजद की हुई एग्जीक्यूटिव कौंसिल को ३ साल पूरे हो गये और जो बाद में नामजद हुई उसको भी डेढ़ साल हो गया, लेकिन आजतक कोर्ट का निर्माण न हो सका। इसलिये कोर्ट के निर्माण के लिये रिमूवल आफ डिफिकल्टीज विधेयक लाकर धारा ५३ के अन्दर राज्य सरकार संशोधन कर सकती है कि जिससे दो तिहाई मेम्बर पूरे होने पर कोर्ट का निर्माण हो सके और उसके बाद तो फिर सारी बाडी आसानी से बन सकती है। इसके अलावा एक दिक्कत यह भी है कि यूनिवर्सिटी की बाडीज बनने के बाद और कोर्ट भी बन गया तो उसके बाद कौंसिल का चुनाव होगा और वह एक ऐसी बाडी है कि जिसमें डीन्स आफ फैकल्टीज होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, डोनर्स होते हैं और स्टाफ के ५ आदमी होते हैं। इसके माने यह हैं कि १४० या १४५ मेम्बर जो हैं उनके २८ या ३० मेम्बर १ को चुनेंगे। मूल अधिनियम में इस सम्बन्ध में धारा २० है जहां कौंसिल के निर्माण का विषय है। इसकी उपधारा में दिया है कि--

"One representative of Rana Pratap Shiksha Parishad, Gorakhpur, to be elected from amongst its members."

सन् ५५ में जब यह बिल आया विधान सभा में उस वक्त गोरखपुर के २ कालेजों ने सुझाव दिया कि हम भी कांस्टीटुएन्ट कालेज होना चाहते हैं लेकिन उस वक्त एग्जीक्यूटिव कौंसिल ने उनको इन्कार कर दिया कि कोई कालेज कांस्टीटुएन्ट कालेज नहीं बन सकता। अब जब सन् ५६ में ऐक्ट इन्ट्रोड्यूस हुआ तो पता नहीं ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में या कहां पर यह भी जोड़ दिया गया कि एम० पी० शिक्षा परिषद् गोरखपुर का एक मेम्बर स्थायी रूप से कौंसिल में रहेगा। श्रीमान्, इसी में लिखा है कि ५० हजार रुपया जो डोनेट करेगा वह एक कोर्ट का मेम्बर दे सकता है और ढाई लाख रुपया जो देगा वह ४ मेम्बर भेजेगा, जैसे विधान सभा से ५ और विधान परिषद् से २ सदस्य जाते हैं लेकिन वह एग्जीक्यूटिव बाडी के लिये नहीं जाते हैं। तो जो नान-यूनिवर्सिटी बाडी है उसका एक आदमी कौंसिल में परपेचुएट किया जाय यह उचित नहीं है।

श्रीमान्, ए० एन० झा बहुत अच्छे वाइस-चांसलर थे, ९ वर्ष तक रहे और ज्यों ही वहां से पब्लिक सर्विस कमीशन में गये और फिर कौंसिल में चुनाव मांगे तो हार गये। तो जो आदमी यूनिवर्सिटी के हित में ठीक काम नहीं करेगा चुनाव की प्रथा उनको अलग कर सकती है लेकिन जो आपने धारा २० (९) में कर दिया कि एक आदमी स्थायी रूप से रहेगा वह उचित।

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

नहीं है मान्यवर, झगड़े के कारण यह भी है कि कुछ बेसिक खामियां हैं। कोर्ट में एक नहीं चार मेम्बर जायं लेकिन कोर्ट से कौंसिल में जाने के लिये बहुत कोई एक्सपर्ट आदमी हो तो वह जा सकता है।

श्रीमन्, म्योर सेन्ट्रल कालेज था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मर्ज हो गया। कोई शर्त नहीं लगी। कैनिंग कालेज था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया तो बहुत बिल्डिंग्स और सम्पत्ति थी। उन्होंने दो मेम्बर एक्जीक्यूटिव कौंसिल में रखे। कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने देखा कि बहुत गड़बड़ है। उन्होंने उस कालेज को डिलीट कर दिया। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो बेसिक खराबी है उसकी ओर ध्यान दें। कोर्ट में जितने चाहें रख लें लेकिन कौंसिल में एक आदमी रहे तो वह कहां तक प्रजातांत्रिक है?

शिक्षा परिषद् के लोग चाहते हैं कि हमारा बहुमत हो। लोगों ने रुपया देकर यह कोशिश करनी शुरू कर दी है कि जो आदमी आवे वह हमारा आवे। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस धारा को भी यथास्थिति संशोधित करें। कोर्ट में प्रतिनिधित्व दे दें और कोर्ट चुनकर भेजे लेकिन स्थायी रूप से कौंसिल में किसी को रखने के माने हैं कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, जो चाहेंगे करेंगे और यही कारण है कि मुकदमे चलते हैं। एम० पी० कालेज ने दो लाख रुपये दिये लेकिन १ लाख ३२ हजार का दावा चल रहा है, क्योंकि पैसा नहीं दिया। गवर्नमेन्ट ने दफा ५३ में इसीलिये अधिकार लिया था कि यूनिवर्सिटी के प्रारंभिक काल में उसको ठीक से चला सके, ठीक व्यवस्था हो सके। जो माननीय शिक्षा मंत्री देखें कि वहां कोर्ट बन जाय, १४ जिलों की जो संस्था हो और उसमें कोर्ट न बन सका हो तो वह उचित नहीं है। हमने कहा था कि एग्रीकल्चर फैकल्टी होनी चाहिये, जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा था कि कोर्ट से सुझाव आए और गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। तो न हम मेडिसिन मांग सकते हैं, न टेक्नोलाजी मांग सकते हैं, न एग्रीकल्चर मांग सकते हैं क्योंकि कोर्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि दो-तिहाई रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स को मान कर कोर्ट की स्थापना करें और धारा २० की उप-धारा (९) में संशोधन करें और साथ ही उसमें ऐसी व्यवस्थायें पैदा करें जिसमें कि सारे झगड़े खत्म हो जायं और यूनिवर्सिटी में शान्तिमय वातावरण हो जाय जिससे कि उसकी वर्किंग शुरू हो जाय।

इन शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी को सुझाव देता हूं कि जुलाई प्रारम्भ होने से पूर्व जो व्यवस्था कर सकते हों वह करने की कृपा करें।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, मैं सदन के अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं, क्योंकि आज फिर उसी व्यक्ति ने एक पर्चा छापा है कि मुख्य मंत्री जी का...

श्री अध्यक्ष—यह आप एकदम से कैसे कहते जा रहे हैं? बगैर इजाजत के आप पढ़िये मत। वह मेरे पास आप भेज दें।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—अच्छी बात है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, आपके प्रिसिंक्ट्स में बंटा है। आखिर यह विधान सभा क्या छीछालेदर करने के लिये है? मैं तो.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मैं यह कह रहा हूं कि इसके ऊपर नियंत्रण हो। इसमें आरोप लगाया गया है कि...

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठिये।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—आपसे पर्सनली....

श्री अध्यक्ष—मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप कृपा करके बैठिये।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, किसी यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में कभी कुछ कहते हुये मुझे डर लगता है कि शायद मुझे उसके कानून और उसके तौर तरीकों से पूरी वाकफियत न होने के कारण कहीं गलती न कर जाऊं, लेकिन चूंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मामला है और कुछ ऐसा लगता है कि प्रदेश भर की यूनिवर्सिटियों से भिन्न उसकी व्यवस्था भी है इसलिये मैं थोड़ी बात जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। संयोग से इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं, शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं लेकिन उप शिक्षा मंत्री जी हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी की बात बहुत की जाती है और जहां कहीं भी कोई चर्चा हुई तो यूनिवर्सिटी आटोनामी की हम भी दुहाई देते हैं और उस तरफ से भी दुहाई दी जाती है लेकिन यह गोरखपुर में क्या बात है कि पिछले दो टर्म्स से एक ऐडहाक कमेटी बन जाती है और वह शासन कर रही है यूनिवर्सिटी के ऊपर? मुझे तो ऐसा लगता है कि गोरखपुर की जमीन, वहां के बसने वाले, वहां के विद्यार्थी इस योग्य नहीं हुये हैं कि वे अपने एक विश्वविद्यालय का संचालन कर सकें।

मैं सब से पहले तो इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो आटोनामी और विश्वविद्यालयों में है वह इस विश्वविद्यालय को भी मिलनी चाहिये। अगर इसमें कोई दिक्कत खड़ी करता हो तो उस दिक्कत को भी दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है और उसके पास अख्तियारात भी हैं। यह बात सही है कि कोई जमाना था कि जब कोर्ट का चुनाव हुआ था, कुछ लोग चुने गये थे, लेकिन जिस प्रकार उनका चुनाव हुआ और जिस प्रकार ग्रेजुएट्स रजिस्टर्ड किये गये थे वह कोई खुशी की बात नहीं थी। मैं खासतौर से अपने दोस्त दीपनारायणमणि जी की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि यह काम उनका था। माननीय दीपनारायण जी या उनके जैसे लोगों ने ग्रेजुएट्स को रजिस्टर्ड कराने में कुछ कोताही की और उस कोताही करने का कुछ कारण था। यह मैं मानने को तैयार हूं कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उस इलाके में कुछ चीनी के मिल मालिक हैं और चीनी के मिल मालिक किसी चीज को भी अपने कब्जे से बाहर नहीं जाने देना चाहते। कुछ चीनी मिल मालिकों ने जरूर चेष्टा की और कुछ रुपये रजिस्टर्ड कराने में लगते थे तो उन्होंने पैसा खर्च करके, उनके पास सवारी थी और साधन भी थे, तो उन्होंने ग्रेजुएट्स को रजिस्टर्ड कराया और जो गैरमुनासिब तरीका है उस तरीके से उन्होंने वोट हासिल किये और कुछ ऐसी बातें हमारे कानों में सुनाई पड़ीं कि अगर यही चुनाव का तरीका रहा तो वोट से भगवान बचाये। जिसे वोट देने का अधिकार था उसको जबरदस्ती मोटर में बिठा लिया गया और सारी बातें सुनने को मिलीं। ऐसी हालत में यह होना चाहिये कि ग्रेजुएट्स को ठीक तरह से रजिस्टर्ड कराया जा सके और वे अपने अधिकारों का ठीक तरह से इस्तेमाल कर सकें। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार मुजरिमोश नहीं है और मैंने खास तौर से माननीय दीपनारायण-मणि जी त्रिपाठी की बात कही है कि वे इस मामले में सतर्क नहीं रहे।

श्रीमन्, इस समय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कोर्ट के बनने का काम रुका हुआ है। एक नाम हमें फेमिलियर सा लगता है वह श्री रूपनारायणमणि त्रिपाठी हैं जो चाहते हैं कि यह मामला किसी तरह से लटका रहे और ऐडहाक कमेटी बनी है वह हाथ पैर फैला कर अपना काम करती रहे।

श्री अध्यक्ष—मतलब यह है कि आपका इशारा (माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी) उनकी ओर तो नहीं है? नाम बदलकर शायद आप कह रहे हों, इसलिये उनको डर है।

श्री गेंदासिंह—हमें श्रीमन्, ऐसा लगता है कि इस नाम से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रीमन्, हमें सन्देह होता है कि आज तो उन्होंने यह प्रश्न उठाया और जो अधिनियम में गलतियां हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

उनको ध्यान में लाये। लेकिन मैं समझता हूं श्रीमन्, कि अगर अधिनियम की गलतियों की तरफ पहले ध्यान होता तो यह अधिनियम दुरुस्त बना होता।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन्, हमने अमेंडमेंट रखा था।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, अगर उन्होंने अमेंडमेंट रखा था तो यहां पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। वह सरकारी बेंच पर हैं और हम जानते हैं कि शिक्षा जगत में उनका ऊंचा स्थान है और उनका अमेंडमेंट नामंजूर हो जाय इसको बदकिस्मती समझते हैं।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सब व्यवस्था हो सकती है। अभी माननीय गौरीशंकर राय जी ने कुछ निवेदन किया और सही बात है कि हमें भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ सुनने का मौका मिलता है। हम समझते हैं कि हमारा दूसरे डिवीजन और तीसरे डिवीजन से कोई सम्बन्ध नहीं है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पहली श्रेणी के आदमी को नामंजूर कर दिया गया और तीसरी श्रेणी के आदमी को रखा गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि योग्य आदमी को नामंजूर किया गया है और अयोग्य आदमी को रखा गया है। श्रीमन्, हम सारी बातें बरदाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने लड़कों को अयोग्य आदमी से पढ़ाये जाने की बात को बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। यह बात हो सकती है कि तीसरी डिवीजन होते हुये भी अगर कोई आदमी योग्यता प्राप्त कर ले तो दूसरी बात है। लेकिन श्रीमन्, सभी रवि बाबू और चिन्तामणि बाबू नहीं हो सकते हैं। जो लोग नीची डिवीजन में हैं, उनको ऐसा मौका मिल सकता है लेकिन शर्त यह है कि वह अपनी प्रतिभा दिखायें और अगर वह अपनी प्रतिभा दिखायेंगे तो सारा देश उनकी काबिलियत को कबूल करेगा। जैसे रवि बाबू और चिन्तामणि जी को आज सारा देश पूजता है, लेकिन कम्पटीशन में फेयर चान्स मिलना चाहिये और हमारे भाई मानेंगे कि गोलमाल हुआ है। सरकार अपनी तरफ से ऐडहाक कमेटी बनाये और वह गोलमाल करे, मैं समझता हूं कि उसको किसी तरह से आगे नहीं चलने देना चाहिए।

गोरखपुर में सरकार ने एक यूनिवर्सिटी दी, बड़ी मेहरबानी की। मैं बराबर कहता रहा हूं कि बहुत बीमार इलाका है। फाइलेरिया और दुनिया भर की बीमारी रहती है। मेडिकल कालेज भी हो, तो उसके लिए एक बार, दो बार, दस बार कहने के लिए तैयार हूं। कभी-कभी सुनता हूं कि वह मेडिकल कालेज कहीं दूसरी जगह चला जाने वाला है तो बड़ा दुःख होता है। कभी सुनता हूं कि वहां छंटी लाइन है इसलिए फर्टिलाइजर फैक्टरी कहीं दूसरी जगह जाने वाली है। इलाज यह जरूर था कि हमारे घर के बच्चे किसी दूसरी जगह जाकर पढ़ नहीं सकते। वह गोरखपुर में तालीम पायें, लेकिन वह तालीम, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, या अलीगढ़ से घटिया दर्जे की नहीं होनी चाहिए। देश में प्रजातांत्रिक सरकार है। प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए हमारी शिक्षा हो और संस्था हो, ऐसी तालीम मिले तो उससे लोग देश के काम लायक बन सकेंगे। इसलिए माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत मुनासिब उठाया है, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह प्रश्न तीन चार वर्ष बाद उन्होंने उठाया। उनको जल्दी करनी चाहिए थी। हम तो उम्मीद करते हैं कि पढ़ने लिखने की बात, शिक्षा के सम्बन्ध में पूर्वी जिलों को उन्हीं के हिस्से में हमने छोड़ दी है। अब हम लोगों का आखिरी वक्त है। अगले वर्ष मालूम नहीं हम आयें या नहीं। यह कौन जानता है कि दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी आयेंगे या नहीं। हमारा यह बड़ा भारी उत्तरदायित्व रहा है। मैं समझता हूं कि अपने रहते हुए वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मामला दुरुस्त करायें नहीं तो वह इस उत्तरदायित्व से बरी नहीं होंगे।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, यह जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विवाद हुआ, इसको मैंने बड़े गौर से सुना। मुझे आश्चर्य यह हुआ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि अभी हमने यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल पास किया। शायद उसकी अभी स्याही भी नहीं सूखी होगी, और हमें यह सुनने को मिल रहा है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट्स १९५८ में बन गये लेकिन पांच साल में कोर्ट का निर्वाचन न हो सका। वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो बड़े आदर के साथ रूरल यूनिवर्सिटी अंकित की गयी थी, जिससे बड़ी-बड़ी आशाएं थीं, उसका यह हश्र है। चाहे इंजंक्शन या मुकदमेबाजी की वजह से काम रुका हो, लेकिन इतनी बात जरूर स्पष्ट है कि इसमें सरकार की कमी है। जो ऐडहाक कमेटी बनायी गई है अगर वह कार्य न कर सके तो दूसरी ऐडहाक कमेटी बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार ने अमेंडमेंट ऐक्ट पास किया था उसमें उन्हीं धाराओं को शामिल कर सकती थी जिनके द्वारा गोरखपुर यूनिवर्सिटी का संचालन हो सकता था। विशेष रूप से जहां ऐक्ट में अन्य धाराएं होती हैं वहां कठिनाई निवारण की भी एक न एक धारा जरूर रहती है। हम देखते हैं कि कोर्ट का एक हिस्सा जो ग्रेजुएट्स का है वह पूरा नहीं हो पाया है। जैसा कि माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी ने कहा, करीब १२० आदमी उसमें निर्वाचित हो चुके हैं थोड़ा हिस्सा जरूर रह गया है, तो क्या वजह है कि सरकार अपनी कठिनाई का निवारण धारा के अन्तर्गत या संशोधन विधेयक के अन्तर्गत अभी तक नहीं कर पायी? और एक विश्वविद्यालय के सम्बन्ध का कार्य जो कानूनों की आड़ या कानूनों की बारीकियों को लेकर रुक गया है वह क्यों रोका गया? सरकार के सभी विभाग, लीगल रिमेम्ब्रेंसर का विभाग और विधेयकों के संशोधन का विभाग, अभी हाल ही में एक कमेटी बनाई गई है जो उन संशोधनों के सुधारों के बारे में विचार कर सकेगी—तो इन सबके होते हुए यह काम रुका हुआ है। मैं विशेष समय इसलिए भी नहीं लेता हूं कि मुझे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के साथ-साथ अन्य यूनिवर्सिटीज की बात भी कह देनी है कि सरकार जब कठिनाई निवारण का अधिकार लेती है तो क्यों वह इन कठिनाइयों का निवारण नहीं कर पा रही है? इसलिए मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि सरकार अपनी बुद्धि सम्हाले और उन कदमों को उठा कर यूनिवर्सिटी के कार्य में होने वाली अड़चनों को दूर करे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न माननीय मणि जी ने उठाया . . . . .

श्री अध्यक्ष—आपने दो ही तीन मिनट मांगे हैं।

श्री उग्रसेन—जी हां। तो उसके सम्बन्ध में पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कोर्ट चुन लिया जाय उसके लिए सरकार ने जो रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर बनाया है उसके मातहत कार्य करे जिससे कि जल्द से जल्द यह चुना जाय। एक बार यहीं इसी सदन में इस रिमूवल आफ डिफिकल्टीज की बात आयी थी तो माननीय गौरीशंकर राय ने कहा था कि यह रिमूवल आफ डिफिकल्टीज, क्रिएशन आफ डिफिकल्टीज बना दिया जाता है और बहुत से विश्वविद्यालयों के बारे में बना है। एक ऐडहाक कमेटी यहां है जिसमें जैसे शिक्षा विशारद् आये हैं उनकी योग्यता से आप अवगत हैं। ऐसी स्थिति वहां चल रही है कि चन्द लोग गोल बनाये बैठे हैं। जब एक मुकदमा खत्म होता है दूसरा मुकदमा सिविल कोर्ट में दाखिल कर देते हैं। माननीय दीपनारायण जी की जानकारी में यह भी होगा कि ध्रुवनारायण का मुकदमा उठ जायगा तो दूसरा खड़ा कर दिया जायगा। तो यह स्टेटस् को बनाये रखने की एक साजिश है, उसको सरकार तोड़े।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि राणा प्रताप कालेज जब विलीन हुआ तो उसने कहा कि हम साढ़े तीन लाख रुपये का एसेट देंगे। अब तक एक लाख या सवा लाख का भी सेट नहीं दिया। उसके लिए यूनिवर्सिटी को मुकदमेबाजी करनी पड़ रही है।

तीसरी बात अध्यापकों की वरिष्ठता के बारे में है। जातिवाद वहां इतना खुल कर बरता जा रहा है कि जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जब कोर्ट होता और कोर्ट के चुने हुए नुमाइन्दे बैठते तो वह सब बातों को समझते और विधिवत

[श्री उग्रसेन]

कार्यवाही होती। तो अभी यह विश्वविद्यालय एक इन्फैंसी की स्टेज में चल रहा है, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह ने कहा, बिलकुल ठीक कहा—यहां के एक अंग्रेजी के प्राध्यापक दिल्ली गए, एक होटल में ठहरे, होटल वाले ने अंग्रेजी के एक शब्द की स्पेलिंग पूछ दी तो जवाब नहीं दे पाये। ऐसे थर्ड क्लास एम० ए० पास लिए गए और सागर से आये हुए १३ साल के एक्सपीरियेंस्ड प्रथम श्रेणी के लोग रिजेक्ट कर दिये गए। यह वहां की हालत चल रही है। तो विधिवत कोर्ट अगर चुन जाय, जैसा कि मणि जी का ध्यान उधर अब गया है, पहले नहीं गया था, लेकिन सब से पहले तो सरकार का ध्यान जाय, तो काम हो सकता है।

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, इस विषय के बारे में मैंने कल ही आदरणीय सदन के सामने स्थिति रख दी थी। मैं इस बात को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं समझता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में कोर्ट बन जानी चाहिए थी। चुनी हुई कार्यकारिणी अब तक बन जानी चाहिए थी। देर अवश्य हुई। इस विषय में जो आज विचार प्रकट किये गए हैं श्रीमन्, उन्हें दो हिस्सों में रखा जा सकता है। एक तो यूनिवर्सिटी की कार्यशैली से सम्बन्धित है और दूसरे इस बात से कि वहां की एग्जीक्यूटिव कौंसिल और कोर्ट के बनने में क्यों देर हुई और अस्थायी रूप से नामजद की हुई कार्यकारिणी और कोर्ट क्यों काम कर रहे हैं। जहां तक विश्वविद्यालय के काम का सबन्ध है, मैं श्रीमन्, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक आया था, इसी सदन ने स्वीकार किया। उसमें हर विश्वविद्यालय के बारे में काफी चर्चा हो चुकी थी। मैंने उस वक्त यह भी निवेदन किया था कि विधेयक लाने का यही कारण था कि बहुत सी गड़बड़ियां हो रही थीं। उसमें यह भी समझा जाता था कि जो अस्थायी वायस चान्सलर बनने को हैं उनके लिये भी लागू किया जाय। वह अधिनियम बना। वह अधिनियम बनने के बाद सरकार इच्छुक है कि विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार हो। वह इसी बात से साबित होता है कि चान्सलर महोदय ने कुछ समय के लिये अस्थायी रूप से किन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति की है। सरकार की मंशा उसी से साबित हो जाती है कि सरकार की मन्शा क्या है। सरकार की मन्शा यह है कि विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार हो, जो कमी है वह दूर हो। जैसा मैंने कहा था कि पहले स्थिति कितनी खराब थी और आज की दृष्टि से चान्सलर महोदय ने जो व्यक्ति नियुक्त किये हैं वह बहुत अच्छे हैं और उनकी मौजूदगी से वहां पर स्थिति में सुधार होगा।

गौरीशंकर राय जी ने मुझसे एक सीधे प्रश्न किया और उसको बाद में दोहराया भी कि विश्वविद्यालय अधिनियम में धारा ५३ में रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर जारी करने का अधिकार है। उसी अधिकार का प्रयोग करते हुये रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर (फोर्थ) सन् १९५७ में जारी हुआ था। उसके अन्तर्गत पहली कार्यकारिणी नामजद की गई थी। उसके बाद वही रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर सन् १९६० में संशोधित हुआ और फिर सातवें रिमूवल आफ डिफिकल्टी आर्डर के जरिये से फिर कार्यकारिणी की नामजदगी उसमें हुई। मैंने शुरू में ही कहा था कि यह अच्छी बात नहीं है कि चुनी हुई कौंसिल अभी नहीं बनी। इस विषय में कौन जिम्मेदार है? कहा गया कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारी मिलजुलकर मुकदमा दायर करते थे। मैं इस विषय में अपनी राय नहीं दूंगा लेकिन स्थिति यह है कि मुकदमे दायर हुये, चाहे वे किसी ने भी किये हों। चान्सलर की बड़ी इच्छा थी कि यह मुकदमे जल्दी खत्म हो जायं। यह सम्भव हो सकता था कि अगर विश्वविद्यालय के पदाधिकारी उतने सक्रिय होते तो शायद मुकदमे जल्दी फैसल हो सकते थे लेकिन जो अदालत के बीच में आदेश जारी हो जाते हैं उससे कठिनाई होती है। इतना सम्भव हो सकता था कि अगर जल्दी काम करते तो यह चीज हो जाती क्योंकि चान्सलर महोदय ने चिन्ता प्रकट की थी कि इतनी देर नहीं होनी चाहिये और विश्वविद्यालयों को सक्रिय होना चाहिये लेकिन जैसी भी स्थिति हुई, जिसके कारण वहां पर आज तक चुनाव नहीं हो सके तो यह अफसोस की बात है। जैसा मैंने निवेदन किया वह सब स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी है।

जहां तक मणि जी का सुझाव है कि अधिनियम में तब्दीली की जाय, आज भी अभी तक वह चीज सरकार के सामने नहीं है और न आज इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर तब्दीली आवश्यक होगी तो देखा जायगा। आज तो सरकार के सामने यह है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक चुना हुआ कोर्ट और चुनी हुई एक्जीक्यूटिव कौंसिल जल्द बनाई जाय जिससे वहां का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके। चुनाव क्यों नहीं हुआ ? चुनाव इस वजह से नहीं हुआ कि उसके बहुत से कारण थे। इसलिये सरकार कुछ समय के लिये जरूर बीच में आती है कि उसने नामजदगी की। इस विषय में जब विश्वविद्यालय की अटानामी को स्वीकार करते हैं तो उसको अधिकार है कि वह अधिनियम के अन्तर्गत कर सकते हैं। नामजदगी इसलिये आवश्यक थी कि जब तक चुनाव न किया जाय तब तक कार्य होना चाहिये। उसको पूरा करने के लिये, मैं मानता हूं कि समय ज्यादा लिया गया। उसके लिये भी मैंने निवेदन किया कि जैसी भी कानूनी स्थिति होगी, किया जायगा। अगर हमको जरूरत पड़ेगी कि हमको रिमूवल आफ डिफिकल्टीज आर्डर बना कर करना है तो वैसा करेंगे। मतलब यह कि जो भी कानूनी आवश्यकता होगी उसको हम जल्दी करेंगे जिससे जितनी जल्दी हो सके कोर्ट बन जाय और उस कोर्ट को ही पूरा कोर्ट मान कर कार्यकारिणी चुनी जाय और उसके चुनने के बाद कार्यकारिणी अपना काम करे। मगर मैं यह भी निवेदन करूंगा कि शुरू में इस विषय में चर्चा शुरू करने के लिये जिस समय यह विषय लाया गया था तो इस आदरणीय सदन का कोई सदस्य भी नहीं बोलने के लिये उठा था। इसका अर्थ यह था कि कल के मेरे बयान से सभी माननीय सदस्य सन्तुष्ट थे क्योंकि सबकी यही इच्छा है कि वहां पर कार्यकारिणी का चुनाव होना जरूरी है। अगर चुनाव हो जाता है तो चुनाव करके वह अपने काम को चलाये। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरे बयान से सारी स्थिति स्पष्ट है। सरकार की नीति के बारे में मैंने जिक्र कर दिया है कि जब हमने इतने अच्छे वाइस-चांसलर को बनाया है तो आज की स्थिति में हम इसको भी जल्द से जल्द पूरा करेंगे।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० की संयुक्त प्रवर समिति के सभापति के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि अभी जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक की संयुक्त प्रवर समिति में काम करने के लिये सदस्यों के नामों की जो घोषणा हुई, उसके लिये सभापति के स्थान पर सहकारी मंत्री रहेंगे। उनको मैं उसका चेयरमैन नामजद करता हूं।

सत्रावसान तथा आगामी बैठक की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं दो एक बातें और कहना चाहता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—हाउस फिर कब बैठेगा ?

श्री अध्यक्ष—इसके सम्बन्ध में बाद में मैं पढ़ कर सुना दूंगा। राज्यपाल महोदय की यह आज्ञा निकल चुकी है कि सदन की कार्यवाही समाप्त होते ही सत्रावसान हो जायगा आज से ही। आज की कार्यवाही समाप्त होने पर सत्रावसान हो जायगा। तो मैं उस आज्ञा को अन्त में पढ़ कर सुना दूंगा। अबकी दूसरी एक और बात कर दी गयी है कि ३१ जुलाई, १९६१ को ११ बजे दिन में फिर बैठक बुलायी जायगी, यह भी आर्डर के साथ है।

श्री उग्रसेन—इसके बदलने का खतरा है।

श्री अध्यक्ष—यह मैं आपको सूचना दे रहा हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि हम कब बैठेंगे। मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह नयी बात हुई है और स्वागत करने की चीज है।

श्री गौरीशंकर राय द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्नों पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—मैंने श्री गौरीशंकर राय जी से यह कहा था कि बैठक समाप्त होने के पहले उन्होंने जो प्रश्न उठाये थे उनके बारे में अपनी व्यवस्था दूंगा। आप कृपा कर सुनें तो ज्यादा अच्छा हो। केवल ५, ७ मिनट की बात है। मैं व्यवस्था देने के पहले इतना कह देना चाहता हूं कि मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का है कि इस सत्र में गर्मी बहुत रही। और कवल इतना ही नहीं कि गर्मी का मौसम है इसलिये गर्मी रही, लेकिन रही। तो इसमें कई बातें मैंने सीखीं, अनुभव लिये। मैंने भी सीखीं और लोगों ने भी सीखीं। जिस वक्त ऐसी चीज हो कि थोड़ा सा मनोमालिन्य पैदा हो जाय तो उस समय जो सभापति है उसे पहले अपने में त्रुटि देखना चाहिये, यह गांधी जी की शिक्षा रही है। तो मैं पहले अपने में त्रुटि अवश्य देखता हूं। मैंने अपनी त्रुटि देखी कि कार्यवाही में क्यों यह बातें हो गयीं। मुझे पहले ही यह शंका रही थी कि अब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव की गर्मी होगी और अगर किसी जिले के स्थानीय प्रश्न पर मैं यहां चर्चा करने दूं तो कहीं झगड़ा न हो जाय। अब मैंने नतीजा निकाल लिया है कि अगर मैं सख्ती के साथ जब यह प्रश्न यहां आये तो लोगों को अपनी राय प्रकट करने का, अपने विचार प्रकट करने का अवसर न देता तो अच्छा होता, भले ही लोग मेरे फसले को बुरा समझते, ऐसा मेरा अनुभव हुआ है। दूसरी चीज लोग यह भी समझ लें कि मेरा यह अनुभव सही है। यह इससे भी मालूम होता है कि उस विवाद के बाद जो उसके आफसूट निकले, जो दो एक विशेषाधिकार के प्रश्न आये, वह उसी के परिणाम थे। हालांकि वे वापस हो गये और उस के लिये मैं बधाई देता हूं माननीय गेंदा सिंह जी को और उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने उन्हें उठाने पर भी वापिस लिया था जिसमें कि वातावरण ठीक करने का प्रयत्न हो सके। आज भी कुछ प्रश्नों के बारे में बातचीत हो गयी, लेकिन प्रश्न बहुत साधारण चीज है। जो तजुर्बा मैंने लिया उस के साथ मैं समझता हूं कि और लोगों को भी कुछ तजुर्बा लेना चाहिये और वह यह है कि हम अपने नियमों से बंधे हुए हैं, और सबको प्रतिष्ठा हमको रखनी है और वह प्रतिष्ठा कायम करने की क्षमता मुझमें तभी उत्पन्न हो सकती है कि जब हम अपने ही बनाये हुए नियमों का अच्छी तरह से पालन करें। इस में एक नियम है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायगी। किसी संकल्प या अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो भी निश्चय हो उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी।

दूसरे मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में यह भी है कि अध्यक्ष केवल जज ही नहीं होता बल्कि वह कई बातें बिहाइन्ड दि सीन, सदन के बाहर अज्ञात तौर से तस्फिया कराने का प्रयत्न करता है और अगर कोई मनोमालिन्य हो तो उसको दूर करने का प्रयत्न करता है और सदस्यों को कभी-कभी सलाह भी देता है। प्रिविलेज के सवाल में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ३८२ पर यह है—

"If he (speaker) is not so satisfied, when the circumstances are first brought to his attention privately, he may inform the member that he is not entitled to raise the matter as question of privilege."

अध्यक्ष एकान्त में इस प्रकार सलाह देते हैं कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता और सदस्य वह बात नहीं उठाते।

तो अध्यक्ष सलाह लेते हैं और सलाह देते हैं। तो जब अनुभवी व्यक्ति जैसे अध्यक्ष की सलाह हो जाय तो लोगों को उसे मानना चाहिये, चाहे अध्यक्ष की राय से उस समय मत न मिलता हो। मैंने बताया कि मेरी भी गलती होती है। मैं गलती का जिक्र अपने से ही शुरू करता हूं। जैसे नियम ५२ है उसके अनुसार एक ही प्रश्न उठ सकता है, मैं रोज एक प्रश्न स्वीकार भी करता हूं लेकिन फिर भी लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा स्वीकार नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज जो हो जाती है और मैं बरदाश्त करता हूं। अगर हम अनुभव से यह देखते हैं कि इस तरह की अव्यवस्था हो जाती है तो उस चीज को न करें। तो इतना ही मैं कहना चाहता था।

अब जो प्रश्न उठा था उसमें पहला प्रश्न यह है कि क्या माननीय गोविन्दनारायण तिवारी का यह पार्लियामेंटरी अधिकार है कि पुलिस अधीक्षक, जालौन के पत्र की, जिसका उद्धरण माननीय चरणसिंह जी के पत्र में था और जिसको माननीय अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था में कोट किया, पूरी प्रतिलिपि उनको मिलनी चाहिये। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में डिबेट का तरीका जो दिया गया है वह इस प्रकार से है कि अगर कोई मंत्री डिबेट के अन्दर कोई चीज पढ़े, किसी डाक्यूमेंट को पढ़े तो उस पूरे डाक्यूमेंट को सदन के सामने दे देना चाहिये। वह इस प्रकार है :—

"..It has also been admitted that a document which has been cited ought to be laid upon the table of the House, if it can be done without injury to the public interests."

तो जब मंत्री लोग कांफीडेंशियल कहते हैं तब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ जाती है। इसी आधार पर वे डिबेट में पूरा डाक्यूमेंट देने से इंकार कर सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं क्योंकि सदन में डिबेट नहीं थी, एक विषय यहां पर छिड़ा जिसमें अध्यक्ष ने कुछ जानकारी हासिल करने के लिये गृह मन्त्री जी से पूछा और उन्होंने लिख कर भेज दिया। तो जब मेरे पास वह चिट्ठी आई तो दूसरा प्रश्न आया कि क्या श्री गोविन्दनारायण तिवारी जी को अधिकार है या नहीं कि श्री चरणसिंह जी के पत्र की उनको पूरी प्रतिलिपि मिलनी चाहिये। वह मैंने पूरी प्रतिलिपि दे दी। उसका उनको अधिकार था, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन पूरा एस० पी० का पत्र देने के विषय में थोड़ी शंका थी इसलिये मैंने कहा था कि गृह मंत्री से पूछकर अगर दे सकूं तो दूंगा। उन्होंने आज भी उत्तर में कहा और उस रोज भी मुझसे कहा था कि वे पूरा पत्र मुझे नहीं दे सकेंगे।

मैं समझता हूं कि डिबेट में अगर वह नहीं मानते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आपको मैं उद्धरण पढ़ने से रोकता हूं। लेकिन डिबेट नहीं थी और वह चीज तो अब गुजर चुकी थी। ऐसी अवस्था में उन्हें बाध्य करना मेरे लिये असम्भव-सा है। नियम के अनुसार मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता। मैं अपनी सलाह दे सकता हूं कि जब उन्होंने उद्धरण दिया और यदि सबके सामने एस० पी० का पत्र वह नहीं पढ़ सके तो कम से कम सदन की इसमें मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि गृह मंत्री जी श्री गोविन्दनारायण जी को बुलाकर, अगर उनके बारे में या उनसे सम्बन्धित किसी दूसरे के बारे में कोई चीज है तो उस सम्बन्ध में उनसे बातचीत कर लें। यह बड़ी अच्छी और स्वस्थ प्रथा होगी। यह मैं अपनी राय दे देता हूं ताकि वातावरण स्वच्छ होता रहे। गृह मंत्री जी ने चूंकि अपने भाषण में यह कहा भी था कि हम सबका सहयोग चाहते हैं।

अब रहा निर्णय पर पुनर्विचार का सवाल। जहां तक फैक्ट्स की बात है थोड़ा ही अन्तर है श्री गोविन्द नारायण जी के और गृह मंत्री जी के कहने में, और उसमें भी जो अखबार में छपा था कि जमानत दी थी। जमानत देने के औचित्य के बारे में केवल राय की भिन्नता है। राय में अन्तर होने से किसी की प्रतिष्ठा नहीं जाती। औचित्य के बारे में अगर गृह मंत्री जी की कुछ राय है और वही अखबार की राय है, और श्री गोविन्द नारायण जी तिवारी की राय दूसरी है तो जब इस सम्बन्ध में वैयक्तिक वक्तव्य वह दे चुके हों तो सदन की इसमें प्रतिष्ठा है कि माननीय सदस्य यह मानें कि उन्होंने अपनी सही राय प्रकट की। उन्होंने जिस उद्देश्य से वह कार्य किया इसकी फिर चर्चा हमको नहीं करनी चाहिये। इसमें सदन की प्रतिष्ठा भंग होती है। वह

[श्री अध्यक्ष]

कहते हैं कि उन्होंने अमुक परिस्थिति में वह कार्य किया, फलां इरादे से किया, उसे मानकर हमें चलना चाहिये। बाहर चाहें तो कुछ भी हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसलिये विचारों के मतभेद से प्रिविलेज का प्रश्न नहीं रहता है और इस कारण निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपने स्पष्ट विचार यहां प्रकट कर दिये। सत्य बात कहने में किसी की प्रतिष्ठा कम नहीं होती, बढ़ती है। इतना जरूर मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोगों को गलतफहमी हुई कि उक्त अखबार ने सदन की प्रोसीडिंग्स छापी है। बाहर के अखबार वाले अपनी प्राप्त खबरों के आधार पर टीका कर देते हैं। उसमें मेरा कुछ सदस्यों के दृष्टिकोण से मतभेद रहा है। हम लोग डिफर कर सकते हैं। लेकिन तिसपर भी मैंने कह दिया कि जो लोग यह समझते हैं कि शायद प्रोसीडिंग्स गलत छपी है और गृह मंत्री जी के मुंह में कोई चीज रख दी गई है उनके संतोष हेतु मैंने सम्बन्धित अखबार वाले सज्जनों का ध्यान आकर्षित कर दिया कि ऐसी कुछ लोगों की गलत फहमी है इसलिये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है कि माननीय गृह मंत्री जी के शब्द वह अगले २२ के अंक में छाप दें। मैंने निर्णय के बाद यह बात डायरेक्शन कहिये या सुझाव के रूप में कहिये, उनको दिया है और उन्होंने ऐसा करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद हम लोगों का यह विचार हुआ कि चूंकि चुनाव के दिन नजदीक हैं और फिर भी हम लोग असेम्बली में बैठेंगे और वातावरण और गन्दा न हो इसलिये उरई के वातावरण को शुद्ध करने के लिये, उसको स्वच्छ करने के लिये सदन के बाहर कार्य करना उचित होगा। श्री गेंदा सिंह मौजूद हैं, पालीवाल जी भी हैं और मैं समझता हूं कि इन लोगों के द्वारा सबको बुलाकर उरई का वातावरण शुद्ध करने के लिये आपस में वादविवाद करना ठीक होगा और उसके लिये मैं भी प्रयत्नशील रहूंगा और हम इस ओर प्रयत्न जारी रखेंगे। मैं इतना ही इस विषय में कहना चाहता हूं।

(कुंवर श्रीपालसिंह के खड़े होने पर)

मैं समझता हूं कि वातावरण को अच्छा करना है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, इस बारे में मुझे कुछ नहीं निवेदन करना है उरई के बारे में जो आपने कहा। लेकिन जो एक बात आपने कही है कि सदन की प्रतिष्ठा के लिये हम लोगों का उतना ही दायित्व है जितना आपका है और हम उसको बनाये रखें और यदि सदन की प्रतिष्ठा हम लोग कायम नहीं रखते हैं तो उसका कुफल यह हो सकता है कि हम लोगों को उस कुफल को एक न एक दिन भुगतना पड़ेगा। उसके बारे में मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि बात कड़वी है लेकिन है सत्य इसलिये मैं निवेदन उसको जरूर करूंगा। यदि श्रीमन्, उससे आपको थोड़ा सा कष्ट हो तो उसके लिये मैं पहले ही क्षमा मांग लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं इस प्रकार की अपनी कमजोरी की ओर संकेत कर चुका हूं। वह मेरी ही कमजोरी है।

कुंवर श्रीपालसिंह—जो कुछ भी यहां की व्यवस्था में थोड़ी उलट-पुलट हुई उसके लिये मैं केवल यही कहूं कि "कतहुं सुधाइहु ते बड़ दोषू"। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ लोगों को आपने इस तरह से लैटीट्यूड देकर इस तरह से आपने खामखा आगे बढ़ने दिया कि उसकी नकल करने के लिये बहुत से लोग तैयार हो गये और लोगों ने यह समझा कि आप से कोई काम लेने का यही तरीका है। और उन्होंने ऐसे काम करने के प्रयत्न किये जिसके कारण सदन की प्रतिष्ठा नीची गयी है। मैं निवेदन करूं कि आप थोड़ा सा कड़ाई से काम लें। जिस चीज को आप कहें भले ही वह एक बार गलत हो, मगर कड़ाई के साथ आप स्टिक करें तभी सदन की प्रतिष्ठा हर सकती है, अन्यथा मैं निवेदन करता हूं कि सदन में एक दिन आनेवाला है जब सदन में धींगामुश्ती होगी और उसको कोई रोक नहीं सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आपने जो आज व्यवस्था दी है वह कुछ विशेष बातों से मुताल्लिक है, उसका स्पष्टीकरण मैं जान लूं। आपने जो व्यवस्था दी है कि ऐसे जो स्टेटमेंट मंत्री लोग दिया करते हैं जो गोपनीय बातों के आधार पर हुआ करते हैं उनके लिये आपने व्यवस्था दी कि आपस में बातें करके पूछ लें, जान लें, समझ लें। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक स्थिति उत्पन्न कर दी गयी है। अबकी दफा बड़े व्यापक आरोप गृह मंत्री जी ने लगाये हैं और समाजवादी पार्टी पर लांछन लगाया है और हम लोगों ने जहर का घूंट पी लिया है। आपने इशारा किया है कि उस जहर को तुम समझ सकते हो और थोड़ा-सा स्पष्टीकरण किया कि उनके पास जाओ और पूछो कि यह जहर का प्याला जो आप हमें देते हैं तो क्या वह बताने के लिये तैयार भी होंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं मैं तो श्री गोविन्द नारायण जी के लिये कह रहा हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं अपने को एक अजीब संकट की स्थिति में पाता हूं और जब आज आपने अपील की और सारे सदन की इच्छा भी थी कि सदन का वातावरण चलते समय अच्छा रहे तो मैं भी सोचता हूं कि वह शब्द नहीं कहने चाहिये इसलिये कि हमको डर है कि हो सकता है कि उससे कुछ जो वातावरण आपने पैदा किया या और लोगों ने पैदा किया है उसमें गड़बड़ हो। इतनी जरूर अपनी सफाई देना चाहता हूं और खास तौर से कुंवर श्रीपाल सिंह के कहने के बाद अपनी सफाई जरूर देना चाहता हूं और मैं किसी को दोषी भी नहीं कह रहा हूं लेकिन इतना शौक मुझे जरूर नहीं है कि हाउस में सदन के नियमों को तोड़ा जाय या ज्यादा गर्मी दिखाने से ही अध्यक्ष मानेंगे या माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ज्यादा सम्मान करेंगे।

जब माननीय गेंदासिंह जी ने आज मुझसे कहा तो मैंने उन्हें यही अंग्रेजी का वाक्य कहा—

"It is to the grace of the Speaker."

यानी अध्यक्ष महोदय की जो आज्ञा हो वही शिरोधार्य है। लेकिन इतना जरूर है और यह भी मैं जवाब देने के लिये नहीं कह रहा हूं और आपकी रूलिंग को भी मानता हूं और चाहता हूं कि सदन का जो वातावरण आपने बनाया है उसमें योगदान हो सके। लेकिन मान्यवर, अब तक और मैं समझता हूं अपनी सारी जिन्दगी में मैं इस बात को नहीं समझ सकूंगा, आपकी रूलिंग का इसमें सवाल नहीं है, यह मेरी राय ही हो सकती है, कि वह ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से एस० पी० और डी० आई० जी० की रिपोर्ट को हमें नहीं बताया गया। आपकी रूलिंग हो जाने के बाद भी मैं अपने आपको इसके लिये रिकंसाइल नहीं कर पाया हूं।

सत्रावसान तथा आगामी बैठक की सूचना—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब मैं इन विज्ञप्तियों को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं—

'संख्या १२३० १७-३०८—६०, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद १७४ के खंड (२) के उपखंड (ए) द्वारा मिले अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्रावसान उसकी दिनांक १९ मई, १९६१ की बैठक की समाप्ति से करते हैं।

"संख्या १२३०(१) १७—३०८-१९६० "भारत का संविधान" के अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के अधीन मिले अधिकारों का उपयोग करके राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा को दिनांक ३१ जुलाई, १९६१ को ११ बजे दिन से विधान भवन, लखनऊ में १९६१ के द्वितीय सत्र के लिये आहूत करते हैं।"

(इसके बाद ५ बजकर ४० मिनट पर सदन का सत्रावसान हो गया।)

रामप्रकाश,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१९ मई, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१५ पर)

सैनिक कार्यालय, आगरा

१५, विधायक निवास,
(तृतीय),
लखनऊ, १२-५-६१।

प्रिय मंगला प्रसाद जी, सस्नेह बंदे, आपकी सेवा में,

बरतन गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, गोकुलपुरा, आगरा की बाबत सर्वश्री रामरतन वर्मा और कपूरचन्द की शिकायतें भेज रहा हूं। आशा है आप उनके सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही करेंगे, क्योंकि शिकायतें काफी गम्भीर हैं।

आपका,
(ह०) श्रीकृष्णदत्त पालीवाल

सेवा में,

माननीय श्रीमान् मंगला प्रसाद जी,
सहकारिता मन्त्री,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

माननीय महोदय,

सेवा में निवेदन यह है कि हम बरतन गृह उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, गोकुलपुरा, आगरा के सदस्य अपनी समिति के भूतपूर्व प्रधान श्री ठाकुरदास तथा भूतपूर्व मन्त्री श्री झम्मन लाल की अनियमित कार्यवाहियों तथा उनके द्वारा किये गये अनियमित कार्यों का समर्थन करने वाले लोगों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और आप से प्रार्थना करते हैं कि नीचे लिखी प्रार्थनाओं पर शीघ्र से शीघ्र ध्यान देकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें—

१—हम लोग समिति के उक्त प्रधान तथा मन्त्री की अनियमित कार्यवाहियों का विरोध करीब १।। साल से बराबर करते आ रहे हैं, जिसकी सूचना हम बराबर राजकीय अधिकारियों को देते रहे हैं मगर उन्होंने इस ओर अभी उचित ध्यान नहीं दिया।

२—इन सबसे परेशान होकर हमने तारीख २२-८-६० को जिलाधीश, आगरा की शरण ली। जिसके फलस्वरूप ब्लैक में बिकने जाता हुआ करीब २०० मन ताम्बा, पीतल, जस्ता भरा हुआ ट्रक तारीख २३-८-६० की रात को उद्योग अधिकारी, आगरा द्वारा पकड़ा गया। मगर खेद का विषय है कि जिला उद्योग अधिकारी ने आजतक उक्त प्रधान तथा मन्त्री के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

३—उक्त प्रधान श्री ठाकुर दास तथा मन्त्री श्री झम्मन लाल ने ट्रक को पकड़वाने वाले करीब ३० सदस्यों में से १४ सदस्यों के समिति की सदस्यता से नाम काट दिये जिसका आर्बिट्रेशन दायर कर दिया गया था, जिसमें उनके ऊपर कई आरोपों में ७,१८३ रुपये की डिग्री हो गई थी और ट्रक के सिलसिले में उन्हें समिति की सदस्यता से भी पृथक कर दिया था

तथा हम १४ सदस्यों को शुरू से ही सदस्य मान लिया गया था। इसके विरुद्ध उक्त प्रधान तथा मन्त्री ने अपनी अपील श्री आर० सी० भार्गव, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज, कानपुर के यहां कर रखी है।

४—आर्बिट्रेशन के विरुद्ध अपील दायर करने के बाद पहली तारीख पर वह अपने सात गवाह देने की लिखित सूचना असिस्टेंट रजिस्ट्रार महोदय को दे गये थे। मगर इसके बाद फिर किसी भी तारीख पर हाजिर नहीं हुए और केस की अगली सुनवाई तारीख २४ मई, १९६१ निश्चित हुई है।

हम तारीख ९—५—६१ को श्रीमान् पी० दत्ता, डिप्टी रजिस्ट्रार, इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव सोसाइटीज, कानपुर के पास समिति का चुनाव कराने का प्रार्थना-पत्र लेकर गये थे तब उन्होंने हमें बतलाया कि हमने जिला उद्योग अधिकारी, आगरा को समिति का बोर्ड बहाल करने का आर्डर दे दिया है।

मालूम नहीं कि मुकदमा समाप्त होने के पहले ही किस आधार पर बोर्ड बहाल कर दिया गया है जबकि मुकदमे की सुनवाई की तारीख २४—५—६१ पड़ी हुई है।

श्रीमान् डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने हमें यह भी बतलाया कि उन लोगों का बहुमत है। मगर वह बहुमत नाजायज है इसमें बर्तन काम करने वाले सदस्य काफी संख्या में हैं और कुछ प्रधान तथा मन्त्री के कुटुम्बी तथा रिश्तेदार हैं। इसी आधार पर उनका बहुमत बना हुआ है जो कि कच्चा माल ही बिकवा कर मुनाफा बांट लेते हैं और मौजूदा पंचायत की मदद करते रहते थे, ऐसे ही लोगों ने बढ़ावा देकर समिति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और हम गरीब काम करने वाले मेम्बरों को अल्प मत के आधार पर परेशान कर रहे हैं।

हमने समिति के अन्दर करीब २०,००० रुपया मुनाफे का छोड़ा है तथा ७,००० रुपये शेयर मनी के छोड़े हैं। आर्बिट्रेशन केस के दौरान जिस समय समिति का बोर्ड रजिस्ट्रार साहब द्वारा भंग करके ऐडमिनिस्ट्रेटर श्री बी० बी० वर्मा, ए० डी० ओ०, ४५, महात्मा गांधी रोड, आगरा को सौंपा गया था उस समय समिति के खाते में कोई रकम नहीं थी। मालूम नहीं यह सब रकम कहां है जिसका जिला उद्योग अधिकारी द्वारा आजतक भी हमारी प्रार्थना करने पर भी किसी चार्टर एकाउटेंट द्वारा समिति का हिसाब-किताब आडिट नहीं कराया है।

हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उन नाजायज काम करने वाले मेम्बरों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की कृपा करें जिससे इस सहकारिता का भविष्य उज्ज्वल हो सके और हमारी समिति का काम सुचारु रूप से चलता रहे।

आशा है कि आप इस की पूरी जांच किसी सरकारी अधिकारी से शीघ्र से शीघ्र कराने की कृपा करेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे।

प्रार्थी,

कपूर चन्द रामरतन वर्मा,
सदस्य—बर्तन उद्योग सहकारी समिति लि०,
गोकुलपुरा, आगरा।

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१९ पर)

मु० इ० नं० १२५, धारा ३८० ता० हि०।

वारदात चौकी नं० २ — तीसरी प्रतिलिपि

वारदात कस्बा नं० ६९ — काजात

वा० हल्का चौकी डिप्टीगंज।

प्रथम सूचना की रिपोर्ट

पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने योग्य अपराध की प्रथम सूचना जो दण्ड विधि संग्रह की धारा १५४ के अधीन, थाना कोतवाली, उरई, जिला जालौन पर दी गई।

घटना का नम्बर १३५ — तारीख व समय ता० २२-४-६१, समय दोपहर

तारीख व समय जब रिपोर्ट की गई	घटनास्थल व थाने से उसकी दूरी तथा दिशा	थाने से भेजे जाने की तारीख
२३-४-६१ समय २० १/२ बजे रात (२३ अप्रैल, १९६१)	मुहल्ला रामनगर-उरई फासला ३ फर्लांग पश्चिम।	२४-४-६१

नोट—प्रथम सूचना पर सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या चिह्न या अंगूठे का चिह्न होना चाहिये और इसको साक्षी दर्ज करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा होनी चाहिये।

सूचना देने वाले और अभियोक्ता का नाम व निवास स्थान	अभियुक्त का नाम व निवास स्थान	धारा सहित अपराध व ले जायी गयी सम्पत्ति यदि कोई हो, का संक्षिप्त विवरण	तहकीकात के संबंध में जो कार्रवाई की गई तथा सूचना के दर्ज करने में देरी होने का कारण	मुकदमे का परिणाम
श्री विष्णुदत्त शर्मा, वकील, कस्बा उरई, थाना कोतवाली उरई।	अज्ञात	सर्का मकान, धारा ३८० ता० हि० मसरुका दरबार याफता कुछ	हस्ब दाखिला तहरीर मुकदमा कायम किया गया तफतीश होगी तवकुफ मिन-जानिब मुद्दई है	तफतीश

(हस्ताक्षर) अपठनीय

२३-४-६१

पद एस० ओ०

(प्रथम सूचना इस पृष्ठ के पीछे दर्ज की जायगी

नोट—सूचना देने वाले का हस्ताक्षर या मुहर या चिह्न रिपोर्ट के अन्त में लगना चाहिये।

नकल तहरीर हिन्दी

श्रीमान् कोतवाल साहब, कोतवाली उरई।

निवेदन है कि कल दोपहर तारीख २२–४–६१ को मेरे मकान के ऊपर के कमरे में कोई व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण पत्र जो मुझे मेरे पिता जी ने भेजे थे तथा दो नकलें जो मुकदमा पन्नालाल बनाम गुरु प्रसाद वगैरा बैसारी मुकदमा फौजदारी की थी तजबीज नकल बयान आदि थे और मिसिल चालू मुकदमा रावरानी बनाम लाखन वगैरा के रक्खे हुये थे तथा कुछ दस्तावेजात व मु० ४० रुपये नकद जो कि मेरे कोट की जेब में पड़े थे कोई व्यक्ति मेरे ऊपर के रहायसी कमरे से चुरा ले गया है। कल मैं अपनी एक रिश्तेदारी की तीमारदारी में लगा रहा जिसकी कि मृत्यु हो गई है और जिसका दाह संस्कार आज हुआ है। अतएव आज जब घर आकर अपने कमरे में गया तो पता चला कि उपरोक्त सामान चोरी चला गया है रिपोर्ट दर्ज की जावे और तहकीकात की जावे।

प्रार्थी,
विष्णुदत्त शर्मा।
२३–४–६१

नोट ––मैं है० मु० तस्दीक करता हूं कि नकल तहरीर शब्द ब शब्द की गई है।

(ह०) अपठनीय एच० सी०
२३–४–६१

रिसीव्ड कापी (अंग्रेजी में)
(ह०) अपठनीय

विधान सभा दर्शन

नत्थी 'ग'

(देखिये १७ मई, १९६१ के स्थगित तारांकित प्रश्न १--२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२३ पर)

सूची--'क'

निर्माण विभाग के कर्मचारियों के स्थाईकरण के संबंध में निर्माण विभाग पुनस्संगठन समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं--

१--अस्थायी पद दो तीन वर्षों से अधिक से चले आ रहे हैं, को स्थायी करने के प्रश्न पर अच्छी तरह जांच करके उचित आदेश पारित करने में शीघ्रता की जाय ।

२--निर्माण विभाग में स्थायी डिवीजनों (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल) के लिये जितने विद्युत् तथा यांत्रिक (E/M) कर्मचारियों की आवश्यकता हो, स्थायी कर दिये जायं ।

३--निर्माण विभाग के आर्कीटेक्चरल सेक्शन के समस्त कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाय ।

४--विभाग में लगभग ८.५ करोड़ रुपये की लागत का कार्यभार स्थायी प्रकार का है । इसके लिये निम्नलिखित कर्मचारी, सर्किल इत्यादि स्थायी किये जायं--

सर्किल	८
डिवीजन	३५
सहायक अभियंता	१५८
ओवरसियर	६३०

५--अनुरक्षण संबंधी निर्माण कार्य (maintenance works) में लगे हुए कर्मचारियों को स्थायी आधार पर रक्खा जाना चाहिये ।

सूची 'ख'

सार्वजनिक निर्माण विभाग पुनस्संगठन समिति की उन अभिस्तावों की सूची जो सरकार द्वारा मान ली गई है--

१--सार्वजनिक निर्माण विभाग का पुनस्संगठन (reorganization) कार्य के आधार पर (functional basis) किये जाने के संबंध में कमेटी ने सुझाव दिया कि हाल ही में पुलों तथा भवनों के लिये जो फंक्शनल सर्किल खोले गये हैं उनके कार्य को ध्यान से देखा जाय और बाद में कार्य आधारित (functional) सर्किल इत्यादि को बढ़ाने पर विचार किया जाय ।

२--विकेन्द्रीकरण (decentralization), जिसके अन्तर्गत अधीक्षण और अधिशासी अभियन्ताओं को अधिक अधिकार देने की व्यवस्था है, अभी न कार्यान्वित किया जाय क्योंकि उसमें अधिक व्यय होगा तथा इससे अदक्षता (inefficiency) तथा नियंत्रण (control) में शिथिलता आ जाने की सम्भावना है ।

३--मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में आर्कीटेक्चरल सेक्शन के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या वर्तमान कार्यभार के लिये पर्याप्त है ।

४--मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में सांख्यिकीय अनुभाग (statistical) में वर्तमान कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है ।

५—विद्युत् तथा यांत्रिक (एलेक्ट्रिकल मेकेनिकल) कर्मचारियों की संख्या जो सर्किलों तथा डिवीजनों के लिये सामान्यतया स्वीकृत की जाती है, इस समय पर्याप्त समझी जाय ।

६—ओवरसियरों की कमी पूरी करने के लिये टेक्निकल असिस्टेन्टों को ट्रेनिंग दी जाती है । इस कमी के शीघ्र पूरी हो जाने की संभावना है । अतः अब टेक्निकल असिस्टेन्टों की आवश्यकता नहीं है ।

७—अनक्वालीफाइड ड्राफ्टसमैन तब तक नियुक्त न किये जायं जब तक उन्होंने कम से कम हाई स्कूल परीक्षा पास न कर ली हो ।

८—सेवा नियमों (service rules) का पुनरीक्षण कार्य जो पहले से हो रहा है, शीघ्र पूरा होना चाहिये तथा जिन सेवाओं के लिये कोई नियम अभी तक नहीं बने हैं उनके लिये नियम बनाने का कार्य प्रारम्भ करना चाहिये ।

९—ओवरसियरों को अपना कार्य सम्पादित करने के लिये मेट की सहायता की आवश्यकता है जो दी जानी चाहिये ।

१०—इस समय अधिवास गृहों (residences) की कठिनाई पुर्णरूप से तुरन्त दूर करना सम्भव नहीं है किन्तु उन स्थानों पर जहां इस प्रकार के अधिवासों की कमी एक वास्तविक कठिनाई है सरकारी अधिवासों की व्यवस्था करके उसे यथाशीघ्र दूर करना चाहिये । रहने वाले नियमों के अनुसार किराया देंगे ।

११—सबार्डिनेट इंजीनियरींग सर्विस के सदस्यों के लिये यू० पी० सर्विस आफ इंजीनियर्स में संरक्षित पद २०% से बढ़ाकर ६५% कर देना चाहिये तथा इन संरक्षित पदों को ओवरसियरों तथा कम्प्यूटरों में उनके सम्बर्गों (cadres) के अनुपात से बांटा जाना चाहिये ।

१२—विभाग के उन कर्मचारियों को, जिनका अधिकतम वेतन क्रम १३० रुपये प्रतिमास से कम हो, उनके प्रथम तैनाती के जिलों से बाहर स्थानान्तरित न करना चाहिये । ऐसे स्थानान्तरण केवल उस दशा में किये जा सकते हैं जब पदोन्नति के लिये हों अथवा अब वह कर्मचारी स्वंय आपस में स्थानान्तरण (mutual transfer) चाहते हों और नियुक्त अधिकारी उससे सहमत हों ।

१३—वर्क चार्ज्ड स्थापना के एक ही प्रकार के कर्मचारियों के लिये राज्य भर में मजदूरी की एक ही दरें (rates) होनी चाहिये ।

१४—विभाग में निर्माण कार्य सरकारी समितियों द्वारा करवाया जाय ।

———

नत्थी 'घ'

(देखिये १२ मई, १९६१ के स्थगित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२४ पर)

Copy of letter No. NCI-6/14(7)-61/7572, *dated January* 10, 1961, *from the National Chamber Industries and Commerce, U. P. Agra, addressed to the Chief MnisterGovernment of Uttar Pradesh, Lucknow.*

It has given us pleasure to learn that steps are being taken by your Government to cut governmental expenditure and to effect economies wherever possible. The Chamber has greatly appreciated this move because we have been feeling that there is vast scope for economies and a system of collection of taxes should be introduced which would be least expensive yet producing higher revenue to the Government.

To illustrate, we suggested to the Government that Sales tax on motor spirit should be collected direct from the depot of oil companies. I would like to explain in a nut-shell the position that obtains to-day :

1. Presently tax is collected from detail dealers and Government allow 1 to 2 per cent as leakage in the volume of purchased petrol. If this tax were collected from the distributing companies and wholesalers, Government will not have to allow any leakage.

2. Government have to maintain sizeable staff in every district to check pumps and for inspection. If this tax is collected from the distributing companies, there could be a saving under this head. The saving thus effected due to leakage and due to non-maintenance of staff for all the purposes mentioned above would be to the tune of lakhs of rupees.

3. The retail dealers at present have to maintain registers and records. While they have to incur expenditure in maintaining staff for this purpose, what is most distressing is the fact that there is a lot of curruption and harassment due to inspection. The retail dealers have to face various types of harassment at the hands of the officials when the physical inventory of petrol are checked and found low or high due to defective gauges of petrol.

This practical suggestion has been made repeatedly by the Chamber for the last three years, but for one reason or the other, our view point has not been appreciated.

I take the liberty to enclose copies of the correspondence recently exchanged with the Secretary to the Government of U. P. Excise Department, Lucknow. The last letter received from Sri J.D. Shah, Anu-sachiv, Industries (C) and Excise Department, Lukcnow, suggesting that "under the U. P. Sales of Motor and Excise Taxation Act the tax in question is meant to be a tax on retail sale to be realized from the retail dealer" only shows that our suggestion has not been given serious consideration. You are now straining every nerve to effect economies and our suggestion for the collection of tax on sale of motor spirit through oil companies is a potent source for increasing Government revenues to the tune of lakhs of rupees.

Even if an amendment is needed in the U. P. Sales of Motor Spirit Taxation Act, there should be no difficulty if it results into: (*a*) increased revenue, (*b*) economy in Government staff, (*c*) avoidance of harassment to the

dealers, and (*d*) convenience to the Government to collect tax from a few distributing companies. As a matter of fact, this suggestion should be welcomed rather than avoided.

We hope this matter would be considered more favourably by your Government now. A deputation of the Chamber would be happy to meet you for further clarification and details on hearing from you.

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स गित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२६ पर]

सूची 'क'

आजमगढ़ जिले में वर्ष १९६०–६१ में साहाय्यिक विद्यालयों का नाम जिन्होंने मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को शासन योजना प्रस्तुत कर दी है ।

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम
१	एस० के० पी० उ० मा० वि०, आजमगढ़ ।
२	वेसले उ० मा० वि०, आजमगढ़ ।
३	स्मिथ उ० मा० वि०, आजमगढ़ ।
४	श्री कृष्ण गीता उ० मा० वि०, लालगंज, आजमगढ़ ।
५	शान्तानन्द स्वतंत्र भारत उ० मा० वि०, [illegible]मिला, आजमगढ़ ।
६	गांधी उ० मा० वि०, मलतारी, आजमगढ़ ।
७	सुभाष उ० मा० वि०, कराखिया, आजमगढ़ ।
८	विन्देश्वरी, उ० मा० वि०, तुलसीनगर (खनदौरा), आजमगढ़ ।
९	महराजगंज उ० मा० वि०, महराजगंज, आजमगढ़ ।
१०	चौरा बेलहा, उ० मा० वि०, तरवा, आजमगढ़ ।
११	बापू उ० मा० वि०, कोपागंज, आजमगढ़ ।
१२	विक्ट्री उ० मा० वि०, दोहरीघाट, आजमगढ़ ।
१३	श्री शहीद उ० मा० वि०, मधुबन, आजमगढ़ ।
१४	गांधी स्मारक उ० मा० वि०, बरदह, आजमगढ़ ।
१५	नेशनल, उ० मा० वि०, आदर्श इन्दारा, आजमगढ़ ।
१६	उद्योग, उ० मा० वि०, कोयल, आजमगढ़ ।
१७	नेशनल उ० मा० वि०, मुहम्मदपुर, सदर ।
१८	सर्वोदय उ० मा० वि०, गाजियापुर, आजमगढ़ ।

विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२६ पर)

आगरा विश्वविद्यलाय से सम्बन्धित निम्नलिखित डिग्री कालेज हैं जिन्हें मान्यता तो प्राप्त है परन्तु उनको सरकारी अनुदान नहीं दिया जाता है।

बालकों के डिग्री कालेज

मेरठ	१—कृषि डिग्री कालेज, मवाना।
	२—देवनागरी कालेज।
	३—महामना मालवीय डिग्री कालेज, खेकड़ा।
	४—राजपूत शिक्षा शिविर डिग्री कालेज, धौलाना।
सहारनपुर	५—गुरुकुल कांगड़ी डिग्री कालेज, गुरुकुल कांगड़ी।
	६—गूजर एग्रीकलचरल कालेज रामपुर मनिहारन।
	७—ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रुड़की।
	८—राजा महेन्द्र प्रताप प्रेम विद्यालय कालेज, नरसन।
	९—के० एल० डी० ए० वी० कालेज, रुड़की।
आगरा	१०—एस० आर० के० डिग्री कालेज, फिरोजाबाद।
	११—श्री छद्दनलाल जैन ट्रस्ट डिग्री कालेज, फिरोजाबाद।
झांसी	१२—विपिन बिहारी डिग्री कालेज।
इटावा	१३—जनता डिग्री कालेज, अजीतमल।
	१४—कुर्मी क्षत्रीय डिग्री कालेज।
	१५—जनता विद्यालय डिग्री कालेज, बकेवर।
	१६—भर्थना डिग्री कालेज भर्थना।
मुजफ्फरनगर	१७—जाट डिग्री कालेज।
	१८—राष्ट्रीय किसान कालेज, शामली।
बुलन्दशहर	१९—जतनस्वरूप डिग्री कालेज, सिकन्दराबाद।
	२०—कुबेर कालेज, दिबाई।
अलीगढ़	२१—सेठ फूलचन्द डिग्री कालेज, हाथरस।
मथुरा	२२—बाबू शिवनाथ अग्रवाल कालेज।
एटा	२३—गंजडुडवारा डिग्री कालेज, गंजडुंडवारा।
बिजनौर	२४—आर० एस० एम० कालेज, धामपुर।
	२५—वर्धमान कालेज।
मुरादाबाद	२६—डी० एस० एम० कालेज, कांठ।
	२७—जे० एस० हिन्द कालेज, अमरोहा।

फर्रुखाबाद	२८—डी० एन० डिग्री कालेज, तिर्वा ।
	२९—बद्रीविशाल कालेज, फतेहगढ़ ।
कानपुर	३०—दयानन्द ब्रिजेन्द्र स्वरूप डिग्री कालेज ।
	३१—दयानन्द कालेज आफ ला ।
	३२—हलीम मुस्लिम डिग्री कालेज ।
	३३—पी० पी० एन० डिग्री कालेज ।
हमीरपुर	३४—बी० एन० बी० डिग्री कालेज, राठ ।
बांदा	३५—अतर्रा डिग्री कालेज, अतर्रा ।
रायबरेली	३६—रायबरेली डिग्री कालेज ।
देहरादून	३७—गुरुरामराय डिग्री कालेज ।
इलाहाबाद	३८—कुलभास्कर आश्रम डिग्री कालेज ।
नैनीताल	३९—लाला मोतीराम बाबूराम कालेज, हलद्वानी ।

बालिकाओं के कालेज

मेरठ	१—आर्य कन्या पाठशाला, हापुड़
देहरादून	२—महादेवी कन्या पाठशाला कालेज ।
अलीगढ़	३—टीकाराम कन्या महाविद्यालय डिग्री कालेज ।
कानपुर	४—दयानन्द गर्ल्स डिग्री कालेज ।
मुरादाबाद	५—बलदेव आर्य कन्या पाठशाला ।
बरेली	६—कन्या महाविद्यालय कालेज ।

विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२९ पर)

१९५९-६० में खरीदी गई गाड़ियों का विवरण

क्रम-संख्या	गाड़ियों का विवरण	गाड़ियों की संख्या	दूकानदारों का नाम जहां से खरीदी गयीं
१	मर्सडीज १६५ ह्वील बेस (ट्रक) शैली	१	सर्वश्री कैलाश मोटर्स, कानपुर।
२	मर्सडीज १६५ ,, ,, ,,	४	,, मोटर ऐन्ड जनरल सेल्स, लखनऊ।
३	मर्सडीज १६५ ,, ,, ,,	१	,, आटो सेल्स, इलाहाबाद।
४	बेडफोर्ड १६७ ,, ,, ,,	४	,, कार्मशियल मोटर्स, लखनऊ।
५	बेडफोर्ड १६७ ,, ,, ,,	९	,, स्पीड मोटर्स, लखनऊ।
६	डाज १५३ ,, ,, ,,	१	,, प्रीमियर मोटर्स, लखनऊ।
७	डाज १५३ ,, ,, ,,	१	,, ,, ,, ,,
८	मर्सडीज १९० ,, ,, ,,	१	,, कैलाश मोटर्स, कानपुर।
९	शेवरले १५६ १/२ ,, ,, ,,	५	,, कार्मशियल मोटर्स, लखनऊ।
१०	शेवरले १५६ १/२ ,, ,, ,,	५	,, यू० पी० मोटर कम्पनी, लखनऊ।
११	शेवरले १५६ १/२ ,, ,, ,,	१	,, हिन्दुस्तान आटोमोबाइल, कानपुर।
	योग ..	३३	
१२	जीपें ..	४८	,, नारायन आटोमोबाइल्स, लखनऊ।

१९६०-६१ में खरीदी गयी गाड़ियों का विवरण

१	बेडफोर्ड १६७ ह्वील बेस (ट्रक) शैली	३१	सर्वश्री कार्मशियल मोटर्स, लखनऊ।
२	बेडफोर्ड १६७ ,, ,, ,,	२९	,, स्पीड मोटर्स, लखनऊ।
३	डाज १६५ ,, ,, ,,	१७	,, प्रीमियर मोटर्स, लखनऊ।
४	फारगो १६५ ,, ,, ,,	२	,, के० टी० आटोमोबाइल, लखनऊ।
५	मर्सडीज १६५ ,, ,, ,,	४	,, मोटर सेल्स, लखनऊ।
६	मर्सडीज १९० ,, ,, ,,	२	,, आटोसेल्स, इलाहाबाद।
	योग ..	८५	
७	जीपें ..	६३	,, नारायण आटोमोबाइल्स, लखनऊ।
८	फियट कारें ..	२	,, प्रीमियर आटोमोबाइल्स, लखनऊ।
९	प्लाइमाउथ कारें ..	७	,, ,, ,, ,, ,,
१०	अम्बेसडर कारें ..	१२	,, हिन्दुस्तान मोटर्स, कलकत्ता।
	योग ..	२१	

नत्थी 'ज

(देखिये पीछे पृष्ठ ८३७ पर)

(१) वक्तव्य

श्री उग्रसेन द्वारा प्रस्तुत कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है कि शुगर मिल्स एसोशिएशन के उद्घाटन भाषण में मैंने यह कहा कि गन्ने का मूल्य कम किया जायगा। यद्यपि नई रें गन्ने से चीनी की उपज की मात्रा कम हो जाती है और इस साल गन्ना अधिक होने के कारण कई मिलों को मई और जून में चलना पड़ेगा। तथापि गन्ना उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रदेशीय सरकार ने गन्ने के मूल्य में कमी करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास नहीं भेजा है, न ऐसा करने का विचार है। हालांकि पिछले कई वर्षों में ७ मई के बाद गन्ने का मूल्य उसकी रिकवरी के अनुसार कम कर दिया जाता था।

इस साल गन्ना बहुत अधिक मात्रा में है। ३५ करोड़ मन से अधिक गन्ना अभी तक पेरा जा चुका है और सीजन के अन्त तक ३९ करोड़ मन गन्ना पेरे जाने का अनुमान किया जाता है। चूंकि मई से मिलों को गन्ना पेरने में नुकसान होता है और इस वर्ष चीनी के अधिक उत्पादन और खपत की कमी के कारण मिलें और गन्ना पेरने के लिये तैयार नहीं हैं अतः परचेज टैक्स में पिछले वर्ष से अधिक गन्ने की पेराई पर सरकार कुछ छूट देने पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में यह बताना भी जरूरी है कि बिहार गवर्नमेंट ने २१ अप्रैल, १९६१ से केन सेस में छूट दे रक्खी है। अगरचे हमारा इरादा ऐसा नहीं है कि अप्रैल से या कुल परचेज टैक्स की छूट दी जाय फिर भी मिलों को शेष गन्ना पेरने में प्रोत्साहन देने के लिये (जो कि इनकी आवश्यकता से अधिक है) कुछ न कुछ छूट परचेज टैक्स में मई की किसी मुनासिब तारीख से देनी होगी। इस विषय में सरकार शीघ्र ही निर्णय लेने वाली है।

---

(२) श्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा विधान सभा में दिनांक १७ मई, १९६१ को पूछे गये प्रश्न का उत्तर

नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में अत्यधिक गन्ना उपलब्ध होने के कारण हल्द्वानी यूनियन के गन्ने को पेराई के लिये बाहर मिलों को भेजना आवश्यक हो गया था। पड़ोस की मिलें जैसे काशीपुर, बाजपुर, रामपुर, बहेड़ी, बरेली, धामपुर, शिवहारा, बिलारी और अमरोहा चीनी मिलों की दशा इस योग्य नहीं थी कि उनके यहां हल्द्वानी यूनियन का सम्पूर्ण गन्ना खपाया जा सकता। पास की मिलों में जैसे बाजपुर, बहेड़ी, बरेली, रामपुर को अधिक से अधिक मात्रा में यहां का गन्ना जो भी सरलता से खपा सकती थीं दिया गया। केवल फालतू गन्ने को ही बाहर मिलों को भेजा गया। यदि ऐसा न किया जाता तो इस गन्ने के पेराई का भार तराई क्षेत्र अथवा निकटवर्ती मिलों पर ही पड़ता और उनके चलने की अवधि जो वैसे ही लम्बी है और भी लम्बी हो जाती। इस व्यवस्था से हल्द्वानी के किसानों को हानि होती। इन्हीं विचारों से हल्द्वानी, लालकुवां, किच्छा और गोकुल नगर गन्ना क्रय केन्द्रों को प्रथम पीलीभीत मिल को फिर अन्त में ग्यौली मिल को दिया गया। अन्य केन्द्रों का गन्ना क्षेत्र के निकटवर्ती मिलों ने ही पेरा। इस प्रबन्ध से हल्द्वानी यूनियन के गन्ने की सप्लाई भली प्रकार हो पाई अन्यथा यहां गन्ना देर तक खड़ा रह जाता। हल्द्वानी क्षेत्र का लगभग सभी उपलब्ध गन्ना सप्लाई किया जा चुका है और कुछ ही केन्द्रों पर थोड़ा-सा गन्ना अब सप्लाई के लिये उपलब्ध है जो शीघ्र ही समाप्त हो जावेगा।

जहां तक पास के मिलों के बन्द होने अथवा उन पर गन्ने की बकाया रकम का प्रश्न है इनका सम्पूर्ण मिलवार ब्यौरा बांटी गई दो तालिकाओं में दिया गया है। इनके देखने से स्पष्ट होगा कि पास की अन्य मिलों की बकाया स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं है और इनमें से अधिकांश मिलें अब भी चालू हैं।

न्योली चीनी मिल के जिम्मे ३० अप्रैल, १९६१ को गन्ने के मूल्य के रूप में ११.५७ लाख रुपया देना था जिसमें लगभग ५.०० लाख रुपया हल्द्वानी सोसायटी का भी शामिल है। बदायूं में मिल ने ०.२० लाख रुपया नित्य भुगतान करने की व्यवस्था की है। हल्द्वानी यूनियन को दो किस्तों में १ लाख रुपया मिल इसी माह में देने जा रही है। गेट एरिया पर केवल ०.४० लाख रुपया देन का शेष रह गया है। जिनका भुगतान मिल रोज कर रही है।

---

(३) श्री रामसुन्दर पाण्डेय, एम० एल० ए० द्वारा दिनांक १७ मई, १९६१ को भेजे गये पत्र में उल्लिखित बातों का उत्तर

१—(अ) भटनी मिल पर किसानों के गन्ने के मूल्य का दिनांक १८ मई, १९६१ को ८.२१ लाख रुपया बकाया था।

(आ) उपरोक्त गन्ने के मूल्य में कमला सागर भंडार द्वारा सप्लाई किये गये गन्ने का शेष मूल्य ०.३७ लाख रुपया है।

२—इस प्रश्न का सम्बन्ध गन्ना विभाग से नहीं है।

३—इस मिल के विरुद्ध वसूली सर्टीफिकेट जारी किया जा चुका है और जिलाधीश को भेजा जा चुका है। अन्य प्रश्न गन्ना विकास विभाग से सम्बन्ध नहीं रखते।

---

(४) श्री टीकाराम, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक १७ मई, १९६१ के पत्र में उल्लिखित बातों का उत्तर

न्योली मिल पर ३० अप्रैल, १९६१ को कुल ११.५७ लाख रुपया गन्ने के मूल्य का बकाया था, जिसका विवरण निम्नांकित है:

केन यूनियन जिसको गन्ना दिया		कुल गन्ने का मूल्य जो वाजिब हुआ (लाख रुपयों में)	कुल गन्ने का मूल्य जो मिल ने भुगतान किया (लाख रुपयों में)	गन्ने का मूल्य जो मिल से ३०—४—६१ को पाना शेष (लाख रुपयों में)	अन्य
(१) बदायूं ..	..	२४.८४	१८.७५	६.०९	
(२) डाइरेक्ट मिल	..	३४.४६	३३.९८	०.४८	
(३) बरेली ..	..	०.७६	०.७६	..	
(४) हल्द्वानी ..	..	५.५०	०.५०	५.००	
कुल	..	६५.५६	५३.९९	११.५७	

उपरोक्त तालिका देखने से प्रगट होगा कि बदायूं यूनियन के किसानों को गन्ने की क़ीमत का १८.७५ लाख रुपया ३० अप्रैल, १९६१ तक दिया जा चुका था और ६.०९ लाख रुपया देना बाकी रह गया था। प्राप्त सूचनानुसार इस धन अदायगी की व्यवस्था मिल कर रही है। लगभग बीस हजार रुपया रोज वितरण करने की योजना बनाई है, इस प्रकार बदायूं यूनियन का सभी रुपया १ माह के अन्दर अदा होने की आशा है।

(५) श्री शिवप्रसाद नागर, एम० एल० ए० द्वारा दिनांक १७ मई, १९६१ के पत्र में उल्लिखित बातों का उत्तर

गोला और हरगांव चीनी मिलों की गन्ने की तुलनात्मक स्थिति देखने से यह पता चला कि हरगांव मिल के पास गोला मिल की अपेक्षा अधिक गन्ना उपलब्ध था।

अतः देवकाली और फरदहन क्षेत्र से गन्ना उत्पादकों के हित में वहां का लगभग ३.५० लाख मन गन्ना गोला मिल में पेराई के लिये भेजना आवश्यक समझा गया। इस डाईवर्जन के पश्चात् भी हरगांव मिल जून के अन्तिम सप्ताह तक चलेगी जबकि गोला मिल जून के दूसरे सप्ताह तक ही समस्त गन्ना समाप्त कर सकेगी।

श्री गेंदासिंह द्वारा प्रस्तुत Calling attention motion में सीतापुर जिले का कोई जिक्र न होने के कारण सीतापुर जिले की चीनी मिलों के बन्द होने की तिथियां बताना आवश्यक नहीं समझा गया था। हरगांव, बिसवां तथा महोली चीनी मिलों के क्रमशः जून के अन्त तक, जून के प्रथम सप्ताह तक और मई के चतुर्थ सप्ताह तक चलने का अनुमान है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मन्त्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८४८ पर।)

विधान सभा के प्रथम सत्र १९६१ के ७वें शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री होरीलाल यादव का प्रश्न संख्या ३० का उत्तर

प्रश्न

३०—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हिन्द फ्लाइंग क्लब लखनऊ को सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता पिछले दो वर्षों में दी गई और इस क्लब को उसके कार्य में इस बीच में कितना घाटा हुआ ?

उत्तर

१९५९–६० और १९६०–६१ में क्लब को ४,९०,००० रु० और ४,५०,००० रु० की आर्थिक सहायता सरकार ने दी। १९५९–६० में क्लब को घाटा नहीं हुआ। १९६०–६१ की बैलेंसशीट अभी तैयार नहीं है।

मुजफ्फर हसन,
परिवहन मंत्री।

विधान परिषद सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०० एल० ए०—१९६१—८४५।